द्वितीय माला, खण्ड ४—अंक १३
३० जुलाई, १९५७ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Second Session)

(खण्ड ४ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) १ शिलिंग (विदेश में)
106 LSD

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४—अंक ११ से २०—२७ जुलाई से ५ सितम्बर, १९५७

अंक ११श—निवार, २७ जुलाई, १९५७ — पृष्ठ

सभा का कार्य २४७५
विशेषाधिकार का प्रश्न २४७५–७६
सभापति तालिका २४९०
अनुदानों की मांगें . . . . . २४७६—८९, २४९०—२५३४
स्वास्थ्य मंत्रालय . . . . . २४९०—२५०७
सामुदायिक विकास मंत्रालय . . . . २५०७—३४
दैनिक संक्षेपिका २५३५

अंक १२—सोमवार, २९ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ से ४२८ और ४३० से ४३२ . . २५३६–६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४११, ४२९, ४३३ से ४४२, ४४४ और ४४५ . . . २५६२—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०१ से ३१६ और ३१८ से ३३९ . २५७०—८५
स्थगन प्रस्ताव—
यमुना में पानी का बढ़ जाना २५८५
सभा पटल पर रखे गये पत्र २५८५–८६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
पहला प्रतिवेदन २५८६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बम्बई के गोदी मजदूरों और सरकार के बीच हुआ समझौता . २५८६
समितियों के लिए निर्वाचन—
(१) भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . . . २५८७
(२) भारतीय लाख उपकर समिति . . . २५८७
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित . . २५८७
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २५८७–८८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक—पुरःस्थापित . २५८८
अन्तर्राज्यीय निगम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८८
अनुदानों की मांगें . . . . . २५८८—२६३५
सामुदायिक विकास मंत्रालय . . . . २५८८—२६२०

पृष्ठ

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . २६२०—३५

दैनिक संक्षेपिका . . २६३७—३९

अंक १३—मंगलवार, ३० जुलाई, १९५७

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . २६४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४७, ४४९ से ४५१, ४५३, ४५५ से ४६०, ४६७ से ४६६, ४६८ से ४७१, ४७३ और ४७४ . . २६४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४६, ४४८, ४५२, ४५४, ४६१, ४६२, ४६७, ४७२ और ४७५ से ४८५ . . . २६६५—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२ और ३४४ से ३७७ . २६७२—८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २६८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कुछ मिलों के उत्पादन में कमी तथा उसका प्रभाव . . २६८९—९०

अनुदानों की मांगें—

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . २६९०—२७४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७४३—४४

अंक १४—बुधवार, ३१ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४८८, ५०७, ४८९ से ४९२, ४९४ से ४९६ ४९९, ५०१ से ५०४, ५०६, ५०९ और ५१२ से ५१४ . २७४७—७२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . २७७२—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न सख्या ४९३, ४९७, ४९८, ५००, ५०५, ५०८, ५१०, ५१५ और ५१८ से ५२९ . . २७७४—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३९३, ३९५ से ४०४ और ४०६ से ४१६ २७८२—९८

स्थगन प्रस्ताव— .

नई दिल्ली में नगरपालिका के कर्मचारियों और भंगियों की हड़ताल . २७९८—९९

पृष्ठ

सभा—पटल रखा गया पत्र . . २७९९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंजन और माल गाड़ी में टक्कर २८००–०१

अनुपस्थिति की अनुमति . . . २८०१–०२

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) काफी बोर्ड . . . २८०२

(२) रबड़ बोर्ड २८०२

अनुदानों की मांगें—

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय . . २८०२–४०

दैनिक संक्षेपिका . . . २८४१–४४

अंक १५—गुरुवार, १ अगस्त, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . २८४५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३०, ५३२, ५६७, ५३३ से ५४३, ५४६, ५४७, ५४४, ५४५ और ५४८ . . २८४५–७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ से ५६५, ५६८ और ५६९ . २८७०–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१७ से ४४२ . . . २८७८–९०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में भंगियों की हड़ताल और पुलिस द्वारा गोली चलाना . २८९१–९९

अनुदानों की मांगें—

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . २८९९–२९३४

दैनिक संक्षेपिका . . . २९३५–३७

अंक १६—शुक्रवार, २ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७० से ५७३ और ५७५ से ५८२ . . २९३९–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७४, ५८३ से ६०६ . २९६२–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४३ से ४६७ . . २९७२–८१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . २९८१

कार्य मंत्रणा समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . २९८१

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-- पृष्ठ

आसनसोल पर माल डिब्बे का विस्फोट . . . २९८२

नुदानों की मांगें २९८२-३००७
विधि मंत्रालय २९८२-९४
परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . २९९५-३००७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति—
तीसरा प्रतिवेदन . . . ३००७

जाति के आधार पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना बन्द करने के बारे में
सकल्प ३००७-१८

प्रति व्यक्ति औसत आय के संबंध में प्रादेशिक असमानता की जांच के लिये
एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . ३०१९-२१

दैनिक संक्षेपिका ३०२२-२४

अंक १७—शनिवार, ३ अगस्त, १९५७

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली में भंगियों की हड़ताल तथा पुलिस द्वारा गोली चलाना ३०२५, ३०७५-९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०२६
सभा का कार्य ३०२६

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर की शुद्धि . . . ३०२६-२७
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्धियों तथा सेवा की शर्तों के बारे
में एक जांच आयोग की नियुक्ति के संबंध में वक्तव्य . . ३०२७

अन्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक—
पुरःस्थापित . . ३०२८-३२

अनुदानों की मांगें—
परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ३०३२-३८, ३०६९-७४

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३०६८-६९

कार्य मंत्रणा समिति
छठा प्रतिवेदन ३०७४-७५

दैनिक संक्षेपिका ३०९७-९८

अंक १८--सोमवार, ५ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ६०७, ६१६, ६१९, ६२०, ६२२ से ६२६ और
६२९ . . . . . ३०९९-३१२५

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ३१२६-२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर— ३१२६–३६

तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६१८, ६२१, ६२७, ६३० से ६३५, ६३५–क, ६३६ से ६४६ . . . . . . ३१२६–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७२, ४७४ से ४७६, ४८१ से ४८६, ४६१ से ४६२ . . . . . ३१३६–५०

सभा पटल रखे गये पत्र . . ३१५०–५२

कार्य मंत्रणा समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ३१५३

अत्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक . . . ३१५३–३२००

विचार करने का प्रस्ताव ३१५६–६५

खंडवार विचार ३१६६–३२००

दैनिक संक्षेपिका ३२०१–०४

अंक १६—मंगलवार, ६ अगस्त, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५० से ६५३, ६५५ से ६६३, ६६५, ६६६, ६६८ और ६६६ . . . . ३२०५–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ३२२८–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५४, ६६४, ६६७, ६७० से ६७१, ६६३, ६६४, ६६४–क, ६६५ से ६६७ और ५३१ . . . ३२२६–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ५०० और ५०२ से ५२५ ३२४१–५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . ३२५५-५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३२५६

सभा का कार्य ३२५७

अत्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक ३२५७–८६

खंडवार विचार ३२५७–८३

खंड २ से ८ और १ . . . . . ३२५७–८३

पारित करने का प्रस्ताव ३२८३

अनुदानों की माँगें ३२८६–६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ३२८६–६८

दैनिक संक्षेपिका . ३२६६–३२०२

अंक २०—गुरुवार, ८ अगस्त, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६८ से ७०२, ७२६, ७०४, ७०५ और ७०७ से ७१७ . . . . ३३०३–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ३३२५-२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०६, ७१८ से ७२८ और ७३० से ७३९ ३३२७–३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५२६ से ५२८, ५३० से ५६० और ५६२ से ५६९ . . . . . ३३३७–५१

कुछ अत्यावश्यक सेवाओं में काम रोके जाने की संभावना के सम्बन्ध में वक्तव्य ३३५२–५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३३५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जीवन बीमा निगम के निरीक्षकों की सेवा को समाप्त करने के संबंध में . ३३५५

अनुदानों की मांगे . ३३५५–३४११

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ३३५५–८४
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ३३८५–३४१०

डाक तथा तार कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल की सूचना वापस लेने के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . ३३९३

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४१२–१५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, ३० जुलाई, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री हेम राज (कांगड़ा)

श्री दलजीत सिंह (कांगड़ा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

छंटनी किये गये प्रतिरक्षा कर्मचारी

†*४४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५६ के बाद से नौकरी से अलग किये गये कितने सैनिकों और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कितने छंटनी किये गये असैनिक कर्मचारियों को मई, जून और जुलाई, १९५७ में नौकरी दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४**]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सितम्बर, १९५६ के बाद से अब तक सेना के कुल कितने कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया और कितनों को काम दिया गया है ?

†**श्री रघुरामैया** : सितम्बर, १९५६ से मई, १९५७ तक सेना के ९८४ कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया। नौकरी से अलग किये गये ऐसे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नहीं है जिन्हें दुबारा नौकरी दी गयी। इस विवरण में उन्हीं लोगों की संख्या दी गयी है जिन्हें मई और जून, १९५७ के दो महीनों के दौरान में दुबारा नौकरी दी गई है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सितम्बर, १९५६ से अब तक प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कुल कितने असैनिक कर्मचारियों की छंटनी की गई है और अब तक कितनों को उस के बदले में दूसरी नौकरी मिली है ? यदि जुलाई १९५७ के अन्त तक की संख्या न बताई जा सके तो कम से कम जून १९५७ के अन्त तक की संख्या ही बता दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया :** सितम्बर, १९५६ के बाद से प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों से छंटनी किये गये असैनिक कर्मचारियों की संख्या ५,३५६ है और जिन्हें सितम्बर, १९५६ से जून १९५७ के बीच फिर से नौकरी दी गयी उन की संख्या ३,४०४ है ।

†**श्री अजित सिंह :** मैं जानना चाहता हूं कि उन में से जो निकाले गये हैं कितने आदमी ऐसे हैं जिन्हों ने दस साल से ज्यादा सर्विस (नौकरी) की है और जिन को कि डिस्चार्ज करते (निकालते) समय ग्रेचुएटी दी (उपदान दिया गया) गई थी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का संबंध केवल निकाले गये कर्मचारियों की संख्या से ही नहीं है, वरन् उन लोगों की संख्या से भी है जिन्हें फिर से नौकरी दी गई है; ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जोर निकालने पर नहीं वरन् उन कर्मचारियों की संख्या पर दिया गया है जिन्हें फिर से नौकरी दी गई है । यदि मंत्री महोदय इस का उत्तर दे सकें तो दे दें ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताना तो कठिन है जिन्हें दस वर्ष की नौकरी के बाद निकाल दिया गया है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उन को जो उपदान पाने का हक था वह दिया गया है । वे निवृत्तिवेतन पाने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि उस के लिये कम से कम १५ वर्ष की नौकरी होनी चाहिये ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर में वे कौन से कारण हैं जिन की कि वजह से इन कर्मचारियों को हटाया गया है ?

†**श्री रघुरामैया :** कार्यभार का अनुमान लगाने पर उन को हमारी आवश्यकता से अधिक पाया गया था और यही उन की छंटनी होने की वजह है ।

पकड़ा गया सोना

†*४४९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने १९५७ के आरम्भ के बाद से अब तक कुल कितने मूल्य का सोना पकड़ा है; और

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि के भीतर पकड़े गये सोने की तुलना में यह कितना बैठता है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) स्थल सीमा-शुल्क अधिकारियों ने वर्ष १९५७ में जून के अन्त तक जितना सोना पकड़ा है उस की कीमत लगभग बत्तीस लाख (३२,००,०००) रुपये है ।

(ख) यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के भीतर पकड़े गये सोने की कीमत के तिगुने से भी अधिक है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या ३२,००,००० रुपये की कीमत के सोने के पकड़े जाने की शानदार रेकाड से तस्कर-व्यापार में किसी प्रकार की कमी आयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** यदि हम को तस्कर व्यापार के ठीक-ठीक परिणाम का पता होता तो हम ने सब को ही पकड़ लिया होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि देश की जनता के एक बहुत बड़े वर्ग का यह ख्याल है कि सरकार तस्कर व्यापार को रोकने के लिये प्रभावकारी कार्यवाही नहीं कर रही है, क्योंकि यह निरन्तर बढ़ता जा रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो राय देने की बात होगी ।

†**श्री कासलीवाल** : सोने की जब्ती के सिलसिले में इस वर्ष कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और इन में से कितने भारतीय राष्ट्र-जन हैं और पाकिस्तानियों सहित कितने विदेशी राष्ट्र-जन हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

†**श्री कासलीवाल** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि ३२,००,००० रुपये की कीमत का सोना पकड़ा गया । क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि पकड़ा गया सोना न पकड़े गये सोने का कितना प्रतिशत है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कौन बता सकता है कि कितना सोना नहीं पकड़ा गया है ।

†**श्री कासलीवाल** : संभवत: उन को यह अनुमान हो सकता है कि लगभग कितना सोना नहीं पकड़ा गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हरेक को अपना अलग अलग ख्याल हो सकता है; मंत्री का एक ख्याल होगा और माननीय सदस्य का कुछ और ख्याल हो सकता है ।

†**श्री रंगा** : उन का कुछ तो अनुमान होगा ही । उन से कम से कम यह आशा तो की ही जाती है कि उन्हें हमारी अपेक्षा यह ज्यादा अच्छी तरह मालूम होगा कि इतना सोना जा रहा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह जानकारी इस प्रकार की होगी जिस पर यह सभा कुछ कार्यवाही करने या उसी प्रकार का कुछ कार्य करने के लिये विश्वास कर सके ?

†**श्री रंगा** : वह कुछ भी हो, हमें उन से उत्तर तो मिल ही जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इस आरोप में कुछ भी सचाई है कि जहां तक तस्कर व्यापार का सम्बन्ध है, यह अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर चलाया जा रहा है, और यदि हां, तो इस के ऐजेन्टों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि इसे शुरू ही में कुचला जा सके ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कि कोई केन्द्रीय संगठन कार्य कर रहा है । ऐसे कई संगठन हैं जो इस काम में लगे हैं और हमें इस बात की कुछ अस्पष्ट सी जानकारी है कि वे कहां से कार्य करते हैं । समय समय पर हम किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाने में सफल हो जाते हैं जिस का यहां से सम्बन्ध हो । हाल ही में हमने इसी तरह के कुछ मामलों का पता लगाया है । लेकिन हमें इस बात का ठीक ठीक पता नहीं है कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय दल है या कोई एक दल है जो इस काम में लगा है ।

कई माननीय सदस्य उठे —

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने के क्रम के बारे में मुझे एक अनुरोध करना है । इस बात को पहले स्पष्ट कर लिया जाना चाहिये । मुझे उन सदस्यों को पुकारना है जो बोलना शुरू कर देते हैं या

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों को प्रतीक्षा करनी चाहिये और मेरे पुकारने के बाद ही बोलना चाहिये ? माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें; यह तो उन्हें करना ही पड़ेगा हालांकि मुझे इस बात का खेद है कि उन्हें बार-बार खड़ा होना पड़ता है। माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सभी ओर दृष्टिपात कर उन्हें पुकारने का प्रयास करूंगा, लेकिन जब तक किसी सदस्य-विशेष का नाम पुकार न लिया जाये तब तक उन्हें बोलना आरम्भ नहीं करना चाहिये और तब भी केवल उसी सदस्य को बोलना चाहिये सभी को नहीं। यही अनुरोध है।

†**श्री सूपकार :** मैं एक कठिनाई बताऊं ? जब तक कोई सदस्य "क्या मैं जान सकता हूं . या ऐसी ही कोई बात नहीं कहता तब तक अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करना कठिन होता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला दूं कि मैं ऐसे दबाव के सम्मुख झुकने वाला नहीं हूं। मैंने देखा है कि माननीय सदस्य तीन ढंग से दबाव डालते हैं। वे अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, बोलने लगते हैं और कुछ तो अपने हाथ भी उठा देते हैं। मैं इन दबावों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। यह देखना मेरा कर्त्तव्य है कि कौन अनुपूरक प्रश्न पूछने को उत्सुक है। माननीय सदस्यों को इसके लिये चिंतित होने की जरूरत नहीं, इस सब का ध्यान मैं खुद रख लूंगा।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को पता है कि समाचार पत्रों में इस आशय के आरोप लगाये गये हैं कि पंजाब में सोने के कुछ तस्कर व्यापारियों को इसलिये नहीं पकड़ा जाता कि उनका कुछ राजनीतिक दलों अथवा राजनीतिक संघों से संबंध है ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** राजनीतिक नेताओं से।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** हमने ये आरोप देखे हैं।

†**श्री च० द० पांडे :** क्योंकि स्टर्लिंग में सोने के भावों में रुपयों में सोने के भावों में बहुत अन्तर है जिसका आवश्यक परिणाम यह होता है कि सोने का तस्कर व्यापार किया जाता है, और क्योंकि उन देशों में बिल्कुल तस्कर व्यापार नहीं होता जिन में स्टर्लिंग-भावों और स्थानीय भावों में अन्तर नहीं होता, इसलिये क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि सोने के स्टर्लिंग भावों में रुपयों में सोने के भावों में अन्तर न रहे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह एक अच्छा सुझाव है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा निर्धारित मूल्यों पर मुक्त रूप से सोना मंगा कर ही स्थिति में सुधार किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पास काफी विदेशी मुद्रायें नहीं हैं। यदि कभी विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी स्थिति ऐसी रही जिस में हम मुक्तरूप से सोना मंगा सकें तो माननीय सदस्य के सुझाव का ध्यान रखा जायेगा।

†**श्री सूपकार :** क्या सरकार ने इस आरोप के बारे में जांच कराई है कि पंजाब के एक मंत्री का लड़का भी सोने के तस्कर व्यापार में लगा हुआ है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** प्रान्तीय क्षेत्रों में विशेष व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये ये आरोप इस प्रकार के होते हैं जिन से हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। हमारा संबंध केवल इस बात से है कि जिस भी व्यक्ति पर तस्कर-व्यापारी होने का संदेह हो उस की निगरानी रखी जाये और उस के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री सूपकार उठे—

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या जांच की गयी है—और उस में उस का उत्तर निहित है —"नहीं" ।

†श्री साधन गुप्त : कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में इस बात का बड़ा रोमांचक वर्णन आया था कि अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यथा 'इंटरपोल' किस प्रकार टेलीफोटो कैमरों आदि की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर तस्कर व्यापार करने वालों का पता लगाने में सहायता पहुंचाता है । क्या 'इंटरपोल' से हमें इस प्रकार की कोई सहायता प्राप्त हो रही है और यदि नहीं, तो क्यों ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे इस का पता लगाना पड़ेगा कि यह है क्या । ज़हां तक मेरा संबंध है, मेरा ख्याल है मुझे इन सब बातों की उतनी जानकारी नहीं है जितनी सामने बैठे माननीय सदस्य को ज्ञात प्रतीत होती है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निर्माण-भत्ता

+

†*४५०. श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के कारखानों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निर्माण भत्ता मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस से कितने श्रमिकों को लाभ होगा; और

(ग) तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये यह भत्ता क्यों नहीं मंजूर किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ६८८

(ग) यह भत्ता तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भी दिया जाता है ।

राजस्थान में तांबे की खानें

*४५१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अलवर (राजस्थान) क्षेत्र में कुछ पुरानी तांबे की खानें हैं और यदि हां, तो क्या सरकार उन से खनिज निकालने के लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहती है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी हां । इस क्षेत्र में लगभग आधी दर्जन पुरानी खान हैं । भारतीय खनि विभाग आजकल इस क्षेत्र का विस्तृत पूवक्षण कर रहा है । पूर्वेक्षण से जो परिणाम प्राप्त होंगे उन के आधार पर यह फैसला किया जायेगा कि इस क्षेत्र में खनिज निकालने के लिये आगे बढ़ना सम्भव है या नहीं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कृपया इस का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ दें । माननीय सदस्यों को इस की आवश्यकता है ।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां का तांबा अच्छी क्वालिटी का है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : किस्म के बारे में ठीक-ठीक बताना तो कठिन होगा लेकिन कुछ पुरानी पुरानी खानों में धातु-अन्तर्वस्तु[1] .३७ प्रतिशत से .९४८ प्रतिशत के बीच पायी जाती है। कुछ अच्छे नमूनों में १० प्रतिशत तक धातु-अन्तर्वस्तु पायी गयी है; एक नमूने में १९ प्रतिशत की अधिकतम धातु-अन्तर्वस्तु पायी गयी है। यह तो पता लगा है कि वहां खनन योग्य किस्म का अयस्क है लेकिन अलग अलग किस्मों का अनुमान लगाना अभी शेष है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या तांबे की खानों का उपयोग करने के लिये सरकार कोई कम्पनी बनाने वाली है और क्या.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक बार में केवल एक ही "क्या" होना चाहिये।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इस से पहले कि हम यह निश्चय करें कि कोई गैर-सरकारी कम्पनी बनायी जाये या इसे सरकारी क्षेत्र में मिला लिया जाये, कुछ और जांच करनी आवश्यक होगी।

†**श्री कासलीवाल** : मंत्री महोदय को स्मरण होगा कि जयपुर में खेत्री क्षेत्र में तांबे के अच्छे निक्षेप पाये गये थे जिन का उपयोग जयपुर माइनिंग कम्पनी ने किया था। क्या वही कम्पनी या सरकार द्वारा बनायी जाने वाली अन्य कोई कम्पनी इन खानों को भी चलायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ने यह नहीं कहा कि हम कोई कम्पनी बनाने वाले हैं; इसलिये, यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वें० प० नायर** : देश के भीतर के स्रोतों से कितना तांबा प्राप्त होता है और हमारे देश की कितनी मांग देश के भीतर होने वाले उत्पादन से पूरी होती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

†**श्री बोस** : क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि इन खानों को पहले कब चलाया गया था और कब और क्यों छोड़ दिया गया ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस के लिये तो लम्बे इतिहास का पता लगाना होगा। यदि पृथक पूर्व सूचना दी जाये तो मैं यह जानकारी एकत्र करने का प्रयास करूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे प्रश्न-काल में नहीं किया जा सकता।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या इस ताम्र-अयस्क में यूरेनियम अयस्क भी होने की संभावना है ? राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में खनन आरम्भ करने पर यूरेनियम निकला था। क्या इस में भी यूरेनियम के पाये जाने की संभावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं अनुमान लगाने का दुस्साहस नहीं करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Metal-content

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष

†*४५३. **श्री नौशीर भरूचा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका और रूस अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष के दौरान में जिन कृत्रिम गृहों की स्थापना करने वाले हैं क्या भारत के किसी केन्द्र से उन की गति का अवलोकन किया जायेगा। और यदि हां, तो इस के लिये क्या व्यवस्था की गयी है; और

(ख) क्या भारत, अमरीका, रूस, ब्रिटेन या अन्य किसी देश के बीच इस आशय का कोई समझौता है कि भू-भौतिकीय वर्ष के दौरान में होने वाली सैद्धान्तिक गवेषणा के सिलसिले में किये गये प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का परस्पर आदान-प्रदान किया जाये ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: (क) जी हां। अमरीका और रूस द्वारा स्थापित किये जाने वाले कृत्रिम गृहों की गति का अवलोकन नैनीताल की उत्तर प्रदेश सरकार की राजकीय वैधशाला से किया जायेगा। वहां अमरीका की एस्ट्रोफिजिकल आब्जर्वेटरी द्वारा उधार दिये गये उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा ।

(ख) जी नहीं। लेकिन ये आंकड़े सभी देशों और वैज्ञानिकों को उपलब्ध होंगे।

†**श्री नौशीर भरूचा**: भू-भौतिकीय वर्ष के दौरान में अपने अंशदान के रूप में भारत किन प्रमुख समस्याओं के संबंध में कार्य अपने हाथ में लेगा ?

†**श्री म० मो० दास** : भारत के कार्यक्रम में ऋतु-विज्ञान,[१] जियो-मैग्नेटिज्म, उषस्,[२] एयर-ग्लोब, अयनमण्डल[३], सौर गतिविधि[४], ब्रह्माण्ड रश्मियां[५], अक्षांश और देशान्तर रेखायें, समुद्र-विज्ञान, राकेट और कृत्रिम-गृह, भूकम्प विज्ञान[६] और भूम्याकर्षण के माप[७] संबंधी जांच शामिल है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : इन समस्याओं के बारे में ३१ दिसम्बर, १९५८ तक हमें कुल कितना व्यय करना पड़ेगा ?

†**श्री म० मो० दास** : जहां तक भारत सरकार का संबंध है, उन को अपने साधारण व्यय से एक पाई भी अधिक व्यय नहीं करनी होगी। यह व्यय उन विभिन्न संगठनों को करना होगा जो यह जांच करेंगे ।

†**श्री सूपकार** : उन देशों के राजनीतिक पिछलग्गुओं का क्या होगा? क्या उन की भी निगरानी की जायेगी ?

†**श्री म० मो० दास** : मैं नहीं समझता कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

†**श्री भक्त दर्शन** : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि नैनीताल की वैधशाला में इस की व्यवस्था की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस के लिये पूरी तरह से तैयारियां हो गई हैं और जिन यंत्रों की इस के लिये आवश्यकता है क्या उन सब को उपलब्ध कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Meteorology. [२]Aurora. [३]Ionosphere. [४]Solar Activity. [५]Cosmic Rays. [६]Seismology. [७]Gravity measures.

श्री म० मो० दास : नैनीताल की वैधशाला कृत्रिम गृहों के रास्तों का अवलोकन करने के लिये बनाई गई है। इस प्रयोजन के लिये वहां अतिरिक्त कर्मचारी नहीं रखे जायेंगे। वर्तमान कर्मचारी ही इस काम को कर लेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : इस समस्या का निपटारा करने के लिय क्या कोई नया अभिकरण बनाया गया है या वह पुराना अभिकरण ही इसका निबटारा कर देगा ?

†**श्री म० मो० दास :** किसी विशेष समस्या की जांच की नहीं जानी है : यह तो केवल वैज्ञानिक जांच को अन्तर्राष्ट्रीय मान पर बढ़ाया और विकसित किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष में की जाने वाली जांच के लिये १९५३ में भारत की एक राष्ट्रीय समिति बनायी गई थी।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या ये कृत्रिम-गृह भारत के ऊपर से भी हो कर गुजरेंगे और भारत में ये किन-किन स्थानों से देखे जा सकेंगे ?

†**श्री म० मो० दास:** मेरा ख्याल है कि कृत्रिम ग्रहों में से कुछ भारत के ऊपर से भी होकर गुजरेंगे। इनके मार्ग का अवलोकन करने के लिये नैनीताल की वधशाला को मैं यह नहीं कह सकता कि उसे अभी पूरी तरह सुसज्जित किया जा चुका है या नहीं——उन उपकरणों से सुसज्जित कर लिया गया है जिनको अमरीका की एस्ट्रोफिजिकल प्रयोगशाला से उधार लिया गया है।

†**श्री राधा रमण :** अवलोकन करने के लिये भारत में कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**श्री म० मो० दास :** सामान्य मौसम केन्द्रों के अलावा ऐसे ६० केन्द्र और चुने गये हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष के दौरान में जाँच-कार्य करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है....

उपाध्यक्ष महोदय : फिर कोई और समय तलाश करें।

राजाओं की निजी थैलियां

\+

*४५५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० ज० राव :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री २९ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन किन राजाओं ने राष्ट्रीय योजना ऋण में कितना कितना धन लगाया है;

(ख) अब तक किन किन राजाओं ने अपनी निजी थैलियों से अपने अपने इलाकों के विकास में कितना-कितना धन लगाने की इच्छा प्रकट की है; और

(ग) इस कार्य में तेजी लाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) यह पहले ही कहा जा चुका है कि कुछ राजाओं ने राष्ट्रीय योजना ऋण में धन लगाया और कुछ उन के राज्यों में हो रहे विकास कार्यों के लिये कुछ रुपया देने की इच्छा प्रकट की है। इस से अधिक सूचना देना लोक हित में कि नहीं होगा ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या हमें कुछ संकेत.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिले तो यह हो सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि यह विषय बहुत महत्व का है और कई वर्षों से इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन से कारण हैं जिन की वजह से इस में विशेष प्रगति नहीं हो पाई है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : उम्मीद है जिन्हों ने अभी तक नहीं दिया है शायद आगे दे दें ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है कि माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी अपने व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा राजा महाराजाओं को इस के लिये रजामन्द कर सकेंगे ?

पंडित गो० ब० पन्त : सुना नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: क्या प्रधान मंत्री और मंत्री महोदय शासकों को धन देने के लिये राजी कर लेंगे ?

पंडित गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के मैम्बरों का भी असर होगा और हम लोगों की कोशिश भी शायद बेकार न हो ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या भूतपूर्व शासकों ने अपनी निजी थैलियों में से कुछ कटौती स्वीकार कर लेने की इच्छा प्रकट की है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी हां । कुछेक ने ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : किस किस ने ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : १० प्रतिशत तक । शासकों में से कुछ ने ।

†**श्री वें० प० नायर**: मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का ख्याल है कि इन बातों को प्रगट नहीं किया जा सकता । क्या यह बताना लोक-हित में होगा कि इन शासकों ने कुल कितना रुपया लगाया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह इतना नहीं है जो आपको हतप्रभ बनादे ।

†**श्री वें० प० नायर** : हम उत्तर चाहते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री वें० प० नायर** : हम अपनी फिक्र कर सकते हैं । हम हतप्रभ नहीं होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : हम हतप्रभ नहीं होंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोगों का ध्यान तो रखना ही होगा ।

†**श्री खाडिलकर** : इन शासकों के पास कितने मूल्य की आस्तियां हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां हमारा संबंध केवल उस राशि से है जो उन्होंने दी है ।

†**श्री खाडिलकर**: यदि हमें उन के पास मौजूद आस्तियों का पता लग जाये तो हम यह हिसाब लगा लेंगे कि उन्होंने कितने प्रतिशत रुपया लगाया है ?

†**श्री नाथ पाई** : मेरा प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जा चुका है । लेकिन मैं इसे और अप्रत्यक्ष रूप से पूछना चाहता हूं । क्या इस शब्द "कुछ" को थोड़ा और स्पष्ट किया जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमारे नियम ४१ के अधीन एक नियम यह भी है कि उसी प्रश्न को दूसरे रूप में नहीं पूछा जा सकता है । क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं यह बात कह रहे हैं कि वे उसे दूसरे रूप में पूछ रहे हैं, मैं उस की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : शासकों ने अपनी निजी थैलियों में १० प्रतिशत की कटौती स्वीकार करने का जो प्रस्ताव किया है क्या उस के अतिरिक्त कुछ शासकों ने हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दो वर्ष पहले भेजे गये पत्र के जवाब में कूछ भी अपनी निजी थैलियों में कुछ कुछ कटौती करना स्वीकार किया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न में हमारा संबंध संभवतः भिन्न ही स्थिति से है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

†**श्री तंगामणि** : कुल निजी थैलियों की तुलना में उस की कितनी प्रतिशत राशि लगायी गयी है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : हम ने इस का हिसाब तो नहीं लगाया है । लेकिन यह बहुत अधिक नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर** : यह है कितनी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को मालूम है कि यदि उत्तर न मिलता हो तो मैं उन की सहायता नहीं कर सकता हूं । अगला प्रश्न ।

आदिम जातियों के लोगों का पुनर्वास

†*४५६. **श्री दशरथ देब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिम जातियों के बहुत से लोगों ने स्वतन्त्रता से पहले त्रिपुरा के आदिम जातीय सुरक्षित क्षेत्रों में भूमि का कृष्यकरण कर के उस पर अधिकार कर लिया था, और उन में से कुछ लोगों के पास ऐसी कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है जिस से वे उस अधिकृत भूमि का वैध स्वामित्व प्राप्त कर सके;

(ख) क्या यह सच है कि वे यद्यपि कई वर्षों से उस भूमि पर काम कर रहे हैं तो भी प्रामाणिक दस्तावेजों के अभाव में सरकार इस समय उस भूमि पर उन का अधिकार नहीं मान रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस भमि के सम्बन्ध में उन लोगों को स्वामित्व प्रदान करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) आदिम जाति के उन सम्बन्धित लोगों से यह कहा जा रहा है कि वे भूमि के स्वामित्व की दस्तावेज प्राप्त कर लें और ये दस्तावेज उन सभी लोगों को दिये जा रहे हैं जो उस भूमि पर कुछ समय से हैं ।

†**श्री दशरथ देब** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वतन्त्रता से पूर्व तत्कालीन त्रिपुरा नरेश द्वारा उन आदिम जातियों के लोगों को बिना किसी दस्तावेज के भूमि के कृष्यकरण के लिये प्रोत्साहन दिया गया था, और उन लोगों ने उस का कृष्यकरण किया हैं और उस पर अपना अधिकार रखा है तो भी आज केवल दस्तावेज के अभाव में उन्हें उस भूमि से निकाला जा रहा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : भाषण देने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री दशरथ देब**: क्या सरकार निष्कासन को एक दम रोक देने और उस भूमि के अधिकार को नियमित कर देने वाला एक अध्यादेश जारी करने के विषय में विचार करेगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरा विचार यह है कि वे अविलम्ब ही स्वत्व पत्र के लिये आवेदन भेजें । जिन के पास दावे हैं उन्हें वे पत्र अवश्य मिलेंगे ।

†**श्री दशरथ देब** : क्या मैं जान सकता हूं ——

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप का प्रश्न भाषण के समान न हो । मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूं । प्रश्न संक्षिप्त और सार रूप में हों । उत्तर भी तब ही वैसा होगा ।

†**श्री दशरथ देब** : परन्तु समस्या जटिल है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस के भी कई तरीके होते हैं । जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है वे संक्षिप्त तथा सार रूप में होने चाहियें ।

†**श्री दशरथ देब** : इस कोटि के अन्तर्गत आदिम जाति के कितने लोग आते हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : किस कोटि में ?

†**श्री दशरथ देब** : वे लोग जिन के भूमि पर स्वामित्व को अभी तक नियमित नहीं किया गया है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : कौन सी भूमि पर ?

†**श्री दशरथ देब** : आदिम जाति के लोगों द्वारा कुछ भूमि पर अधिकार किया गया था। परन्तु उस के स्वामित्व को अभी तक नियमित नहीं किया गया है ।

†***पंडित गो० ब० पन्त** : उन्हें यह कहा गया है कि वे स्वत्व पत्र के लिये आवेदन भेजें । यदि उन में से सभी .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे तो उन मामलों की संख्या पूछ रहे हैं जिन की भूमि अभी तक नियमित नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे संख्या के बारे में ीक ठीक ज्ञान नहीं है। यदि वे सभी लोग स्वत्व विलेखों के लिये आवेदन पत्र भेजें तो उन की सख्या का पता लग सकेगा। उन्हें यह काम तो बिना देरी के एक दम करना चाहिये। हम चाहते हैं कि वे स्व व विलेख एक दम प्राप्त कर लें।

†**श्री दशरथ देब** : क्या यह सच नहीं है कि भूमि के कुछ भाग, जो कि पहले आदिम जाति के लोगों के अधिकार में थे, अन्य लोगों को दे दिये गये हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे उस बारे में ज्ञान नहीं है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या जो लोग स्वत्व विलेखों के लिये आ ेदन करेंगे उन्हें स्वत्व विलेख प्रदान करने का निर्णय होने तक उस भूमि से अलग नहीं किया जायेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : ो भी लोग स्वत्व विलेखों के लिये आवेदन पत्र भेजेंगे, यदि उन का अधिकार वैध हुआ, तो उन्हें स्वत्व विलेख दे दिये जायेंगे।

†**श्री साधन गुप्त** : तत्क्षण दे दिये जायेंगे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी, हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री दशरथ देब।

†**श्री जाधव** : त्रिपुरा में कितने लोगों ने अनधिकृत प्रवश किया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक अनिश्चित और अस्पष्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न।

†**श्री दशरथ देब** : क्या मैं जान सकता हूं कि---

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब मैं ने माननीय सदस्य को बुलाया था, वे उ नहीं। अब मैं उन्हें कैसे अनुमति दे सकता हूं ?

न्यायालय

*४५७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में न्यायालयों की छुट्टियों की संख्या में कमी कर के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की छुट्टियों का प्रश्न विचाराधीन है। अन्य न्यायालयों से राज्य सरकारें ही पूर्ण रूप से सम्बन्धित हैं।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रजी में भी पढ़ा गया]

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी छोटी सी बात को कि छुट्टियां कम कर दी जायें सरकार को इतने समय तक विचाराधीन रख में क्या फायदा है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : यह बात इतनी छोटी नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य समझ रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : दीवानी न्यायालयों और फौजदारी न्यायालयों में दी जाने वाली छुट्टियों में इतना अधिक अन्तर क्यों है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मामला अभी विचाराधीन है, परन्तु जहां तक इन प्रांतीय मामलों का प्रबन्ध है, केन्द्र का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

†**श्री राधा रमण** : छुट्टियां कम करने और न्यायालय में पड़े हुए मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने के विषयों पर विचार करने के लिये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उच्च-न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों का सम्मेलन बुलाने के लिये क्या कोई तिथि निश्चित की गयी है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति उच्चन्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों का सम्मेलन बुलाने के इस सुझाव से सहमत हो गये हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी, हां ।

†**श्री वें० प० नायर** : यह बात देखते हुए भी कि लगभग बहुत से दीवानी न्यायालयों में बहुत सा काम बकाया पड़ा हुआ है, फिर भी दीवानी न्यायालयों में फौजदारी न्यायालयों की अपेक्षा अधिक छुट्टियां करने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जहां तक केरल राज्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह तो उस राज्य सरकार से पूछा जाये और अन्य राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न उन राज्य सरकारों से पूछे जायें ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उच्च-न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं, क्या सरकार इन न्यायालयों में दी जाने वाली लम्बी छुट्टियां कम करने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : सरकार इस पर विचार कर रही है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि सभी राज्यों में लगभग सभी दीवानी अदालतों में बहुत सा काम बकाया पड़ा हुआ है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त**: निःसन्देह काम बकाया पड़ा हुआ है, परन्तु वे न्यायालय राज्य सरकारों के अधीन हैं और केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं ।

†**श्री हेडा** : न्यायालयों में और अन्य सरकारी कार्यालयों में दी जाने वाली छुट्टियों में कितना अन्तर है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जैसा मैं ने बताया है, ये सभी मामले राज्य सरकारों के अधीन हैं और केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को छोड़ कर अन्य सभी कार्यालय उन राज्य सरकारों के अधीन ह, वे उन्हीं के निदेशों के अनुसार काम करते हैं, वे ही उन के लिये छुट्टियां निश्चित करते हैं, न कि हम ।

मिनिकाय को स्टीमर सेवा

†* ५८. **श्री मणियंगाडन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार मिनिकाय और केरल के अन्य तटवर्ती द्वीपों तथा मुख्य भूमि के बीच एक नियमित स्टीमर सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का रूप क्या है ?

मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) अच्छे मौसम में अर्थात् अक्तूबर से अप्रैल तक मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच एक मास में दस दिन का ट्रिप लगाने वाला एक जहाज भाड़े पर लेने का विचार है ।

†**श्री मणियंगाडन** : यह कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह इसी अक्तूबर में प्रारम्भ हो जाना चाहिये ।

पैट्रोलियम

†*४५९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंगाल में पैट्रोलियम के लिये छेदन कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जी, हां । स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी ने १९५७ में बरद्वान में प्रयोगात्मक रूप में छेदन प्रारम्भ किया था और अब वह सूराख लगभग ७,७०० फुट तक पहुंच गया है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इन सभी कार्यों के पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : तेल की खोज होने पर ही कालावधि निश्चित की जा सकेगी ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या अभी तक कोई अच्छे परिणाम निकले हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अभी तक तो तेल का कुछ पता नहीं लगा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा राज्य विधान सभा में की गयी इस घोषणा की ओर आकृष्ट किया गया है कि वे 'स्टानवक' के तत्वाधान में कलकत्ता में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने वाले हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: मैं ने अभी तक वह वक्तव्य नहीं देखा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस के लिये कोई और स्थान भी चुना गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी, हां । ज्वालामुखी में भी प्रयोगात्मक छिद्रण किया जा रहा है ।

†**श्री कासलीवाल** : बंगाल में इस कम्पनी को कार्य चलाने के लिये कुल कितनी भूमि दी गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : १०,००० वर्ग मील ।

वाइपीन द्वीपों में खनिज तेल

†*४६०. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भूतपूर्व कोचीन सरकार ने तत्कालीन केन्द्रीय सरकार को वाइपीन द्वीपों में खनिज तेल तथा पैट्रोल की विद्यमानता के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई है; और

मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या केरल राज्य में वाइपीन द्वीपों में खनिज तेल की विद्यमानता की खोज करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या १९४० में एक जर्मन विशेषज्ञ ने भूतपूर्व कोचीन सरकार को उस राज्य में तेल निकालने की संभावना के बारे में एक रिपोर्ट दी थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ने जो उत्तर दिया है वह जांच पर ही आधारित है। हमें इस प्रकार की तो कोई जानकारी नहीं मिली है, परन्तु जर्मन विशेषज्ञ, डा० शार्ट और डा० राइटर की, जो कि त्रिवेन्द्रम के उत्तर में वरकलाय और क्विलौन क्षेत्रों में, तथा अन्य राज्यों में भी गये थे, यह राय थी कि पश्चिमी घाट पर तलछट इतना पतला है कि वहां पर तेल की संभावना हो ही नहीं सकती ।

कानूनी राय पर व्यय

*४६३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के मुकदमा लड़ने तथा कानूनी राय लेने के खर्च पहले सालों की अपेक्षा बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस खर्च को कम करने के लिये क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) खर्च के तुलनात्मक आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं और मैं उन्हें विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों से एकत्र कर रहा हूं ।

किन्तु यह प्रतीत होता है कि सरकार का मुकदमे लड़ने का खर्च बराबर बढ़ रहा है ।

(ख) यह प्रतीत होता है कि खर्च के बढ़ने का मुख्य कारण सरकार के खिलाफ मुकदमों में और विशेषतया उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में रिट पेटीशनों के रूप में मुकदमों की वृद्धि है ।

(ग) मुकदमों पर कम खर्च करने के उपाय विचाराधीन हैं ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह बात सही है कि बहुत से दीवानी मामलों में सरकार का जितना पावना रहता है, उस से ज्यादा उस को मुकदमा लड़ने में खर्च करना पड़ता है और क्या ऐसे मुकदमों में कचहरी के बाहर आपसी समझौते से मामला तय करने के पहलू पर सरकार ने विचार किया है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जी, हां; हम निश्चय ही उस पर विचार कर रहे हैं और मुकदमेबाजी पर किये जाने वाले खर्च में कमी करने की सभी संभावनाओं पर उचित विचार किया जा रहा है ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि बहुत से दीवानी मामलों का इतनी सहानुभूतिहीन ढंग से निर्णय किया जाता है कि न्याय अन्य पार्टी के पक्ष में किया जाता है और सरकार को हानि उठानी पड़ती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० कु० सेन : यह तो अपने अपने मत की बात है, परन्तु यदि इस प्रकार का कोई मामला हमारे ध्यान में लाया जाय तो हम उसे अपने विधि आयोग के पास अवश्य निर्देशित करेंगे ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : श्री अनिरुद्ध सिंह ने पूछा है कि क्या यह सच है कि दीवानी मामलों में सरकार की जितनी आय होती है, उस से ज्यादा उस का खर्च हो जाता है । क्या मंत्री जी इस से सहमत हैं ?

†श्री अ० कु० सेन : यह ठीक है कि सरकार को सदा अधिक प्राप्ति की ही आशा करनी चाहिये, परन्तु मैं यह नहीं समझता कि वे उत्तरदायी वकील जिन्हें सरकार की ओर से मुकदमा लड़ाने का काम सौंपा जाता है, कोई अधिक राशि की मांग करेंगे ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिये—जिनमें राज्य सरकारों के मामले भी सम्मिलित हैं—यह विशेष संस्था केन्द्र में स्थापित की गई थी तथा क्या राज्य सरकारें उस का लाभ उठा रही हैं या इस तरह के मामलों का निपटारा करने के लिये उनकी अलग व्यवस्था है ?

†श्री अ० कु० सेन : यह केन्द्रीय संस्था वास्तव में दिल्ली के न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के मामलों में सहायता करती है । जहां तक उच्च न्यायालयों में मुकदमे चलाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के तंत्र[9] के द्वारा ही कुछ विशेष प्रकार के मुकदमे लड़ने का प्रबन्ध किया हुआ है । जहां तक कलकत्ता और बम्बई का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार का एक बम्बई में और एक कलकत्ता में अभ्यर्थी[10] है । ये अभ्यर्थी सरकार की ओर से चलाये जाने वाले मामले और सरकार के विरुद्ध आये हुए लेख्यों[11] को निपटाते हैं । हम कोई ऐसे उपाय सोच रहे हैं जिन से राज्यों में इस प्रकार के मुकदमों पर होने वाला खर्च घटाया जा सके और हम इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श भी कर रहे हैं ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने लेख्य याचिकाओं[12] की संख्या बढ़ जाने का उल्लेख किया है, क्या सरकार ने संख्या की वृद्धि के कारणों की जांच की है ?

†श्री अ० कु० सेन : कारण है मूल अधिकार और अन्य अधिकार तथा उन्हें लागू करने के लिये विभिन्न उच्च न्यायालयों को दी गई शक्ति ।

†श्री पट्टाभिरामन : क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न राज्यों में वकीलों को दिये जाने वाले शुल्क में बड़ा भारी अन्तर है और क्या वह इस दिशा में भी एकरूपता लाने का प्रयत्न करेगी ?

†श्री अ० कु० सेन : जब तक वकील वकील में अन्तर है, तब तक उन के शुल्क में एकरूपता लाना बहुत कठिन है ।

†श्री त्रि० कु० चौधरी : क्या मंत्री यह बता सकते हैं कि क्या शुल्कों की दरें भी बढ़ रही हैं ?

†श्री अ० कु० सेन : सरकार प्रायः अत्यन्त उचित दरों पर ही शुल्क देती है, सिवाय उन के—

†श्री त्रि० कु० चौधरी : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि वे उचित हैं या अनुचित । संभव है कि वे उचित हों, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या उन की दरें बढ़ रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[9]Machinery
[10]Solicitor
[11]Writ
[12]Writ Petitions.

†**श्री अ० कु० सेन** : जी नहीं, वे नहीं बढ़ रही हैं। बल्कि कुछ वर्ष पूर्व जब कई ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये थे जिन में सरकारी वकीलों को बहुत अधिक शुल्क दिये गये थे, तो प्रधान मंत्री ने एक निदेश जारी किया था। उस में यह कहा गया था कि यदि वकीलों को किसी विशेष सीमा से अधिक राशि दी जाये तो उस के लिये सम्बद्ध मंत्रालय से पहले ही से अनुमति ले ली जाये और ऐसे मामले प्रधान मंत्री के ध्यान में एकदम लाये जायें।

इंफ्लुएंजा महामारी

†*४६४. **श्री वें० प० नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग से सरकारी कर्मचारियों के बीमार हो जाने के कारण सरकारी काम में कितने जन घंटों की हानि हुई; और

(ख) क्या उस रोग से बीमार होने वाले कर्मचारियों को छट्टी आदि देने अथवा इसी प्रकार की अन्य सुविधायें देने की ओर केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष ध्यान दिया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) सरकारी कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना और केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सहायता) नियमों के अधीन डाक्टरी सहायता दी गई। इन्फ्लुएंजा के रोगी सभी सरकारी कर्मचारियों को आकस्मिक तथा नियमित छुट्टियां उदारतापूर्वक दी गईं। कोई अन्य विशेष सुविधा नहीं दी गई।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार ने उन रोगी कर्मचारियों को भी आकस्मिक छुट्टियां दी हैं जिनकी आकस्मिक छट्टियां पहले ही समाप्त हो गयी थीं, क्योंकि बीमार होने में उनका अपना कोई दोष नहीं था ?

†**श्री दातार** : तो उस स्थिति में, अन्य प्रकार की छुट्टियां दी गयी हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : किस प्रकार की छुट्टियां ?

†**श्री दातार** : बीमारी की छुट्टियां।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार जब पीलिया का रोग दिल्ली में फैला था उस वक्त भी भारत सरकार के कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधायें नहीं दी गई थीं और जो साधारण छुट्टियां मिलती हैं, वही उनको प्रदान की गई थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि कर्मचारियों को विशेष सुविधायें दी जायें और जो छुट्टियां वे लेते हैं, उनको उनकी कैजुअल लीव में न जोड़ा जाए ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : आगे को कर्मचारी बीमार ही नहीं पड़ेंगे।

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों का वेतन

*४६५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन की शेष धनराशि अभी तक नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका भुगतान कब तक किये जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री म० मो० दास): (क) और (ख). इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई हैं और मुख्य कमिश्नर ने अन्य बातों के साथ-साथ इस विषय की देख-भाल करने के लिये भी एक समिति नियुक्त की है।

†**श्री नवल प्रभाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह समिति अपने निर्णय कब तक दे देगी ?

†**श्री म० मो० दास** : समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, और जानकारी—

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट देगी, यह प्रश्न है।

†**श्री म० मो० दास** : मैं नहीं जानता कि समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी।

†**श्री नवल प्रभाकर** : क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली राज्य शिक्षक संघ ने एक प्रस्ताव पास कर यह तय किया है कि "स्कूल जाओ और न पढ़ाओ" ?

†**श्री म० मो० दास** : जहां तक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन की अदायगी और सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के बारे में प्राप्त शिकायतों का सम्बन्ध है, उन्हीं के लिये यह समिति नियुक्त की गयी है और वह उनकी जांच कर रही है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रश्न यह था कि क्या शिक्षकों ने यह निर्णय किया है कि वे स्कूलों में जायें परन्तु पढ़ायें नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सम्भवतः प्रश्न को ठीक प्रकार से नहीं समझा गया था, परन्तु प्रश्नकर्ता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की है। दिया गया उत्तर प्रश्न के अनुसार नहीं था। प्रश्न यह था कि क्या शिक्षकों ने यह निर्णय किया था कि वे स्कूलों में जायें परन्तु पढ़ायें नहीं ?

†**श्री म० मो० दास** : हमें यह नहीं पता कि क्या उन्होंने वास्तव में यह निर्णय किया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि कुछ गैर-सरकारी स्कूलों में अध्यापकों से रजिस्टर पर अधिक राशि के लिए हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं जब कि वास्तव में उन्हें आधी ही राशि दी जाती है ?

†**श्री म० मो० दास** : इस सभा में जब शिक्षा-मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी उस समय भी इसी प्रकार की एक शिकायत की गई थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो क्या उन्होंने लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया है ?

†**श्री स० च० सामन्त** : क्या इस समिति को उन शिक्षकों के मामले भी सौंप दिए गए हैं जिन्हें ऊंचे वेतन क्रम देने का आश्वासन दिया गया था अर्थात वे मामले जो कि चार वर्षों से अधिक समय से बकाया पड़े हुए हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : इस के लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : इस समिति के निर्देश पद निम्नलिखित हैं :—गैर-सरकारी स्कूलों के संसाधन, शिक्षकों को वेतनों की अदायगी, उनकी सेवा अवधि की सुरक्षा, आय तथा व्यय के अनुमोदित तथा अननुमोदित मद, रक्षित निधि, उन स्कूलों की सभी दशाओं, विशेष कर संगठन की दृष्टि से, सामान्य रूप से सुधार करने के लिए तरीकों तथा उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देना।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन शिक्षकों को वेतन प्राप्त करने में इतनी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या सरकार उन्हें सीधे ही वेतन देने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

†श्री म० मो० दास : गत मार्च मास में दिल्ली शिक्षक संस्था से यह रिपोर्ट आई थी कि १५ संस्थाओं ने अपने शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं दिया है । जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि क्योंकि यह संस्थाएं अनुदान सहायता के नियमों और विनियमों का उचित प्रकार से पालन न कर सकी थीं, इसलिए सरकार द्वारा इन्हें दिये जाने वाले अनुदान बन्द कर दिए गए थे । अब हम ने इन नियमों विनियमों को उदार बनाने और इन संस्थाओं को शीघ्र ही अनुदान सहायता देने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है । अतः उन अध्यापकों को वेतन मिल गया है ।

परन्तु और भी कई शिकायतें आईं । अतः मामले की जांच करने के लिए भारत सरकार के परामर्श के अनुसार दिल्ली के मुख्यायुक्त ने एक समिति नियुक्त की है जिसकी प्रधान इस सभा की एक सदस्या श्रीमती सुचेता कृपालानी हैं । यह समिति इन सभी शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कर रही है ।

अन्वीक्षाधीन[13] कैदियों का भाग जाना

†*४६६. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ जुलाई, १९५७ को दिल्ली जेल से दो अभियोगाधीन कैदी भाग निकले;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच की गई थी;

(ग) उनके भागने का कारण क्या था; और

(घ) क्या इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विचाराधीन कैदी ने जेल वार्डर की चाबियां चुराकर वहां पर नियुक्त कर्मचारी की दृष्टि बचाकर दरवाजा खोल लिया । यह कर्मचारी अपराधियों में से ही नियुक्त किया गया था ।

(घ) जी हां । कैम्प जेल के बाहरी दरवाजे में दोनों ओर ताले लगा दिये गये हैं और कीलें मजबूती से जकड़ दी गई हैं । अन्य दरवाजों पर भी आवश्यकतानुसार ऐसी ही कार्यवाही की गई है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या भागे हुए कैदी पुनः गिरफ्तार कर लिये गये हैं अथवा अभी भी लापता हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[13]Undertrial

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : वे दोनों ही तीन दिन के भीतर पुनः गिरफ्तार कर लिये गये; एक उसी तीन तारीख को और दूसरा पांच तारीख को।

†**श्री राधा रमण** : क्या पहले गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति इस जेल को देखने जाती थी किन्तु बाद में यह बन्द कर दी गई है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : एक समिति पुनः बनाई जा रही है।

†**श्री सूपकार** : पिछले सत्र में इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में हमें बताया गया था कि डा० रेक लेस के परामर्श के अनुसार दिल्ली जेल को अन्य जेलों की अपेक्षा अधिक आरामप्रद बनाया जा रहा है। फिर ऐसा कर देने पर ये कैदी क्यों भाग गये ?

†**श्री राधा रमण** : क्या सम्बन्धित जांच पूरी हो गई है और यदि हां तो क्या रिपोर्ट उपलब्ध है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : विभागीय जांच पूरी हो गई है और कुल जेल अधिकारियों पर अभियोग चलाये जायेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ४६७. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी।

†**श्री गोरे** : श्री द्वि दी ने पत्र लिखा है कि.......

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सूची पूरी हो जाने पर उसे देखेंगे।

नावीय संग्रहालय, बम्बई

†*४६८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में नावीय संग्रहालय की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : नौसेना ने ना िय अभिरुचि की वस्तुएं संग्रह करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। ये सब वस्तुएं आजकल बम्बई स्थित नावीय प्रतिष्ठापन में रखी गई हैं। नावीय और इंजीनीयरिंग कालेज, बम्बई ने भी, जो परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन है, संग्रहालय के लिये कुछ वस्तुएं एकत्रि त की हैं।

नौसेना तथा नावीय और इंजीनीयरिंग कालेज, बम्बई द्वारा वस्तुएं संग्रह करने का कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक कि संग्रहालय के लिये उनकी उपयुक्त मात्रा होकर समुचित भवन उपलब्ध हो जायेगा ताकि ोनों संग्रह उसमें भेजी जा सकें।

राष्ट्रीय भविष्य निधि न्यास

†*४६९. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राष्ट्रीय भविष्य निधि न्यास की स्थापना का प्रस्ताव

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†मल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) मैं कुछ दिनों से इस विषय पर विचार कर रहा हूं कि गैर सरकारी सुरक्षा निधि के रूप में एकत्रित रकम किसी निश्चित नियम के अनुसार रखी जाये तथा अन्य कार्यों के लिये उसका प्रयोग न हो सके ।

(ख) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या इन प्रस्तावों पर विचार करते समय इस प्रस्तावित न्यास की व्यवस्था में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने का कोई इरादा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह अभी नहीं कहा जा सकता है । हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि विभिन्न भविष्य निधियों को एकत्रित किस प्रकार किया जाये । सरकारी तथा रेलवे भविष्य निधियों को छोड़कर गैर सरकारी भविष्य निधि लगभग ४० करोड़ रु० की है और हम अन्य वर्गों में भी भविष्य निधि का विस्तार करना चाहते हैं । सम्पूर्ण भविष्य निधियों को एक व्यवस्था के अधीन कर देने के पश्चात् ही न्यास और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों आदि के बारे में विचार किया जायेगा ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : इस न्यास के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में क्या विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से परामर्श किया जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हमें इस विषय पर कुछ और सोचना पड़ेगा । संभव है कि यह विशुद्ध सरकारी संगठन न रहे; यह भी हो सकता है कि कुछ गैर सरकारी अधिकारी भी इस में सम्मिलित करने पड़ें । इसके लिये प्रादेशिक संगठनों की स्थापना आवश्यक हो सकती है । यह केन्द्रीय संगठन नहीं हो सकता भले ही किसी प्रकार के केन्द्रीय नियंत्रण का उपबन्ध किया जा सकता है । अभी कुछ भी कहना समय से पूर्व है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिये कोई उपसमिति स्थापित की गई है अथवा क्या इस पर विभागीय परीक्षण किया जा रहा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: हम यह सब जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जानकारी प्राप्त हो जाने पर यदि आवश्यकता प्रतीत हुई तो हम माननीय सदस्य द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया स्वीकार कर सकते हैं और यदि यह समस्या सरल प्रतीत हुई तो एक विधेयक का मसौदा तैयार कर उसे विचार के लिये सभा के समक्ष रख दिया जायेगा । और विश्वास है कि सभा स्वयं अथवा प्रवर समिति की सहायता से इसके उपबन्धों पर विचार करेगी ।

नई कोयला खानों पर काम आरम्भ करना

†*४७०. **श्री मतीन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) ३० अप्रैल, १९५६ को औद्योगिक नीति संकल्प प्रकाशित होने के पश्चात् नई कोयला खानों पर काम आरम्भ करने के लिये कोयला बोर्ड द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या;

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र में कितने आवेदनकर्ताओं की प्रार्थनाएं स्वीकृत हुई हैं; और

---

†अतः अंग्रेजी में

(ग) सरकारी क्षेत्र में कितने आवेदन-प स्वीकृत हुए हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) २१ ।

(ख) ७ ।

(ग) २ ।

गांधी महापुराण

†*४७१. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २७ जुलाई, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विषय में अब कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) अनुदान की प्रार्थना स्वीकृत नहीं की गई ।

श्री सूपकार : क्या इस कार्य के लिये हमें किसी व्यास मुनि की खोज करनी पड़ेगी ?

†**श्री म० मो० दास** : प्रश्न समझ में नहीं आया ।

†**श्री संगण्णा** : प्रार्थना अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : बहुधा इस प्रकार के अनुदान मंत्री की स्वविवेकीय निधि से दिये जाते हैं । यह मंत्री महोदय के स्वविवेक पर निर्भर है । हम ने उड़ीसा सरकार से इस पुस्तक के स्टैण्डर्ड के बारे में पूछा था और यह भी मालूम किया था कि क्या उड़ीसा सरकार ने इसके प्रकाशन के लिये कुछ वित्तीय सहायता दी है । उड़ीसा सरकार ने उत्तर दिया कि उन्हें पुस्तक का स्टैण्डर्ड समीचीन दिखाई नहीं देता है और वे न किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखते हैं । अतः केन्द्रीय सरकार ने भी यह प्रार्थना अस्वीकृत कर दी ।

†**श्री संगण्णा** : क्या इस "पुराण" की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ?

†**श्री म० मो० दास**: १८ पर्व में से केवल एक पर्व प्रकाशित किया गया है और मुझे स्मरण नहीं कि यह संसद् पुस्तकालय में भेजा गया है अथवा नहीं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अन्य व्यक्तियों को यह स्वविवेकीय अनुदान प्रदान करते समय क्या सम्बन्धित राज्य मंत्रालयों से परामर्श किया जाता है ?

†**श्री म० मो० दास** : मेरा विचार है कि इसके लिये निर्धारित प्रक्रिया है । किन्तु यह स्वविवेकीय अनुदान है जो मंत्री के स्वविवेक पर अवलम्बित है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : उड़ीसा सरकार के अतिरिक्त क्या उड़ीसा की किसी गैर-सरकारी संस्थाने भी इसके प्रकाशन की सिफारिश की है और यदि हां, तो यह जानने के लिये क्या प्रयत्न किया गया है कि यह पुस्तक सरकार द्वारा प्रकाशन करने के लिये उपयुक्त है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० मो० दास** : इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री राधा रमण** : कितनी रकम मांगी गई थी और इस योजना की लागत कुल कितनी है ?

†**श्री म० मो० दास** : पुस्तक लेखक ने भारत सरकार से ३०,००० रुपये की मांग की थी । इस प्रकार के मामलों में सामान्यतया हम उतनी ही रकम देते हैं जितनी राज्य सरकार द्वारा दी गई है । इस मामले में उड़ीसा सरकार पुस्तक प्रकाशन के लिये कुछ भी देने के लिये तैयार नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस विषय पर निर्णय करने के पूर्व क्या साहित्य अकादमी और विशेष रूप से उड़ीसा के सदस्य से इसका निर्देश किया गया था ?

†**श्री म० मो० दास** : जी नहीं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये आयुक्त

†*४७३. **श्री सिदय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसुचित जाति और अनुसुचित आदिम जाति आयुक्त ने संविधान के अनुच्छेद ३८८ के अधीन छठा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री सिदय्या** : क्या प्रतिवेदन सभा के समक्ष इस सत्र में रखा जायेगा ?

†**श्रीमती आल्वा** : प्रतिवेदन अभी गृह-कार्य मंत्री को दिया गया है । परीक्षण कर लेने पर यह सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह सच है कि आयुक्त ने यह प्रतिवेदन जनवरी में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रतिवेदन को सभा के समक्ष रखने और उस पर चर्चा करने में सदैव इतना विलम्ब क्यों होता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : किस वर्ष की जनवरी ?

†**श्री तिम्मय्या** : इस वर्ष ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह सही प्रतीत नहीं होता है कि प्रतिवेदन जनवरी में प्रस्तुत किया गया था । सभा पटल पर रखने के पूव उसे छापा जायेगा और टिप्पण के लिये इसे राज्य सरकारों के पास भेज दिया जायेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या माननीय मंत्री इस बात की वांछनीयता पर विचार करेंगे कि प्रति वर्ष बजट सैशन के पहले ही यह प्रतिवेदन प्राप्त कर संसद् के समक्ष रख दिया जाये ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे संदेह है कि क्या छापेखाने से इतनी जल्दी प्रतियां मिल सकेंगी । किन्तु यदि वे उपलब्ध हो सकीं तो उन्हें सभा पटल पर रखने में मुझे प्रसन्नता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी** : जिन लोगों को इस में रुचि है उन्हें तो इसकी प्रतियां अवश्य दी जायें ।

†**श्री सोनावने** : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातिआयुक्त की १९५५ के प्रतिवेदन पर सभा द्वारा कब चर्चा की जायेगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह निर्णय करना सभा का कार्य है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इस सत्र में कौन से प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मैं अगले प्रश्न के पुकारे जाने के पहले ही खड़ा हो गया था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि गलती भी हो गई हो तो भी माननीय सदस्य को फिलहाल सत्र ही करना चाहिये । अच्छी बात है । वह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : कार्यक्रम में बताया गया है कि आयुक्त के प्रतिवेदन पर इस सभा में विचार किया जायेगा । क्या यह पांचवां अथवा छठा प्रतिवेदन है जिस पर विचार किया जायेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : पिछले वर्ष सभा पटल पर प्रतिवेदन रखा गया था । अभी इस पर चर्चा नहीं की गई है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मेरे ख्याल में नये सदस्यों को उसकी प्रतियां नहीं मिली हैं । क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की प्रतियां सम्भरित करेगी ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यदि प्रतियां उपलब्ध हुई तो सम्भरित कर दी जायेंगी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यह कैसे सम्भव होगा कि.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य प्रश्न पूछे ही चले जा रहे हैं । मैं अगला प्रश्न पुकार चुका था, तो भी मैं ने उन्हें एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी । फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा । अब वह तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं । अब मैं अनुमति नहीं दे सकता । अगला प्रश्न ।

पैट्रोलियम की खोज

†*४७४. **श्री ज० रा० मेहता** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैसलमेर में तेल की खोज के लिये किसी फ्रांसीसी ठेकेदार से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) विदेशी ठेकेदारों की मार्फत यह काम कराने का प्रस्ताव छोड़ देने का निर्णय किया गया है ।

मूल अंग्रेजी में

†**श्री ज० रा० मेहता** : इन क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य किन एजेंसियों को सौंपा गया है और अभी तक क्या परिणाम हुआ है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रतिकूल विदेशी मुद्रा की स्थिति को दृष्टिगत करते हुए यह प्रस्ताव परित्यक्त कर दिया गया है । इसका एक कारण यह भी है कि सरकार ने अपने उपकरण खरीद लिये हैं और अब स्वयं ही सर्वेक्षण करने की स्थिति में है । जो कार्य किया गया है उसका उत्तर विस्तृत है और यदि पृथक् प्रश्न पूछा गया तो और जानकारी देने का प्रयत्न किया जायेगा ।

†**श्री कासलीवाल** : विदेशी ठेकेदारों द्वारा इस कार्य को कराने के विचार को तिलाञ्जलि देने के पश्चात् क्या अब तेल तथा प्राकृतिक संसाधन विभाग इस दिशा में कार्यवाही करेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या जो कुछ कार्य कर लिया गया है उसके लिये विदेशी कम्पनियों को कुछ दिया गया है और यदि हां, तो यह रकम कितनी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि कुछ रकम दी गई है क्योंकि अभी केवल बातचीत चल रही थी । मेरी जानकारी के अनुसार विशेष रकम नहीं दी गई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चोरी का माल

*४४६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने अब इस बात की व्यवस्था की है कि जो माल अथवा सम्पत्ति चोरों से प्राप्त होती है उसे निजी तौर पर नीलाम किये जाने की अपेक्षा सूची बनाकर प्रकाशित किया जाया करेगा ताकि सम्बन्धित व्यक्ति पुलिस स्टेशनों पर जा कर अपना माल वापस ले सकें;

(ख) यह व्यवस्था कब से लागू है; और

(ग) इस व्यवस्था से जनता को क्या लाभ हुए हैं अथवा होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). परीक्षा के तौर पर दिल्ली पुलिस ने समाचार पत्रों में उन साइकिलों और अन्य पहिचानने योग्य चीजों की दो सूचियां, पहली १६ जून को और दूसरी १४ जुलाई १९५७ को प्रकाशित कीं, जो उन के पास बहुत दिनों से लावारिस पड़ी थीं । इसके परिणामस्वरूप कुछ चीजों पर व्यक्तियों नें उनके अधिकारी होने का दावा किया जो उनके मालिकों को वापस दे दी गईं । पुलिस ऐसी चीजों को नीलाम नहीं करती है ।

(ग) इस व्यवस्था से यह सूविधा होगी कि पुलिस को प्राप्त हुई चीजें उनके मालिकों को वापस मिल जाया करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला धोने के कारखाने

†*४४८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरगाली के अतिरिक्त दो और कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव अन्तिम स्थिति में पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) क्या कारखानों का प्रतिष्ठापन कार्य किसी विदेशी फर्म को सौंपा जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां । पहला कारखाना बोकारो/करगाली और झरिया कोयला क्षेत्र के बीच डुगडा में स्थापित किया जायेगा । यह रूरकेला और भिलई इस्पात कारखानों को संभरण करेगा । दूसरा कारखाना पाथरडीह के निकट होगा और अधिकांशत: इण्डियन आयर्न एण्ड स्टील वर्क्स को सम्भरित करेगा ।

(ग) डुगडा में कारखाने के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये हैं । धुलाई के संयंत्र भारत में नहीं बनते हैं । किन्तु संयंत्र के संभरण तथा उसकी स्थापना का कार्य किसी को भी दिया जाये उसे भारतीय सामान का अधिकतम परिमाण प्रयुक्त करना होगा ।

[प्रतिनियुक्त अधिकारी[४]

†*४५२. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से प्रशासनिक अधिकारी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति स्वरूप भेजने की प्रार्थना की है;

(ख) कितने राज्यों ने अपने अधिकारियों की सेवाएं केन्द्र को ऋण स्वरूप देने की स्वीकृति दी है; और

(ग) क्या इस व्यवस्था से प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के खर्च में कमी होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम के अन्तर्गत, जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ के अधीन बनाये गये हैं और संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे गये हैं, राज्यों के संवर्ग में केन्द्र में अधिकारियों की निर्धारित संख्या में प्रतिनियुक्ति का उपबंध है । राज्य सरकारों के कार्यों में विस्तार के परिणाम-स्वरूप उन्हें इन नियमों के अन्तर्गत अधिकारियों को केन्द्र के लिये मुक्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है । इस मामले पर हाल में राज्य सरकारों से बातचीत की गई तथा उन्होंने अपने आभार की पूर्ति के लिये यथासम्भव प्रयत्न करने की सहमति दे दी है ।

(ग) राज्य सरकारों से केन्द्र में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एक सुप्रचलित प्रबन्ध है । इसमें वर्तमान नियमों में परिवर्तन करने अथवा खर्च का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिये किया गया है कि (क) केन्द्र के अधिकारियों को राज्य और जिले के व्यावहारिक प्रशासन का अनुभव हो और (ख) राज्य के अधिकारियों को केन्द्रीय प्रशासन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[४]Officers on deputation.

प्रादेशिक भाषायें

*†४५४. **श्री महन्ती** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए अब योजना तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†***शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: (क) तथा (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

मनीपुर प्रशासन में अतिवयस्क[15] अधिकारी

†*४६१. **श्री ले० अचौ० सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर प्रशासन में विभागीय प्रमुखों और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के घोषित[16] अधिकारियों में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अतिवयस्कता के बाद इस समय पुनः नियोजित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : प्रथम श्रेणी २

द्वितीय श्रेणी ३

उपरोक्त पदाधिकारियों में से एक थम श्रेणी का पदाधिकारी तथा एक द्वितीय श्रेणी का पदाधिकारी विभागों के प्रमुखों के रूप में कार्य कर रहा है ।

अभ्रक की खानें

†*४६२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कटक जिले के कुसुमरपुर गांव में अभ्रक की नई खानों का पता लगा है;

(ख) क्या उस क्षेत्र का अच्छी तरह से सवक्षण कर का प्रस्ताव है; और

(ग) इस क्षेत्र में कितना अभ्रक उपलब्ध होन की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]**

भारतीय विमान बल की सैनिक गाड़ियां

†*४६७. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल की सभी गाड़ियों[17] पर हाल ही में फिर से रंग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो फिर से रंग करन का प्रयोजन क्या था; और

(ग) स काम पर कितनी रकम खर्च हुई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[15]Superannuated.

[16]Gazetted.

[17]Field vehicles.

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). जी, नही । गाड़ियों पर सा ारणतया जब कभी भी आवश्यक होती है तभी रंग किया जाता है । पहिले विमान बालकी अधिकांश गाड़ियों पर नीला रंग किया गया था । मापीकरण के लिए इन गाड़ियों पर धीरे धीरे फ र से हरा रंग किया जा रहा है ।

(ग) इस काम पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है ।

भारत का राज्य बैंक

†*४७२. श्री न० रा० मनिस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के राज्य बैंक की कुल जमा राशि और पेशगियों[१८] की राशि कितनी थी; और

(ख) यदि उनमें कुछ वृद्धि हुई है तो कितनी ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). २८ जून, १९५७ को भारत के राज्य बैंक की कुल जमा राशि तथा अग्रिम धन की राशि क्रमशः ३१६ करोड़ रुपये और १८३ करोड़ रुपये थी जबकि २४ जून, १९५५ को भारत के इम्पीरियल बैंक की यही रकमें क्रमशः २०८ करोड़ रुपये और ११६ करोड़ रुपये थीं जिस से क्रमशः ५२ प्रतिशत तथा ५८ प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है ।

भारत का राज्य बैंक

*४७५. श्री भ० दी० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य बैंक में हिसाब खोलने तथा लेन देन के लिये हिन्दी में आवश्यक फार्म अभी तक उपलब्ध नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यद्यपि भारत राज्य बैंक ने हिसाब खोलने के लिए हिन्दी में फार्म नहीं छापे हैं, कुछ अन्य फार्म अंग्रेजी न जानने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रादेशिक भाषाओं में छापे गये हैं ।

(ख) भारत राज्य बैंक एक अखिल भारतीय संस्था है और अब तक उसमें मुख्यतः एक ही भाषा अर्थात अंग्रेजी में काम होता रहा है । जैसे ही देश में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा इस प्रथा में धीरे धीरे परिवर्तन आ जायगा । फिर भी प्रश्न में कही गयी बात को ध्यान में रखा जायेगा और जब हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के फार्मों की मांग काफी बढ़ जायगी तो इन्हें इन भाषाओं में भी छापा जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१८Advances.

राष्ट्रीय नाट्यशाला[१९]

†*४७६. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नाट्यशाला के निर्माण पर होने वाले खर्च का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रकम खर्च होगी;

(ग) क्या योजना, डिज़ाइन, आदि का ब्योरा प्राप्य है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण शुरू हो जायेगा; और

(ङ) क्या योजना आयोग द्वारा योजना की मंजूरी दी जा चुकी है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, हां ।

अनुसूचित जातियों के लिये रक्षण[२०]

†*४७७. श्री क० उ० परमार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत सरकार के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के कुल कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं;

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों के पदाधिकारी कितने हैं;

(ग) क्या प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधान उनके लिए रक्षित प्रतिशतता के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

जिप्सम निक्षेपों का सर्वेक्षण

†*४७८. श्री म० दा० माथुर : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जिप्सम निक्षेपों का सर्वेक्षण किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

१९National Theatre.

२०Reservation.

(ख) यदि हां, तो प्राप्य मात्रा कितनी है और वर्तमान उपभोग को देखते हुए यह कितने वर्षों के लिए पर्याप्त होगी;

(ग) क्या कहीं अन्यत्र जिप्सम के नये निक्षेपों की खोज करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो कहां पर खोज की गई है और खोज का परिणाम क्या है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान में जिप्सम के कुल निक्षेपों का प्राक्कलन १३ करोड़ टन है । उपयोग की वर्तमान मात्रा को देखते हुए ये निक्षेप लगभग १५० वर्षों के लिए पर्याप्त होंगे ।

(ग), जी, हां ।

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र, जम्मू तथा काश्मीर और बम्बई राज्यों में जिप्सम की खोज करने के लिए उपबन्ध किया गया है ।

विश्वविद्यालय में तीन वर्ष का स्नातकीय पाठ्यक्रम

*४७९. {श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में स्नातकीय शिक्षा के लिये तीन वर्ष का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर शिक्षा शास्त्रियों तथा अन्य विशेषज्ञों की क्या रायें हैं;

(ख) तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में कौन-कौन से विशेष लाभ हैं, जो कि वर्तमान प्रणाली में नहीं हैं और विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ होगा; और

(ग) किन किन विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम का स्वागत किया है और कौन-कौन से विश्वविद्यालय इसके विरुद्ध हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) सामान्यतः शिक्षा शास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि विश्वविद्यालयों में तीन साला उपाधि पाठ्यक्रम लागू किया जाय ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

भावनगर में तेल शोधक कारखाना

†*४८०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २७ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक फ्रांसीसी सार्थ के साथ मिल कर भावनगर में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : प्रवर्तकों[२१] से जो अतिरिक्त ब्योरा मांगा गया है उस की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

इस्पात का आयात

†*४८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १६ मई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में इस्पात के आयात का कार्यक्रम क्या है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस्पात के आयात के सम्बन्ध में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १९५७-५८ में देश में सरकारी ठेकों तथा वाणिज्यिक लाइसेंसों दोनों के ही द्वारा लगभग १५ लाख टन इस्पात विदेशों से मंगवाया जायेगा ।

१९५८-५९ में आयात के लिये कार्यक्रम अभी विचाराधीन है ।

(ख) १९५७ में लगभग १२० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च होगी ।

विदेशी भाषाओं के प्रतिष्ठित साहित्य[२२] का अनुवाद

†*४८२. **श्री महन्ती** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनेस्को के तत्वावधान में भारतीय प्रतिष्ठित साहित्य को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किये जाने के लिये क्या प्रादेशिक भाषाओं का ख्याल रखा गया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : जी, हां ।

सुधार सेवाओं[२३] के लिये केन्द्रीय ब्यूरो

†४८३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अपराधियों को फिर से अच्छे नागरिकों का सा जीवन बिताने के योग्य बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय में सुधार सेवाओं के लिये एक केन्द्रीय ब्यूरो स्थापित किया जा रहा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : आदर्श जेल पुस्तिका[२४] का प्रारूप तैयार करने के लिये जो समिति स्थापित की गई थी सरकार ने उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया है । उन के प्रतिवेदन पर विचार किये जाने और अपेक्षित कार्यवाही की जाने के बाद ही यह ब्यूरो कुछ लाभदायक काम कर सकने की स्थिति में होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२१]Promoters.

[२२]Classics.

[२३]Central Bureau for Correctional Services.

[२४]Model Jail Manual.

विश्वविद्यालयों में भौमिकी में प्रशिक्षण

†*४८४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय विश्वविद्यालयों में भौमिकी में प्रशिक्षण के लिये कुल कितने विद्यार्थियों के लिये व्यवस्था है ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में विश्वविद्यालयों में से पास हो कर निकलने वाले भौमिकी में स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों की कुल संख्या का अनुमान क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) भौमिकी[२५] में एम० एससी० के पाठ्यक्रम के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को दाखिले की वार्षिक क्षमता इस समय लगभग १९५ है ।

(ख) अनुमान है कि द्वितीय योजना की अवधि समाप्त होने पर भौमिकीं में एम० एससी० परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग २५० होगी । जहां तक स्नातकों का सम्बन्ध है अपेक्षित जानकारी तुरन्त ही प्राप्य नहीं है ।

बाल पुस्तक न्यास[२६]

†*४८५. **श्री राधा रमण :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी ऐसी योजना को अनुमोदित किया है जिस के अधीन देश के बच्चों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये उपयुक्त साहित्य निकालने या प्रकाशित करने के प्रयोजन से एक बाल पुस्तक न्यास को काम करना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और इस पर कितनी रकम खर्च होगी ; और

(ग) उसे कब शुरू किया जायेगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**.

अभ्रक

†*३४०. **श्री वे० प० नायर :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भ्राजाभ्रक[२७] कुल कितनी मात्रा में प्राप्य है, अन्तर्देशीय खपत के लिये कितनी मात्रा अपेक्षित है और वार्षिक निर्यात कितना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[२५]Geology.

[२६]Children's Book Trust.

[२७]Phlogopite Mica.

(ख) इस समय भारत में अभ्रक की इस किस्म के मुख्य उपयोग क्या हैं ; और

(ग) भ्राजाभ्रक के मूल्य की तुलना अभ्रिज[1] से किस प्रकार की जा सकती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अब तक निक्षेपों का कभी अनुमान नहीं लगाया गया है। देश में इस की कोई खपत नहीं है और इस समय इस का बिल्कुल निर्यात नहीं हो रहा ।

(ख) इस समय भारत में भ्राजाभ्रक उपयोग नहीं किया जाता ।

(ग) १९५० के बाद से भ्राजाभ्रक का उत्पादन नहीं हुआ है । १९५० में तुलनात्मक कीमत इस प्रकार थी :—

भ्राजाभ्रक—२२.७० रुपये प्रति हंडरवेट ।

अभ्रिज—१५५.०० रुपये प्रति हंडरवेट ।

भाषाओं का अध्ययन

†**३४१. श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा पदाधिकारियों द्वारा संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये नियम बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार द्वारा नियमों का एक प्रारूप तैयार किया गया है और राज्य सरकारों को, उन के सोच विचार के लिये उसे भेज दिया गया है ।

(ख) क्योंकि अभी नियम प्रारूप के ही रूप में हैं, इसलिये इस प्रक्रम पर उन की मुख्य विशेषतायें बताना सम्भव नहीं है ।

छात्रावासों के निर्माण के लिये ऋण

†**३४२. श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जून, १९५७ तक विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों के निर्माण के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग तथा औद्योगिकीय संस्थाओं को ब्याज मुक्त ऋणों की कुल कितनी रकम को मंजूरी दी गई थी और अदायगी की गई थी ; और

(ख) मद्रास राज्य में ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितनी रकम दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Muscovite Mica.

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: (क) तथा (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २९]**.

प्रतिरक्षा सामग्री[१९]

†३४४. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ और १९५६-५७ में विदेशों से कितने मूल्य की प्रतिरक्षा सामग्री खरीदी गई थी ;

(ख) इसी अवधि में देश में ही कुल कितनी कीमत का सामान खरीदा गया था ; और

(ग) विदेशी क्रय में तुरन्त तथा प्रभावी मितव्ययता के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) विदेशों से खरीदी गई प्रतिरक्षा सामग्री की कीमत इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
१९५५-५६	२६६२·६६ + १०४८·५४ = ३७११·२०
१९५६-५७	४२४४·१५ + १३५४·७७ = ५५९८·९२ (मार्च, १९५७ तक संकलित खर्च)

(ख) देशीय क्रय उस सामग्री के सम्बन्ध में किया जाता है जो इस देश में ही निर्मित होती है तथा जो इस देश में प्राप्य है परन्तु विदेश में निर्मित की जाती है। इस सामग्री का मूल्य इस प्रकार है :—

	वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
देशीय सामग्री		
	१९५५-५६	२६४७.६१
	१९५६-५७	२७०४.०७*

(ग) सरकार केवल विशेष प्रकार का उपकरण, सुरक्षा सामग्री तथा अन्य ऐसी मदों को ही विदेश से मंगवाने के लिये प्रतिरक्षा सामग्री का आयात करती है जो देश में से ही प्राप्त न की जा सकती हों या जो युद्ध-सामग्री कारखानों में निर्मित न की जा सकती हों । तथापि विदेशों से मंगवाई जाने वाली प्रतिरक्षा सामग्री की सूची को सरकार यह मालूम करने के लिये सदैव जांच करती रहती है कि उन में से किस सामान को देशीय उत्पादन/निर्माण द्वारा तैयार किया जा सकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

*मार्च, १९५७ तक संकलित खर्च ।

[१९]Defence Stores.

विदेशी क्रय को कम करने के लिये युद्ध-सामग्री कारखानों के संयंत्र तथा मशीनों के आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्थापन का और कुछ कारखानों की क्षमता बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ।

कुछ ऐसी वस्तुओं के, जो अब तक विदेशों से मंगवायी जाती थीं, निर्माण का विकास करने के लिये प्रौद्योगिक विकास संस्थायें गैर-सरकारी उद्योग की सहायता कर रही हैं । अधिकतम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये देशीय उत्पादन को बढ़ाने के समस्त प्रश्न पर विचार करने के सम्बन्ध में हाल ही में क उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है ।

उड़ीसा में समाज कल्याण सेवायें

†३४५. **श्री बै० च० मलिक : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उड़ीसा में प्रत्येक समाज कल्याण संस्था को सहायक अनुदान रूप में कितनी रकम दी गई थी ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उड़ीसा में समाज कल्याण सेवाओं के विकास के लिये क्या लक्ष्य नियत किया गया है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास): (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी ी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०].**

(ख) आशा है कि द्वितीय योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य के प्रत्येक जिले में औसत से चार कल्याण विस्तार परियोजनायें कार्य कर रही होंगी । स्वयंसेवक कल्याण संस्थाओं को अनुदान देने के लिये राज्यवार कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है

उड़ीसा के विद्यार्थियों को हिन्दी छात्रवृत्तियां

†३४६. **श्री बै० च० मलिक : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में हिन्दी में उच्च अध्ययन के लिये केन्द्र द्वारा उड़ीसा राज्य के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं ;

(ख) इसी अवधि में इस प्रयोजन से कुल कितनी रकम की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं ; और

(ग) १९५७-५८ के लिये यदि कोई अभ्यंश नियत किया गया है तो वह क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) दो ।

(ख) अभी तक कोई रकम नहीं दी गई है क्योंकि जिन दो विद्यार्थियों को चुना गया था उनमें से एक विद्यार्थी एक संस्था में भर्ती हो गया है और उसे भुगतान करने के लिये विहिताचार[30] पूरे किये जा रहे हैं । दूसरा विद्यार्थी अभी भर्ती नहीं हुआ है ।

(ग) १९५७-५८ के लिये अभी तक अभ्यंश नियत नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[30]Formalities

राजस्थान में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†३४७. **श्री ओंकार लाल** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में राजस्थान में कितने हाई तथा हायर सैकण्डरी स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित किया जायेगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : एक, श्रीमान्।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के आय कर पदाधिकारी

†३४८. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में कितने आय कर पदाधिकारी तथा निरीक्षक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के आय कर पदाधिकारियों, निरीक्षकों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

	अनुसूचित जातियां	पिछड़े हुए वर्ग
आय कर पदाधिकारी	एक	शून्य
निरीक्षक	दो	शून्य
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	२१	५

भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवा

†३४९. **श्री ओंकार लाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा १९५६-५७ में भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के कितने उम्मीदवार चुने गए थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उमीदवारों के संबंध में अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ष	भारतीय प्रशासन सेवा		भारतीय पुलिस सेवा	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१९५६	१	१	३	१
१९५७	५	—	१०	१

†**मूल अंग्रेजी में**

अन्य व्यक्तियों के लिए कोई रक्षित स्थान नहीं हैं और न ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त अन्य किसी के संबंध में ऐसी जानकारी प्राप्त है।

निवृत्त सेना पदाधिकारी

†३५०. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ जुलाई, १९५७ को पूछे गए तारांकित प्रश्नों संख्या १०२ और ११० के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवृत्त पदाधिकारियों के स्थान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की कमी के क्या कारण है ;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रतिनिधान किया गया है कि निवृत्त पदाधिकारियों का पुनः नौकरी में रखा जाना उनके हितों के लिए हानिकर है जो पदोन्नति के उम्मीदवार होते हैं, और

(ग) निवृत्त अधिकारियों के पुनः नौकरी में रखे जाने में कितना अतिरिक्त व्यय होता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) केवल निवृत्त अधिकारियों के स्थान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। परन्तु अधिकारियों की निवृत्ति से होने वाली रिक्तताओं के अतिरिक्त बहुत सी अन्य रिक्तियां सेना में आद्योपान्त कमी के कारण भी हैं। इस कारण निवृत्त/मुक्त अधिकारियों को फिर से नौकरी में रखना आवश्यक हो गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी तक जिन निवृत्त/मुक्त अधिकारियों के पुनः नौकरी में रखे जाने की मंजूरी दी गई है उन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है क्योंकि अनेक प्राधिकृत पद अभी भी रिक्त पड़े हैं।

आंध्र का राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड

†३५१. **श्री मं० वें० कृष्ण राव :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ और १९५६-५७ के दौरान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश के राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड को कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ख) प्रदान किया गया धन किन योजनाओं पर व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: (क) १९५५-५६—१,८४,५१३ रु० १५ आ०; १९५६-५७—२,९१,३९७ रु० १२ आ०;

(ख) कल्याण विस्तार योजनाओं और राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड के प्रशासन पर।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में निश्चित समय से अधिक ठहरने वाले व्यक्ति

†३५२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून और जुलाई, १९५७ महीनों के दौरान में कितने व्यक्ति बिना वैध पारपत्रों के भारत में प्रवेश करने के कारण दंडित किए गए; और

(ख) उसी अवधि के दौरान में कितने व्यक्तियों ने अपनी कारावास की अवधि की समाप्ति पर पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनूसूचित जातियों का कल्याण

†३५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री पंजाब में दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए केंद्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड के कार्यक्रम का ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड केवल सलाहकारी संस्था है, अस्तु उसके कोई भी कार्यकारी कृत्य नहीं हैं। तदनुसार पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए उसका अपना कोई कार्यक्रम नहीं है।

दिल्ली में अपराध

†३५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिल्ली राज्य में १९५७ के दौरान में अभी तक हुए अपराधों की संख्या (१) हत्या (२) डकैती (३) अपहरण (४) भगा कर ले जाना और (५) बलात्कार शीर्षकों के अन्तर्गत बताने की कृपा करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :

	१-१-५७ से ३०-६-५७ तक
१. हत्या	१९
२. डकैती	१
३. अपहरण	७
४. भगा कर ले जाना	५९
५. बलात्कार	७१

सेना आयुध निकाय [31]

†३५५. { **श्री वं० प० नायर :**
श्री कोडियान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान में भारतीय सेना के आयुध निकाय के वी० सी० ओ० के पदों पर एम० ए० एस० के रूप में प्रत्यक्ष भर्ती की गई थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[31] Army Ordnance Corps

(ख) उनमें से कितने सेना में भारतीय आयोग प्राप्त कर चुके हैं।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां।

(ख) सेना आयुध निकाय के कुल १२५ जे० सी० ओज० को आयोग प्रदान किया गया है। यह बताने के लिए कि उनमें से कितने गत युद्ध के दौरान में सीधे वी० सी० ओज० भर्त्ती किए गए थे, आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली बजट

†**३५६. श्री राधा रमण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना का दिल्ली का प्रथम वित्तीय वर्ष का कुल बजट कितना था और क्या उसमें कुछ घाटा था;

(ख) यदि हां, तो कितना और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन ने इस घाटे के कारणों की जांच की है ; और

(घ) क्या चालू वर्ष में इसे बचाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) ३०१.३७४ लाख रुपये; जी, हां।

(ख) १७८.२१६ लाख रुपये जिसका ब्योरा निम्न प्रकार हैं :

योजना	घाटा (लाखों में रुपए)
कृषि	०.९५४
छोटी मोटी सिंचाई योजनायें	२.४९३
पशु चिकित्सा	२.०६७
कुक्कुट पालन	१.९१८
वन	०.७८२
मीन क्षेत्र	०.२९८
सहकार	६.०४४
सामुदायिक विकास परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	२.१४०
सिंचाई और विद्युत	४२.०००
उद्योग	३४.९६७
शिक्षा	४२.९०९
स्वास्थ्य	३४.१९४
आवास	०.९४४
पिछड़ी जाति कल्याण	०.९५०
श्रम कल्याण	०.१९१
सड़कों का निर्माण	५.०००
सांख्यिकीय संगठन	०.३६५
योग	१७८.२१६

(ग) और (घ). जी, हां।

†मूल अंग्रेजी में

महाराजा प्रौद्योगिकीय संस्थान, त्रिचूर[१२]

†३५७. { श्री वारियर :
श्री कुन्हन :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिचूर स्थित महाराजा औद्योगिकीय संस्थान का एक इंजीनियरिंग कालेज के रूप में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव रखा गया है ;

(ख) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने कुछ समय पहले महाराजा प्रौद्योगिकीय संस्थान, त्रिचूर को, जिसमें इस समय डिप्लोमा कोर्स है, एक इंजीनियरिंग कालेज में परिवर्तित करने और मलाबार क्षेत्र में एक नया इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। अब राज्य सरकार ने पहले प्रस्ताव के त्याग देने का निर्णय किया है यदि मलाबार में एक नया इंजीनियरिंग कालेज स्थापित कर दिया जाय। नए कालेज का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विदेशों को प्रतिनिधि मंडल

†३५८. { श्री वारियर :
श्री कुन्हन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेशों को कितने राजकीय प्रतिनिधि मंडल भेजे गए;

(ख) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल के भेजे जाने का प्रयोजन तथा प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल के व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल पर कितना व्यय हुआ ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें कुछ मंत्रालयों के संबंध में जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३१] और जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों में मद्यपान

†३५९. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में होटलों और रेस्तराओं में जिनके पास 'बार' लाइसेंस नहीं है, शराब पीना और ऐसे समस्त स्थानों में वेश्यावृत्ति निषिद्ध है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[१२]Maharaja's Technological Institute, Trichur.

(ख) यदि हां, तो इस कानून को किस प्रकार अमल में लाया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस और आबकारी कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना दिए नियतकालिक जांच की जाती है और छापे मारे जाते हैं और जो लोग कानन का भंग करते हुए पकड़े जाते हैं उन पर आबकारी अधिनियम, सराय अधिनियम अथवा बंगाल अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, जैसा मामला हो, के संबंधित उपबन्धों के अन्तर्गत प्राभियोग चलाए जाते हैं।

राज-भाषा

†३६०. {श्री रघनाथ सिंह :
श्री झूलन सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कितने राज्य हिन्दी को अपनी राज-भाषा घोषित कर चुक ह, और

(ख) अन्य राज्यों में सरकारी काम-काज के लिये हिन्दी का प्रयोग करने क बारे म क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) तथा (ख). भारत सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक तीन राज्यों—अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने हिन्दी को अपनी राज-भाषा घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हिन्दी को अपनी राज-भाषा बनाने के लिए कानून बनाने का निश्चय किया है। अन्य राज्यों के बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय सेवाओं में महिलायें

†३६१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में इस समय केन्द्रीय सेवाओं (आई० ए० एस०, आई० पी० एस० आदि) में कितनी महिलायें काम कर रही हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): मांगी हुई सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२].

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

†३६२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल और मई, १९५७ के महीनों में पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों और भारतीय सीमा-रेखा पुलिस अथवा सेना के कर्मचारियों के बीच कितनी बार गोली चलाई गई व गोलियों का आदान-प्रदान हुआ ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : ग्यारह।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर के आदिम जाति विद्यार्थी

†३६३. श्री ले० अचौ सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में केवल सरकार द्वारा चालित अथवा सरकार की सहायता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ने वाले आदिम जाति विद्यार्थियों को ही पढ़ाई की फीस के भुगतान से छट मिली हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आदिम जाति विद्यार्थियों को भी यह छट क्यों नहीं दी गई है?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास): (क) और (ख). दरिद्र स्थिति के आदिम जाति के विद्यार्थियों को, जो सरकारी और मान्यता प्राप्त ग़ैर-सरकारी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं; पढ़ने की फीस के भुगतान से छूट मिली हुई है। यह सुविधा ग़ैर मान्यता प्राप्त ग़ैर सरकारी स्कूलों में नहीं दी जा सकती क्योंकि उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

निलम्बी पुल''

३६४. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के १९५६-५७ के प्रतिवेदन (पृष्ठ ८१) के अनुसार मनीपुर में १० छोटे निलम्बी पुल बनाए गए हैं;

(ख) पहाड़ियों के सम्बन्धित सब-डिवीजनों में पुल किन स्थानों पर बनाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आदिम जाति क्षेत्रों में पुलियों के अतिरिक्त कोई निलम्बी पुल नहीं बनाए गए हैं?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तामेंगलांग सब डिवीजन

(१) तुइपा नदी पर पबराम में।

(२) अमांग नदी पर पबराम और थरोन के बीच।

(३) अहाकी नदी पर कुईलांग में।

उखरूल सबडिवीजन

(४) यूरेंग नदी पर शाकोक के पास।

---

†मूल अंग्रेजी में।

''Suspension bridges.

तेंगनोपाल सर्किल

(५) महा नदी पर लिवाचार्तिंग क पास।

बूराचांदपुर सब-डिवीजन

(६) खूगा नदी पर ला-म्का के पास।

(७) तुइवाई नदी पर बेहियांग के पास।

सदर हिल्स सर्किल

(८) मर्येंगखांग नदी पर मरमखुनू के पास।

माओ सर्किल

(९) बरक नदी पर खैडे के पास।

जिरीबाम सर्किल

(१०) गोकल नदी पर बोरा बेखा के पास।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

प्रगति विद्या भवन, अगरताला को दान

†३६५. **श्री दशरथ देब** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरताला (त्रिपुरा) के प्रगति विद्याभवन नामक गैर-सरकारी स्कूल में से सम्बद्ध छात्रावास को आदिम जाति विद्यार्थियों के लाभ के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा कोई दान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दान की राशि क्या है ;

(ग) आदिम जाति के विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ, यदि कोई हों, हो रहे हैं ;

(घ) उस छात्रावास में इस समय कुल कितने विद्यार्थी रह रहे हैं ;

(ङ) क्या त्रिपुरा में किन्हीं अन्य गैरसरकारी स्कूलों को भी दान दिया गया था अथवा इस समय दिया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि दी जाती है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान्। परन्तु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में ५,००० रुपए देने का विचार है।

(ग) छात्रावास में रहने वालों को जो सामान्य लाभ प्राप्त हैं वही आदिम जाति के विद्यार्थियों को भी उपलब्ध हैं।

(घ) ३५।

---

†मूल अंग्रेजी में.

(ङ) हां, श्रीमान्।

(च) (१) बर्दवाली हाई-स्कूल ;

(२) नेताजी सुभाष विद्या निकेतन

आदिम जाति विद्यार्थियों के लाभ के लिये छात्रावासों के विस्तार के लिए चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक स्कूल को ५,००० रूपए दिय जा रहे हैं।

"आर्डिनेन्स फैक्टरी न्यूज"

†३६६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री "आर्डिनन्स फैक्टरी न्यूज" के मुद्रण और प्रकाशन का वार्षिक व्यय बताने की कृपा करेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** "आर्डिनेन्स फैक्टरी" न्यूज के मुद्रण और प्रकाशन पर १९५४–५५ और १९५५—५६ के वित्तीय वर्षों में किया गया अनुमानित वार्षिक व्यय निम्न प्रकार ह । १९५६–५७ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं :

१९५४–५५	४६,४०० रुपए ।
१९५५—५६	३३,८०० रुपए ।

झंडा दिवस

३६७. **श्री राघेलाल व्यास :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से अब तक झंडा दिवस के अवसर पेर उज्जन से कितनी राशि इकट्ठी की गई; और

(ख) उज्जन में रहने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को इन वर्षों में इस धनराशि में से कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) ४५०१५ रुपए।

(ख) चूंकि पहले की मध्य भारत सरकार ने अक्तूबर १९५६ तक कोई बेनेवोलेण्ट फण्ड कायम नहीं किया था, इसलिए उन्हें झंडा दिवस चन्दे में से अपना भाग लेने का अधिकार न था। अक्तूबर १९५६ में उनके बेनेवोलेण्ट फण्ड कायम करने के पश्चात् १९५५ के झण्डा दिवस में इकट्ठी की गई राशि में से उनके भाग के रूप में उन्हें ११६२५ रुपए दिए गए । हमा पास यह सूचना प्राप्य नहीं कि आया उस राशि में से उज्जैन में व्यय किया गया अथवा किया गया तो कितना।

केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग

†३६८. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया है ;

(ख) क्या प्रस्तावित केन्द्रीय अंगुलि ब्यूरो, केन्द्रीय बिधि प्रयोगशाला और केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कहां; और

(घ) इसमें कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) राज्य पुनर्गठन के परिणाम-स्वरूप गुप्तवार्ता विभाग की क्षेत्र शाखाओं में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय अंगुलि चिन्ह ब्यूरो स्थापित हो गया है। विधि प्रयोगशाला और गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना का कार्य चल रहा है।

(ग) कलकत्ता में।

(घ) तीनों संस्थाओं पर वर्ष १९५६–५७ में कुल २,६९,००० रुपए व्यय किए गए।

अन्दमान द्वीप समूह में शाखा न्यायालय[1]

†३६९. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह में १९५४ से शाखा न्यायालय के कितने सत्र हुए;

(ख) वर्षवार कितने मामलों पर विचार किया गया ;

(ग) ऐसे न्यायालय के दौरे के लिए क्या कोई विशेष प्रबन्ध किए गए थे ;

(घ) क्या समस्त सत्रों में मुख्य न्यायाधिपति उपस्थित थे; और

(ङ) न्यायालय के सत्र किन किन स्थानों में हुए ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) एक फरवरी १९५४ में।

(ख) कुल ६ मामले, अर्थात् दो मूल आदेशों से अपील, एक मूल डिगरी से अपील, एक अपीलीय डिगरी से अपील, एक दीवानी प्रतिसंहरण और एक दांडिक निर्देश १९५४ में निपटाए गए ।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) जी, हां।

(ङ) पोर्ट ब्लेयर।

अस्पृश्यता निवारण

३७०. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलाबार जिले में वर्ष १९५६–५७ में गैर-शासकीय अभिकरणों द्वारा अ-श्यता निवारण के प्रचार पर कितनी राशि वण्टित की गई थी व कितनी व्यय की गई ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कौन कौन स संगठन चुने गए थे; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है व उनके द्वारा इस अवधि में कितना कार्य किया गया ?

---

[1] मूल अंग्रेजी में
Circuit Courts.

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ग). मलाबार जिले में गैर-शासकीय अभिकरणों द्वारा अस्पृश्यता निवारण के प्रचार के लिए १९५६–५७ में ३,६४० रुपए की राशि आवण्टित की गई थी। परन्तु चूंकि इस प्रयोजन के लिए चुने गए ऐच्छिक संगठनों ने राज्य सरकार को अपने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया इसलिए इस आवण्टन में से कुछ भी खर्च नहीं किया जा सका।

(ख) (१) हरिजन सेवक संघ, मलाबार, और

(२) दलित जाति लीग, मलाबार।

दर्गाह समिति, अजमेर

३७१. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दर्गाह समिति, अजमेर के लिये कितने व्यक्ति मनोनीत किये गये; और

(ख) समिति को प्रति वर्ष औसत कितनी भेंट मिलती है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) ९

(ख) ३८,७२० रुपए।

नाविक उड्डयन[15]

†**३७२. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाविक उड्डयन शाखा के पास कितने सागर तथा एम्फीबियस विमान हैं ;

(ख) १९५७ से कितने और किस प्रकार के विमान अर्जित किए गए हैं ;

(ग) क्या शाखा का प्रभारी अधिकारी भारतीय है; और

(घ) क्या किसी विदेशी विशेषज्ञ की सहायता अभियाचित की गई थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** (क) नौ।

(ख) पांच फायरफ्लाई मार्क १ टारगेट टोइंग और तीन एच टी २ प्रशिक्षण विमान।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। परन्तु फिर भी यह बता दिया जाय कि ब्रिटेन की नौ-सेना के तीन अधिकारियों की सेवाय, जो बहुत अनुभवी विमान चालक हैं इस समय भारतीय नौसेना में ऋण स्वरूप प्राप्त हैं।

मूल अंग्रेजी में

[15]Naval Aviation.

[16]Sea and Amphibius Aircraft.

संगीत का सैनिक स्कूल, पचमढ़ी [१७]

†३७३. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पचमढ़ी स्थित संगीत का सैनिक स्कूल कब चालू किया गया था ;

(ख) स्कूल के प्रादुर्भाव के समय से कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ;

(ग) स्कूल में भर्त्ती होने के लिए क्या क्या योग्यतायें आवश्यक हैं; और

(घ) १९५७ में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) पचमढ़ी के ए० एफ० सी० सेन्टर एण्ड स्कूल की सैनिक संगीत शाखा २३-१०-५० को चालू की गई थी।

(ख) ११०१।

(ग) रेजीमेन्टल बैंडों में प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक कर्मचारी इस स्कूल में विभिन्न संगीत पाठ्यक्रमों के योग्य हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के लिए निम्नलिखित शैक्षिक योग्यतायें और आवश्यक हैं :—

पाठ्यक्रम	आवश्यक शैक्षिक योग्यतायें
(१) पोटेन्शल बैंडमास्टर्स कोर्स	१. सैनिक शिक्षा का दूसरी श्रेणी का प्रमाण पत्र।
	२. सेना का अंग्रेजी का तीसरी श्रेणी का प्रमाण पत्र।
(२) रेजीमेन्टल म्यूजीशियन्स कोर्स	सैनिक शिक्षा का तीसरी श्रेणी का प्रमाण पत्र।
(३) पाइपर्स कोर्स	,,
(४) पाइप बैंड ड्रम्स कोर्स	,,
(५) बिगुलर्स कोर्स	,,
(६) ट्रम्पेटर्स कोर्स	,,

(घ) ७ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और १८८ इस वर्ष में प्रशिक्षण समाप्त कर चुके हैं।

बनारस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी

†३७४. **श्री गणपति राम** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित सूचना दी गई हो :

(क) बनारस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश, छात्रावास में जगह निःशुल्क छात्रवृत्तियां आदि के संबंध में दी जाने वाली सुविधायें; और

(ख) प्रत्येक कालेज में भर्ती किए गए कुल विद्यार्थियों की संख्या और अभी तक भर्ती किए गए अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की कक्षा-वार संख्या?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१७] Military School of Music, Pachmarhi

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३३]**

निषिद्ध अफीम

†३७५. **श्री गणपति राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ और १९५७ में अभी तक कितनी निषिद्ध अफीम बरामद की गई है और कितने मामलों का चालान किया गया व क्या दंड दिया गया; और

(ख) वे कौन से राज्य हैं जिनमें अफीम का चोर बाजार अधिकांश में होता है व सरकार उसके तस्कर व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**.

(ख) जिन राज्यों में अधिकांश अफीम की चोर बाजारी होती है वे हैं मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अफीम उत्पादन राज्य व पंजाब राज्य।

ऐसे तस्कर व्यापार को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें अफीम उत्पादक क्षेत्रों और चुंगी सीमान्तों पर प्रतिरोध कर्मचारियों की अधिक संख्या में नियुक्ति सम्मिलित है।

वैज्ञानिक गवेषणा

३७६. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी**: क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में वैज्ञानिक गवेषणा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन व्यय किया;

(ख) उक्त अवधि में किन किन संस्थाओं को कितना कितना अनुदान दिया गया;

(ग) गवषणा द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर कितने पत्र प्रकाशित हुए; और

(घ) इन तथ्यों को राष्ट्रीय हित में प्रयुक्त करने के लिए कौन से कदम उठाय गये?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास):(क) स (घ) . इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दू अविभाजित परिवारों पर आयकर

†३७७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री वर्ष १९५६–५७ में हिन्दू अविभाजित परिवारों से वसूल की गई आयकर की कुल राशि बताने की कृपा करेंगे?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : आयकर की वसूली के आंकड़े निर्धारों की स्थिति के अनुसार नही रखे जाते हैं। फिर भी १९५५–५६ में हिन्दू अविभाजित परिवारों से १२,०२,९८,६०७ रुपए कर की मांग की गई थी। १९५६–५७ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। जैसे ही वे आंकड़े तैयार हो जायेंगे उन्हें लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम––रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, मैं गृह मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि संसद के नये सदस्यों के लिए पांचवें प्रतिवेदन की एक एक प्रति यदि उपलब्ध हुई तो भेज दी जायेगी। मेरा निवेदन है कि यदि पुस्तकालय में एक ही प्रति होगी तो चर्चा किस प्रकार हो सकती है। मेरे विचार से नये सदस्यों को एक प्रति अवश्य दी जानी चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि प्रतियां उपलब्ध हो जायेंगी।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

दसवीं विश्व स्वास्थ्य सभा के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : श्रीमान् मैं मई १९५७ में जिनेवा में हुए दसवें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **(पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस–१५४।५७).**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कुछ मिलों के उत्पादन में कमी तथा उस के प्रभाव

†**श्री सोनावने** (शोलापुर–रक्षित––अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड और नरसिंह गिरजी मिल्स लिमिटेड, शोलापुर में उत्पादन में कमी तथा उसका सरकारी पूंजी विनियोग तथा श्रमिकों पर प्रभाव।"

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : श्रीमान् १९४७–४८ में जब मैसर्स शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, शोलापुर मुरारका ग्रुप के प्रबन्ध में आई उस समय १६.२ लाख रुपये की हानि थी और १९४८–४९ में २७.२ लाख की हानि थी। २७ अगस्त, १९४९ को मिल इस आधार पर बन्द कर दी गई कि इसके कपड़े तथा सूत के बड़े भंडार पड़े हुए हैं जो बेचे नहीं जा सके हैं। मिल में भी कुछ प्रबन्ध था और खराब मशीनों के स्थान पर नई मशीनें नहीं लगाई जा रही थीं। इस मिल का प्रबन्ध जनवरी १९५० में विशेष अध्यादेश के अधीन भारत सरकार ने ले लिया था। भारत सरकार और बम्बई की सरकार दोनों ने इस मिल को, नई मशीनें लगाने और सुचारू रूप से चलाने के लिए ९४ लाख रुपया ऋण दिया। अक्टूबर १९५६से मिल में बड़ा घाटा चल रहा है। मुख्य कठिनाई है वित्तीय स्थिति की खराबी और रूई और कोयले जैसे कच्चे माल के लिए धन न देने की असमर्थता। उनकी मशीनें भी बहुत पुरानी हैं जिनकी मरम्मत आदि कुप्रबन्ध के कारण नहीं हुई है। इसलिए मिल सुचारू रूप से और अपनी क्षमता के अनुसार नहीं चल रही है। इसी कारण उत्पादन में कमी है और श्रमिकों को भी पूरी संख्या में काम पर नहीं लगाया जा सकता। लगातार घाटे के कारण जो ऋण मिल को दिए गए थे वह भी वापस देने में मिल असमर्थ है। अभी तक ६ लाख रुपया दिया गया है जिसका ९४ लाख के व्याज में समायोजन कर दिया गया है। ऐसा विचार है कि मिल को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने पर ही उसकी कठिनाई दूर हो सकती है। बम्बई सरकार को सभी कठिनाइयों की जानकारी है और निदेशकों के बोर्ड में शीघ्र ही परिवर्तन होने की आशा है। जिससे स्थिति सुधर जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

मैसर्स नरसिंह-गिरजी मिल्स लिमिटेड, शोलापुर : जुलाई, १९५५ तथा जून १९५६ में वस्त्र आयुक्त ने मिल का सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण प्रतिवेदन से पता लगता है कि मिल की मशीनों आदि और वित्तीय स्थिति बहुत असंतोषजनक है। मिल की आस्तियों से, इसके दायित्व २ लाख रुपये से कुछ अधिक ही बढ़ गये हैं। जिसके कारण वह रूई आदि आवश्यक माल खरीदने में और मजदूरों को पैसा देने में असमर्थ है। मिल में पूरी सामर्थ्य से काम नहीं हो रहा है। जिसके कारण पूरे श्रमिक पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अथवा राष्ट्रीय औद्योगिक निगम अथवा औद्योगिक वित्त निगम ने भी मिल की हालत खराब होने के कारण कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। इसलिए जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उस पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

समवाय को समाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

अनुदानों की मांगें—जारी

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर और आगे चर्चा होगी। इस मंत्रालय की मांगों के लिए छः घंटे रखे गये थे जिसमें से आज चार घंटे शेष हैं। कटौती प्रस्तावों की सूची कल सदस्यों में परिचालित कर दी गई थी। मैं उन सबको प्रस्तुत समझ रहा हूं।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४२	६१	श्री सूपकार	खाद्य स्थिति	राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाए
४२	८१८	श्री परूलेकर	इस वर्ष देश में खाद्य संकट का पूर्वानुमान लगाने में असफलता	राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाये
४२	८१९	श्री परूलेकर	खाद्य संकट को दूर करने में पर्याप्त तथा उचित उपाय करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४२	६०७	श्री वारियर	अधिक अन्न उपजाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५
४२	९०८	श्री वारियर	मछुओं की सहकारी समितियों द्वारा विदेशों को मछली निर्यात को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता	राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाये
४२	९०९	श्री वारियर	मछली उद्योग का विकास	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४२	९१०	श्री वारियर	काजू की खेती की योजना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४२	९११	श्री वारियर	केरल को सेला चावल का संभरण	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४२	९१२	श्री वारियर	खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए की गई कार्य-वाही	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४२	९२०	श्री कोडियान	लक्कादीप, मालदीव, और अमीनदीवी द्वीपसमूहों में मछली पालन के विकास और मछली पकड़ने के लिये तट निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९७१	श्री तंगामणि	चावल खाने वाले क्षेत्रों जैसे मद्रास और बंगाल को गेंहूँ का भेजा जाना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४२	९७२	श्री तंगामणि	खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में अपर्याप्त कार्यवाही	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४२	२५	श्री नौशीर भरुचा	खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता	१०० रुपये

[उपाध्यक्ष महोदय]

१	२	३	४	५
४२	१९७	श्री जाधव	देश में, विशेषतया महाराष्ट्र के कुछ भागों में, खाद्य स्थिति	१०० रुपये
४२	४३०	श्री साधन गुप्त	खाद्यान्नों की कमी, विशेषतया पश्चिमी बंगाल में	१०० रुपये
४२	४३१	श्री साधन गुप्त	खाद्यान्नों के अधिक मूल्य	१०० रुपये
४२	९१३	श्री वारियर	नारियल के रोगों को रोकने की अपर्याप्त व्यवस्था	१०० रुपये
४२	९१४	श्री वारियर	नारियल के वृक्षों के रोगों की गवेषणा के लिये अपर्याप्त व्यवस्था	१०० रुपये
४२	९१५	श्री कोडियान	केरल के तटीय समुद्र में मछली पकड़ने वाले बड़े जहाजों द्वारा मछली पकड़ने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९१६	श्री कोडियान	मछुओं के लाभार्थ और अधिक मछली उद्योग संबंधी गवेषणा संस्थाओं को आरंभ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९१७	श्री कोडियान	समस्त भारत में जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं हुआ है वहां पानी में "टिलापिया" की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९१८	श्री कोडियान	निर्यात की जाने वाली प्रॉन मछलियों का स्तर निर्धारित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९१९	श्री कोडियान	ज किनारे की वाणिज्यक संभावनाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४२	९२१	श्री वारियर	गोल मिर्च के मूल्यों में भारी कमी	१०० रुपये
४२	९२२	श्री कोडियान	मत्स्य पालन का पूरा लाभ उठाने की विशाल योजना की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९२३	श्री कोडियान	समुद्र उत्पादों के स्थायी प्रदर्शन की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९२४	श्री कोडियान	मछली में निहित खाद्य गुणों का अधिक प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९२५	श्री कोडियान	मुर्गीपालन के लिए अधिक सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९२६	श्री कोडियान	जिन स्थानों में धान कम होता है उन स्थानों पर अधिक गवेषणा की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९२७	श्री कोडियान	कृषि में रेडियो इसोटोप्स का प्रयोग करने के लिए गवेषणा संस्था स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	९२८	श्री वारियर	केरल तट पर वैज किनारे की वाणिज्यिक संभावनाओं के बारे में खोज करने की आवश्यकता	१०० पये
४२	९२९	श्री वारियर	इन्डो-नार्वेजियन योजना के कार्यपालिका बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि नामनिर्देशित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४२	६३०	श्री वारियर	समुद्र में मछली पकड़ने वालों को सहायता देने के लिए केरल सरकार को अधिक निधि देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	६३१	श्री वारियर	मछुओं को नायलन के जाल देने के लिए अधिक निधि देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	६३२	श्री वारियर	भारत की मछुआ जाति के लिए आवास तथा सफाई का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने की योजना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	६३३	श्री वारियर	भारतीय मेंढ़क के मांस की विदेशों में अधिक मांग के कारण इसकी विशाल योजना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	६३४	श्री वारियर	गन्ना उत्पादकों को अपर्याप्त प्रोत्साहन	१०० रुपये
४२	६३५	श्री वारियर	केरल में केन्द्रीय सरकार के अधिक खाद्य भंडारों को खोलने की अत्यंत आवश्यकता	१०० रुपये
४२	६३६	श्री वारियर	सुपारी की खेती की असंतोषजनक स्थिति	१०० रुपये
४२	६७३	श्री वारियर	कुछ दिन पूर्व स्थापित दक्षिणी खण्ड का कार्य संचालन	१०० रुपये
४२	६७४	श्री वारियर	दक्षिण रेलवे के केन्द्रों जैसे नागपट्टिनम को खाद्यान्न भेजने के	१०० रुपये

१	२	३	४	५
			लिए रेलवे मंत्रालय से मिल कर वैगनोंकी व्यवस्था करने में असफलता	
४२	९७५	श्री तंगामणि	विभिन्न राज्यों में चीनी का वितरण	१०० रुपये
४३	७३६	श्री इगनेसबेक	वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में नीति	१०० रुपये
४३	८४२	श्री इगनेसबेक	वनों का अधिक संरक्षण	१०० रुपये
४३	३८	श्री वारियर	पश्चिमी घाट के पर्वतोय भागों में नीबू की जाति के फलों की अधिक खेती करने की योजना	१०० रुपये
४३	९३९	श्री वारियर	पश्चिमी घाट स्थित घाटियों में बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना	१०० रुपये
४३	९४०	श्री वारियर	वनशास्त्र के लिये एक कालिज स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	९४१	श्री वारियर	पश्चिमी घाट की दक्षिणी श्रेणी में विदेशी हार्डबूड डगाने की संभावना	१०० रुपये
४४	२९८	श्री गोरे	कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने में में अपर्याप्त कार्य	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४४	१९८	श्री जाधव	किसानों को ऋण संबंधी सुविधायें	१०० रुपये
४६	६१७	श्री मसानी	सहकारी खेती के बारे में नीति	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

†**श्री मसानी** (रांचि-पूर्व) : मैं सहकारी रूप से खेती करने की नीति के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने चीन में गए अपने शिष्टमंडल के दोनों प्रतिवेदनों यानी श्री पाटिल और श्री राना दोनों के प्रतिवेदनों को पढ़ा। श्री पाटिल का मत है कि हमें इस विषय पर जनता को चर्चा करने का अवसर देना चाहिए जिससे हमारा हित होगा। मैं आशा करता हूं कि "सहकारी कृषि" के विषय पर मेरा ही कटौती प्रस्ताव होने के कारण अन्य माननीय सदस्य इस पर अवश्य विचार व्यक्त करेंगे।

हमारे देश में सहकारी कृषि दो रूपों में की जाती है। एक तो वह जिसमें भूमि किसान की ही रहती है परन्तु वह बीज, ट्रेक्टर आदि के लिये सहकारी समिति की सहायता लेता है। दूसरे वह जिसमें किसानों की सारी जमीनों को मिलाकर एक सहकारी फ़ार्म बना लिया जाता है जिस पर सब लोग मिल कर काश्त करते हैं। काश्तकार के नाम में जमीन का कुछ हिस्सा हो रहता है। मुझे योजना आयोग द्वारा द्वितीय योजना में दिए गए इन्हीं शब्दों का भय है कि सहकारी कृषि का अर्थ यह है कि सारी भूमि एकत्रित कर ली जाये और फिर संयुक्त प्रबन्ध के द्वारा खेती आदि कराई जाये। मैं नहीं समझता कि इसमें क्या नुक़सान है कि किसान का अपनी ज़मीन पर अधिकार रहे और अन्य बातों के लिये वह सहकारी समिति की सहायता लेता रहे। मेरा सुझाव है कि हमें दोनों प्रकार की कृषि को तीन परिमाणों पर उतारना चाहिए। पहला यह है कि क्या भूमि को एक स्थान पर इकट्ठा करके उत्पादन बढ़ जाता है; दूसरे क्या यह समाजिक दृष्टि से वांछनीय है; तीसरे क्या यह परिवर्तन किसानों की अपनी इच्छा से हो सकता है ?

अब पहला परीक्षण कीजिए। यदि बड़े फार्मों से उत्पादन बढ़ जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिन देशों में यह पद्धति प्रचलित है उनमें छोटे फ़ार्मों वाले देशों की अपेक्षा उत्पादन अधिक होना चाहिए। परन्तु है बिल्कुल इसका उल्टा। रूस और अमेरिका में जहां बड़े फ़ार्मों की पद्धति प्रति हेक्टेयर ९·३ तथा १२.२ क्विन्टेल क्रमशः उत्पादन होता है जब कि ब्रिटेन, डेनमार्क, फ़्रांस जर्मनी, स्विटरज़रलैंड और जापान में छोटे फार्मों की पद्धति से क्रमशः २८.५, ३४.४, २७.६, २६.१ ३४.२ और २२.६ क्विन्टेल उत्पादन होता है। यही बात चावल के सम्बन्ध में है। हम इन आंकड़ों को नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं।

युगोस्लाविया को ले लीजिए जो एक साम्यवादी देश है। पहले वहां बड़े फार्मों से खेती होती थी परन्तु उनको इससे हानि हुई है और उन्होंने इससे छुटकारा पाने का फैसला किया। पोलैंड में भी सामूहिक व सहकारी फार्म समाप्त कर दिए गए हैं और ट्रेक्टर किसानों को बेच दिए गए हैं। श्री गोमुल्का ने कहा कि बड़े फार्मों की तुलना में, छोटे फार्मों से अधिक उत्पादन होता है। चीन का दौरा हमारे प्रतिनिधिमंडलों ने किया और उनके प्रतिवेदनों को पढ़ने पर मालूम होता है अलग अलग सदस्य की अलग अलग राय है। परन्तु एक बात फिर भी स्पष्ट हो गयी है कि चीन की साम्यवादी सरकार ने कृषि के उत्पादन में अधिक धन लगाया तब उनका उत्पादन बढ़ा परन्तु हमारे देश में तो धन की भी कमी है। इसलिए मेरा विचार है कि यदि भूमि का एकीकरण न करके उन किसानों को सहायता दी जाये तो चीन से भी अधिक सफलता हमें मिल सकती है। श्री बेविन ने भी हमको यही परामर्श दिया है कि हमें रूस या अमेरिका के पीछे नहीं भागना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी समस्यायें वहां की समस्याओं से बिल्कुल विपरीत है। भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ने जांच से यही जानकारी हासिल की है कि ट्रैक्टर से उत्पादन बढ़ने के बजाय घटता है। उत्तर-प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अभी मसूरी में कहा कि खाद्य समस्या सुलझाने के लिए, किसानों से भूमि लेकर उसको इकट्ठा करके कृषि कराने से उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

---

†मूल अंगेजी में

अब मैं दूसरे परीक्षण के सम्बन्ध में आपको बताता हूं कि क्या किसानों से भूमि ले लेना उचित होगा ? मैं श्री रंगा का उदाहरण देता हूं। उन्होंने एक सहकारी पत्रिका में लिखा था कि भूमि को लेकर आप इसकी संभावना एकदम समाप्त कर देना चाहते हैं कि किसान अपनी आय का कुछ भाग खेती में न लगा दें। मैं नहीं समझता कि यदि किसी के पास छोटा सा खेत है तो उसमें क्या हानि है। इसको छीनने पर तो हम समाजवाद से दूर ही भागते हैं। हम ऐसा करते समय यह भी भूल जाते हैं कि किसान को अपनी जमीन कितनी प्यारी होती है। इस भावना को उसके दिल से क्यों निकाल देना चाहते हैं। मेरे विचार से ऐसा करना बड़ी मूर्खता है।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या इस को उनकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए ? इसका केवल एक ही उत्तर है कि इस देश का कोई भी किसान अपनी जमीन देकर बिना जमीन वाला मजदूर बनना नहीं चाहेगा। ऐसा तो केवल रूस और चीन में ही हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री ने इस बारे में कहा है कि जिस देश में खेत की हद के ऊपर भाई भाई की जान ले लेता है उस देश में क्या कल्पना की जा सकती है कि बिना किसी दबाव के लोग अपनी भूमि दे देंगे। इस विषय में श्री गोमुल्का के यह विचार है। पहले से निर्धारित लक्ष्य और स्वेच्छा-पूर्ण सहकारिता आपस में मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा है कि आप किसानों से उनकी जमीन छीनने के लिये कोई योजना नहीं बना सकते। यह बात एक साम्यवादी नेता ने कही है जिसने इस समस्या का पूरी तरह अध्ययन किया है। आप यह कैसे जान पायेंगे कि कौन सा किसान अपनी इच्छा से जमीन देना चाहता है ? इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें जापान और डेनमार्क का आदर्श सामने रख कर सहकारिता के क्षेत्र में काम करना चाहिए।

श्री विभूति मिश्र (बगहा): उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं फूड एंड एग्रिकलचर मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने बिहार का दौरा किया और वहां के हालात को देखा। बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब ने जब उनको बताया कि रबी की फसल नष्ट हो गई है तो वह वहां दौड़े हुए गये और वहां का दौरा किया और दौरा करने के बाद मेरा अंदाजा है कि ६०,००० टन गल्ला दिया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर बिहार के लिये १५,००० टन गल्ला बीज के लिये भी दिया है। बिहार के बारे में जिस तत्परता तथा मुस्तैदी से उन्होंने काम किया है, उससे बिहार के लोगों को बहुत फायदा हुआ है और अगर वह ऐसा न करते तो बिहार में कहत पड़ गया होता।

सन् १९४९-५० में सारे हिन्दुस्तान में बहुत कहत पड़ा हुआ था। सभी सूबों में गल्ले की कमी थी और सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिये काफी एफर्ट्स कीं और इसमें वह कामयाब भी हुई। लेकिन उस वक्त सरकार ने किसी भी फूड इन्क्वारी कमेटी की स्थापना नहीं की। मेरी समझ में नहीं आता है कि सारे बिहार में थोड़ी सी गल्ले की कमी हो गई जिस को सरकार ने पूरा किया लेकिन यह जो फूड इनक्वारी कमेटी की स्थापना की गई है, यह किस लिये की गई है। इस कमेटी में भी जहां पर फूड की कमी हुई है उस इलाके का एक भी नुमाइंदा नहीं लिया गया है। फूड की कमी बिहार में हुई और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई लेकिन वहां का एक भी मेम्बर इसमें नहीं लिया गया है और न ही इसमें कोई देहाती है। मेरे खयाल में बिहार की पापुलेशन कोई चार करोड़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक करोड़ से कम नहीं है, इससे ज्यादा ही होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ इस कमेटी में बम्बई के आदमी को आगे रखा गया है। इसके जो सभापति हैं वह किताबों का ज्ञान तो जरूर रखते हैं लेकिन खेती के बारे में जो व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिये वह उनको नहीं है। मैं

[श्री विभूति मिश्र]

नहीं समझता हूं कि इस कमेटी की क्या जरूरत थी । हमारे पास सब डाटा मौजूद है । हमें मालूम है कि कितना गल्ला पैदा होता है, कितने गल्ले की खपत होती है और दो चार प्रतिशत की गलती तो हो ही जाती है । अर्थशास्त्र की यह मानी हुई बात है कि दो चार प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हो ही सकती है उन एस्टीमेट्स पर जो लगाये जाते हैं । जिस डाटा के आधार पर हमारी सरकार काम करती है उसके आधार पर वह यह कह सकती है कि यहां पर कमी है और यहां पर नहीं है । इस कमी को देखते हुए ही वह बाहर से गेहूं मंगा रही है और उस गल्ले के वितरण का काम कर रही है । इस कमेटी की स्थापना करने के बजाय यदि सरकार फूड एंड एग्रिकलचर कमेटी की स्थापना करती और उसको तीन महीने के बजाय छः महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये कहती और वह कमेटी सारे हिन्दुस्तान का दौरा करती और वह कमेटी यह देखती कि किस तरह की खेती की कमी है, कहां कौन सी चीज़ की आवश्यकता है और उस कमेटी द्वारा सुझाये गये तरीकों पर सरकार काम करती तो कहीं अच्छा होता । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आज फूड पैदा करने का सवाल है न कि उसके वितरण का । बांटने का काम तो कोई भी कर सकता है । मुझे आप रुपया पैसा दे दीजिये, मैं पांच मिनट के अन्दर बांट दूंगा । तो आज जो सवाल है वह अधिक पैदा करने का है । हमारे बहुत से विरोधी भाइयों ने तथा कांग्रेस वालों ने भी किताबें पढ़ कर डाटा पेश किया है । डाटा तो हमारे पास भी है और वह हमें फूड एंड एग्रिकलचर मिनिस्ट्री की किताबों से भी प्राप्त हो सकता है । लेकिन डाटा की तो आवश्यकता भी नहीं है । हमको तो यह देखना है कि एक आदमी के लिये कितने अन्न की आवश्यकता होनी चाहिये । जब तक हम इसका पता लगा लेंगे तो हमें यह देखना होगा कि ३६ करोड़ लोगों के लिये कितने अन्न की आवश्यकता हो सकती है । अगर हम कहें कि एक आदमी को १४ आउंस खाने को चाहिये तो १४ आऊंस के हिसाब से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ३६ करोड़ आदमियों को खाने के लिये कितने अन्न की आवश्यकता होगी और हम कितना पैदा करते हैं और अगर कोई कमी रह जाती है तो वह कितनी रह जाती है और उस कमी को पूरा करने के तरीके हमें सोचने होंगे । इसके लिये तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी । आज हमारी सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी है और वह नये नये टैक्स लगाती जा रही है । नाना प्रकार के काम वह कर रही है । किस तरह से पैदावार को बढ़ाया जाये, अगर इसकी जांच करने के लिये कोई कमेटी बनाई जाती और वह गांव में जाती तो बात समझ में आ सकती थी ।

हमारे सामने जो डाटा पेश किया जाता है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि पैदावार बढ़ गई है । लेकिन जो यह कमेटी बिठाई गई है, इससे तो जो होर्डिंग की प्रवृत्ति है, वह भी बढ़ गई दिखाई देती है । पिछले दिनों मैं मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर जब था तो मुझ से लोगों ने कहा कि क्या कहत पड़ गया है जो सरकार को कमेटी बिठाने की आवश्यकता महसूस हो गई है । इससे तो होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ऐसा मेरा विचार है । इसलिये सरकार को कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं थी ।

अभी किसी भाई ने कहा कि गोमुल्का के मुल्क में हम लोग चले जाते हैं तथा दूसरे देशों का दौरा हम लोग करते हैं और सारी दुनिया घम आते हैं मगर हम अपने गांवों में जा कर वहां की हालत को नहीं देखते हैं । मैं एक किसान हूं । मुझे आप खाद दे दीजिये, पानी दीजिये

और खेत दे दीजिये और आप देखिये कि मैं कितनी पैदावार बढ़ा देता हूं। इसके साथ बैलों की आवश्यकता होती है लेकिन वे तो मेरे पास हैं ही। खेती करने के लिये अगर खाद, पानी और बैल हों, तो फिर उसके बाद अगर बीज कमजोर भी रहे तो ये जो तीन चीजें हैं ये बीज को मजबूत कर देंगी। जिस तरह किसी कमजोर आदमी को अच्छा खाना खिलाया जाये तो वह मजबूत हो जाता है उसी तरह से यह जो बीज कमजोर होगा, यह भी अच्छी खाद, अच्छे पानी और अच्छे बैलों से मजबूत हो जायेगा। ये तीन चार चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आप चाहे दुनिया घूम आइये, चाइना घूम आइये, पालैंड हो आइये, डेनमार्क हो आइये, कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप इन सब मुल्कों में तो जाते हैं लेकिन गांवों में जाना पसन्द नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप गांव में जायें, वहां की हालत को देखें और जिन चीजों की वहां पर आवश्यकता है उनको मुहैया करें, तो आप देखेंगे कि किस तरह से पैदावार बढ़ती है। एक बात मैं चाहता हूं और वह यह कि सरकार को मजबूती से काम लेना चाहिये। फूड का क्राइसिस नहीं लेकिन हमारे कम्यूनिस्ट और सोसलिस्ट भाई कहते हैं कि क्राइसिस आ गया है। शहरों की तो यह हालत है कि अगर आज जितना आटा एक रुपये में खरीदा जाता है अगर कल उसके लिये सवा रुपया देना पड़ जाता है तो उसी दिन हल्ला मच जाता है। अगर चार पैसे किसान के पास चले जाते हैं तो हल्ला मचाना शुरू कर दिया जाता है। अखबार शहर से निकलते हैं और अखबार को हमारी सरकार पढ़ती है, गांव में तो ये जाते नहीं हैं और गांव की स्थिति को कोई देखता नहीं है और बिना उस स्थिति को देखे जब हल्ला मच जाता है तो सरकार घबरा जाती है। मैं कहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को शान्त भाव से इस पर विचार करना होगा कि अन्न की पैदावार कैसे बढ़ेगी। देश को सब से अधिक दो चीजों की ही आवश्यकता होती है, एक तो देश की रक्षा के लिये उसे फौज चाहिये और दूसरे जनता को खिलाने के खाना चाहिये। पढ़ाई लिखाई हो या न हो, सड़कें बनें या न बनें, ये अलग चीजें हैं। लेकिन प्रधान चीजें दो ही हैं, एक तो फौज और दूसरा अन्न। इसलिये मैं चाहता हूं कि एग्रिकलचर की पैदावार बढ़ाने के लिये कमेटी बनाई जानी चाहिये थी, गांव गांव में जाना चाहिये था और देखना चाहिये था कि हमारी पैदावार कैसे बढ़ सकती है। मैं चाहता हूं कि जब तक पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार इंतिजाम न करे, तब तक दूसरा कोई काम न करे। मैं बताता हूं कि हमारे यहां एक गंडक प्राजैक्ट है जिसके पूरा हो जाने पर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तथा सारे बिहार दोनों के फूड प्राब्लेम साल्व हो जायेंगे। इससे १ करोड़ ८० लाख मन गल्ला वहां पैदा होगा। इस पर मेरा अनुमान है कोई २७ करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन इसको सरकार करती नहीं है। २७ करोड़ रुपया खर्च न करके सरकार ४० करो रुपया सबसिडी के तौर पर खर्च कर रही है। अगर बिहार में सरकार इस योजना को पूरा कर दे तो वहां का जो डिफिसिट है वह पूरा हो जायेगा।

आज मैं देख रहा हूं कि किसान को कोई इंसैंटिव नहीं है, कोई एनकरेजमेंट नहीं है, उनमें कोई उत्साह नहीं है जिस का नतीजा यह हो रहा है कि वे अधिक पैदा नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसान को अधिक पैदा करने के लिये रुपया दे दें, कर्जा दे दें खाद दे दें, बैल दे दें, बीज दे दें, पानी देवें तो आप देखेंगे कि कितना अधिक वह पैदा करके आप को दिखाता है। यह न करके हम सारी दुनिया का चक्कर लगाते फिर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, स्वाधीन होने से पहले जब हमारे नेता बार बार दूसरे मुल्क में जाया करते थे, तो महात्मा गांधी उनसे कहा करते थे कि यहीं पर तुम लोगों को जगाओ और आजादी आप से आप आ जायेगी। आज भी मैं कहता हूं कि बाहर जा से कोई फायदा

[श्री विभूति मिश्र]

नहीं है, आप गांव गांव में जाइये, वहां पर देखिय कि किस चीज की कमी है और उस कमी को पूरा करिये और उनको खाद दीजिये पानी दीजिये, बीज दीजिये तथा और जिन जिन चीजों की उनको आवश्यकतायें हैं वे दीजिये। एक बात जिसकी कि ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह खाद्यान को प्राइस का मामला है। होता यह है कि अगर आटा पहले पचे का ढाई सेर मिलता था अब अगर वह सवा दो सेर का मिलने लगे तो लोग घबड़ा जाते हैं और एक शोर सा मचने लगता है। ४, ६ पैसा अगर किसानों को मुनाफा मिलने लगे तो सारे लोग घबड़ा जाते हैं किसान लेमेन हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस में हम किसान ८० फ़ीसदी हैं और अगर हम वहां पर उनके लिये कोई आवाज उठाते हैं या मांग बुलन्द करते हैं तो यह कहा जायेगा कि यह तो कांग्रेस नहीं किसान सभा हो गयी। उसके विपरीत हम देखते हैं कि शहरों में जो रहते हैं हांलाकि वह केवल २० प्रतिशत हैं पोस्टमेन आदि, लेकिन चूंकि वे कोकल होते हैं और अखबारों आदि के जरिये प्रचार और शोर मचाते हैं तो सरकार उनकी बात तो सुनती है। मुझे यह चीज बड़े अफ़सोस के साथ कहनी पड़ती है कि ८० फ़ीसदी किसानों का इंटरेस्ट आज कोई नहीं देखता। हमारी मुश्किल यह है कि अब चूंकि कांग्रेस की सरकार हो गई है और अगर हम उनके वास्ते कुछ हल्ला करते हैं तो यह शिकायत की जाती है कि आप तो बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन वे नहीं बोल रहे हैं। आज किसानों का इंटरेस्ट ओवरलुक हो जाता है। कपड़े, सीमेंट, लोहे, आदि चीजों के दाम बढ़ गये, स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई, कागज पत्थर के दाम बढ़ गये और रेलवे का भाड़ा बढ़ गया तो उसी अनुपात से आप गल्ले का दाम बढ़ाइये। आखिर जब और सब चीजों के दामों में बढ़ोत्तरी होती है तो गल्ले पर पर भी तो उसका असर होना चाहिये।

अब जूट के बारे में मैं आपको बतलाऊं कि वह हमारे यहां १६ रुपये से २० पये मन के हिसाब से बिकेगा। उसका अब हमारे यहां समय आ गया है। २० पये मन के हिसाब से वे हमसे जूट खरीदते हैं और बाद में मिल वाले उससे ४ बोरे बना कर ४० पये में उसको बेचते हैं। २० रुपये उनको मुनाफे के तौर पर बचते हैं। जब से जूट का यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि फ़िनिश्ड गुड्स में कितना अधिक वे लोग मुनाफा कमाते होंगे। क़रीब क़रीब यही हाल कौटेन का है। मैं चाहता हूं कि हमारे जैन साहब जोकि हमारे इंटरेस्ट को गार्ड करने वाले हैं जो रामैटीरियल किसान पैदा करते हैं और जो उसका फ़िनिश्ड गुड्स तैयार होता है उसका हिसाब ठीक तरीक़े से बैठायें, भी किसानों के साथ न्याय हो सकेगा अन्यथा नहीं।

एक बात की ओर मैं विशेष रूप से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पता नहीं क्या बात हुई कि ईस्टर्न यू० पी० और बिहार में शुगरकेन की रिकवरी कम हो गई है। मुझे खतरा मालूम होता है कि कहीं आगे चल कर के गन्ने का दाम कम न हो जाय इसलिये मैं अपने फूड एंड एग्रिकलचर के मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि वे इस चीज का ध्यान रक्खें कि गन्ने का दाम कम न होने पाये।

दूसरी बात यह है कि इस गन्ने के काम में कुछ चालाक आदमी हैं जो मौडेल खाद ले लेते हैं और उनके पास गन्ने की अच्छी वैराइटी होती है और वे चाहते हैं कि गन्ने का दाम रिकवरी के ऊपर तय हो। मैं चाहता हूं कि जब तक प्रत्येक किसान को समान रूप से अच्छा बीज, अच्छी खाद और अन्य जरूरी साधन उपलब्ध न हों तब तक गन्ने का दाम रिकवरी के ऊपर न रक्खा जाय क्योंकि

उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और रिकवरी का हिसाब मिल वालों का रहता है और चूंकि अब के यह कहा जा रहा है कि रिकवरी कम हो गई है इसलिये मैं इसको गार्ड करना चाहता हूं कि गन्ने का दाम कम न होने पाये ।

मैं चाहता हूं कि जूट का मिनिमम प्राइस सरकार फ़िक्स करे जैसे कि कौटेन का किया है। कौटेन का मिनिमम प्राइस ठीक है, गन्ने की प्राइस ठीक है, उसी तरीक़े से जूट पैरिशेबुल गुड्स नहीं है और सरकार को चाहिये कि जूट का दाम ठीक करे। इस जूट के काम में कलकत्ते में २०, २५ परिवार रहते हैं उन्हीं में मिल बांट होती है और वही सारे जूट व्यवसाय का फायदा उठाते हैं और हम ग़रीब किसान बेवकूफ बन जाते हैं और मारे जाते हैं। हम से कहा जाता है कि तुम लोग जूट बाज़ार में लाओ और जब हम लोग दस, दस और बीस बीस कोस फ़ासला तय करके अपना माल लेकर उनके पास जाते हैं और अगर इसी बीच कलकत्ते से तार आगया कि बाज़ार बंद है तो हमसे कह दिया जाता है कि भाई आज कल जूट का हिसाब ठीक नहीं है इसलिये हम तुमको इतने से ज्यादा दाम नहीं दे सकते और उन किसानों को जो इतना फ़ासला चल करके और मुसीबत उठा करके अपना माल ढो करके लाये हैं लाचार हो कर जो भाव वह चाहते हैं बेचना पड़ता है और २ रुपये या ३ रुपये कम पर अपना माल बेच कर चले आते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस जूट के व्यवसाय में जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और उनको जो उचित मुनाफ़ा मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है उसको दिलाने के लिये इस ओर ध्यान दे और उसकी समुचित व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपनी बात को जल्दी समाप्त करें। उनका समय क़रीब क़रीब खत्म हो चला है।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट का समय और देने की कृपा की जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा का यह निर्णय है कि प्रत्येक सदस्य को १० मिनट दिये जायें मैं उनको १५ मिनट दे चुका हूं। अब उन्हें १ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र : भूमि सुधार का जहां तक सम्बन्ध है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि हमारे वहां चूंकि बटाई बिल पास हो गया है इसलिये पैदावार में कमी हुई है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फ़ूड एंड एग्रीकलचर का जो काम है यह तो सारा का सारा प्रान्तीय सरकारों के पास रहे अथवा केन्द्रीय सरकार के पास रहे, आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिये। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि जिस तरह से देश की रक्षा के लिये सेना की आवश्यकता है वैसे ही महत्व का प्रश्न देशवासियों के लिये समुचित भोजन का प्रबन्ध करना है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार ही सारे डिपार्टमेंट को ले ले और स्टेट गवर्नमेंटस के जिम्मे यह काम न रहे। फ़ूड एंड एग्रीकलचर की पूरी ज़िम्मेदारी भारत सरकार अपने ऊपर ले ले और दो जगह पर ऐसे महत्व-पूर्ण काम का बंटा होना कुछ ठीक नहीं मालूम होता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट में कोआपरेटिव फ़ार्मिंग का बड़ा शोर है लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार उस सम्बन्ध में बड़ी सावधानी से क़दम उठाये क्योंकि ज़मीन का मामला ऐसा नाजुक होता है कि ज़रा सी किसी की अगर मेंड कट जाती है तो लोग मरने मारने पर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभूति मिश्र]

उतारू हो जाते हैं और अकसर जानें चली जाती हैं। सब लोग अपनी अपनी ज़मीनों को एक में मिला करके बड़े पैमाने पर कोआपरेटिव फ़ार्मिंग करें, यह देखने में तो बड़ा आसान और लाभप्रद मालूम होता है लेकिन इसमें बड़ी दिक्कतें आगे चल कर खड़ी हो जाती हैं। अब मैं ग़रीब आदमी हूं, मेरी औरत है और चार पांच बच्चे हैं, मैं हल चला करके और रात दिन मेहनत करके अपनी थोड़ी सी ज़मीन जोत कर किसी तरह गुज़र बसर कर लेता हूं लेकिन जब वही ज़मीन कोआपरेटिव फ़ार्मिंग में चली जायेगी तो मेरा क्या बनेगा और मुझे तो नामुमकिन मालूम देता है कि वह कोआपरेटिव फ़ार्मिंग का काम सफलता पूर्वक चल सके। इसलिये अन्त में और अधिक न कह करके मुझे यही कहना है कि अपने देश की स्थिति को देखते हुए हमें सावधानी के साथ इस कोआपरेटिव फ़ार्मिंग को अपने यहां चालू करना चाहिये अन्यथा बड़ी गड़बड़ हो जायगी ।

†**श्री रंगा** (तेनाली) : खाद्य तथा कृषि मंत्री का सहकारी खेती के प्रति उत्साह और कृषि सम्बन्धी मूल्यों में वृद्धि के प्रति नीति, यह दोनों ऐसी बातें हैं जिन से देश का अपकार हो रहा है।

कुछ वर्ष पूर्व दूसरी सभा में मैं ही एक व्यक्ति था जिस ने पंचवर्षीय योजना का विरोध किया था क्योंकि सरकार बड़े बड़े सहकारी खेतों के द्वारा करोड़ों किसानों को पर्यवेक्षकों, प्रबन्धकों, इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों की दया पर छोड़ रही थी और उन्हें केवल मज़दूर बना रही थी। मैं ने उस समय भी सरकार को चेतावनी दी थी और आज भी उसे दोहराता हूं। यदि एक माननीय मित्र रूस और चीन के समाचारों को प्रस्तुत करें तो अवश्य ही सभा का विचार बदल जायेगा ।

मेरा यह विश्वास है और मैं यह नीति ६ करोड़ किसान परिवारों की रक्षा के लिये चला रहा हूं। प्रधान मंत्री एक दिन एक स्थान पर कह रहे थे कि गत निर्वाचनों में उन्हें अधिकतम सहायता गांवों से मिली है। इस का यह अभिप्राय है कि उनके सहायक किसान थे अतः उन्हें किसानों को नहीं भूलना चाहिये ।

सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पोलैंड में श्री गोमुल्का ने दिखा दिया है कि किसानों के साथ धोखा नहीं किया जा सकता, और हंगरी की क्रांति ने भी इसी बात का परिचय दिया था ।

मैं यह कह सकता हूं कि सहकारी खेती की योजना की अपेक्षा कृषक अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत देश का अधिक लाभ हो सकता है ।

मैं ग्रामीण लोक संगठन के संघ और भारत किसान सम्मेलन की ओर से एक आन्दोलन चला रहा हूं कि किसान स्वयं अपने आप से यह निवेदन करें कि वे अधिक अन्न उपजायें जिस से वे बड़े बड़े अधिकारियों से अपनी रक्षा कर सकें। इस के लिये मैं सरकार और गैर सरकारी लोगों से सहयोग की मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि पुनः अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन आरम्भ हो ।

"भारत में कृषि स्थिति" नाम की पुस्तक में वह स्थिति बताई गई है जो कुछ सुझावों को स्वीकार करने से पैदा हुई थी। फसलों के उत्पादन पर पारितोषिक देने का जो सुझाव दिया गया था वह बहुत अच्छा था। उस से बम्बई में १६० मन प्रति एकड़, मद्रास में १०७ मन

†मूल अंग्रेजी में

प्रति एकड़, केरल में १२८ मन प्रति एकड़, मैसूर में १५० मन और कुर्ग में १०० मन प्रति एकड़ उत्पादन हुआ। इन सब प्रदेशों में शताब्दियों से रैयतवाड़ी प्रणाली है। जहां तालुकदारी और जमीदारी की व्यवस्था थी वहां उत्पादन कम रहा। आज जब कि करोड़ों लोग अपनी भूमियों के स्वामी बन रहे हैं तो आप उन्हें इन अधिकारों से वंचित कर देना चाहते हैं। जो काम उस ने तानाशाही के अधीन किया था वह आप लोकतन्त्र के अधीन कर रहे हैं।

भूदान की सहायता से पिछड़ी और दलित जातियों के परिवारों को जो एक आध एकड़ भूमि कुछ क्षेत्रों में मिली है उनका प्रति एकड़ अधिक उत्पादन हुआ है। और वे सदा ही तथा कथित सहकारी खेती की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर सकते हैं। गत चार अथवा पांच वर्षों में २०० ऐसे फार्म बनाये गये थे और सभी असफल हुए हैं। गत वर्ष बांडुंग में खाद्य तथा कृषि संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया सम्मेलन में विशेषज्ञः भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सहकारी खेती ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि सिवाय खेत के आप को किसानों के सभी कामों में अर्थात् पारिवारिक श्रम और खेत के काम में पारिवारिक श्रम के उपयोग में सहकारिता पैदा करनी चाहिये।

यह एक अत्यन्त असाधारण बात है कि इस सरकार ने एक समिति बनाई है जिस में किसानों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। आज यह तरीका इसलिये अपनाया गया है क्योंकि उन्हें किसानों के मत तो मिल ही चुके हैं। जब मूल्य कम हुए थे तो कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी और आज मूल्य नियंत्रण के पक्षपाती लोगों की समिति बनाई जा रही है। मैं इस नीति का विरोध करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं खाद्य स्थिति की एक बात के विषय में ही कहूंगा और वह है खाद्यान्न के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने में सरकार की असफलता।

सर्व प्रथम तो खाद्यान्न के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े ही अविश्वसनीय हैं। माननीय मंत्री ने १९५६–५७ के उत्पादन का अनुमान ५४८ लाख टन बताया था परन्तु सदस्यों में परिचालित कागजों में इसे ५६० लाख टन बताया गया।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री** (**श्री अ० प्र० जैन**) : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि अन्तिम पुनरीक्षित आंकड़े ठीक हैं। पहले के आंकड़े अस्थायी थे।

श्री नौशीर भरूचा : यह खेदजनक बात है कि सरकार को दो ही साल में अपने आंकड़े बदलने पड़े। माननीय खाद्य मंत्री ने जो कारण बताये हैं कि बिहार में फसल नष्ट हो जाने, क्रय शक्ति के बढ़ जाने, उत्तम अनाज की मांग बढ़ने और किसानों द्वारा माल बाजार न ले जाने से सरकार मूल्यों की वृद्धि को नहीं रोक सकी, ये सब कारण विश्वसनीय नहीं हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि जब १९५३–५४ में उत्पादन केवल ४७० लाख टन था तो क्रय शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अब ५४० लाख टन उत्पादन होने पर मूल्य बढ़ गये हैं।

मुझे तो शंका है कि ५४० लाख टन की बजाये ५०० लाख टन भी उत्पादन नहीं हुआ होगा और पदाधिकारी यह दिखाने के लिये खाद्य उत्पादन पर जो करोड़ों रुपया व्यय हुआ है वह व्यर्थ नहीं गया आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। सरकार ने मूल्य घटाने के लिये क्या किया है ? जनवरी १९५६ से निर्यात बंद कर दिया गया, और फसलों पर पेशगियां देनी बंद कर दी गई,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशरि भरुचा]

और सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं। जनवरी १९५६ से निर्यात को बंद करना ऐसा काम था जिसे कोई भी मूर्ख उस समय कर सकता था जब मूल्य बढ़ रहे थे। बैंक के उधार पर प्रतिबन्ध अनमनी सी कार्यवाही है। कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली को अलग करना भी केवल धोखा है क्योंकि वहां लाखों मन अनाज प्रतिदिन आता है और उसे कोई रोक नहीं सकता।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

सस्ते अनाज में हम अमरीकी घटिया प्रकार के गेहूं दे रहे हैं अतः देशी गेहूं के भाव में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

हमने करोड़ों रुपया बड़े सिंचाई कार्यों और छोटे सिंचाई कार्यों आदि पर लगाया है। इस समय समस्या सहकारी खेती की नहीं वरन् मूल्यों की वृद्धि को रोकने की है। अतः सिंचाई कार्यों की अपेक्षा अच्छे बीज पैदा करने में पूंजी लगानी चाहिये।

किसानों को उर्वरक समय पर नहीं मिलते। हमें काफी मात्रा में उर्वरक चाहियें अतः हमें उनका आयात भी करना चाहिये।

माननीय मंत्री को हमारी बातों की केवल इसलिये उपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि यह विरोधी पक्ष की आलोचना है वरन् हम वस्तुतः उन्हें सहयोग देना चाहते हैं। खाद्य स्थिति के बारे में एक समिति जांच कर रही है परन्तु यह समिति न जाने इस जांच में कितना समय लगायेगी। अतः इस के लिये कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिये नहीं तो हड़तालों आदि के उपद्रव उठ खड़े होंगे।

श्री झुन झुनवाला (भागलपुर) : सभापति महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुये दस साल हो गये हैं लेकिन हमने अभी तक आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं की है। जितनी देरी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने में लग रही है, उतना ही हम नीचे की ओर खिसकते जा रहे हैं।

सन् १९४७ में महात्मा गांधी जी ने कहा कि चाहे हम भूखों मर जायें परन्तु हम लोगों को बाहर से अन्न नहीं मंगाना चाहिये। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि बाहर से अन्न भी आ रहा है, घी भी आ रहा है, दूध भी आ रहा है, दूध, घी बाहर से नहीं आता था मगर अब दूध मंगाने की भी अवस्था उत्पन्न हो रही है। पहले देहातों में जब हम लोग जाया करते थे तो हमको दूध, मलाई, दही आदि काफी मात्रा में मिल जाता था मगर अब जो हमें मिलता है वह है सोडा वाटर, लैम्नेड, बीड़ी आदि। आजकल इन चीजों की ही भरमार है। हम लोग १९४७ से १९५४ तक ११७८ करोड़ रुपये का अन्न बाहर से मंगा चुके हैं और इसके ऊपर हम लोगों ने कोई १८१ करोड़ रुपये बतौर सबसिडी के खर्च किये हैं। इसके अतिरिक्त इसमें से कितना माल ऐसा है जो खराब हो गया है, कितना माल ऐसा है जो लोगों को दिया जाता है परन्तु वे उसे लेना तथा खाना नहीं चाहते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। इतना होने पर भी हमारी जो बाहर से अन्न मंगाने की भूख है, वह शान्त नहीं हो पा रही है। आज हम फारेन एक्सचेंज के लिये हाहाकार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से सैकिंड फाइवइयर प्लान (द्वितीय वर्षीय योजना) को हम सक्सैस (सफलीभूत) बनाएं। हमने ऐसी अवस्था पैदा कर दी है या यों कहिये कि ऐसी अवस्था पैदा हो गई है कि हमें अभी भी बाहर से अन्न मंगाना पड़ रहा है। इस का एक कारण जो मुझे दिखाई देता है वह यह है कि जो चीज

हमारे यहां है, उसकी ओर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हम दूसरे मुल्कों को डेलिगेशंस (शिष्टमंडल) भेजते हैं, वहां की चीजें देख कर उसका अनुकरण करने पर ही अपना ध्यान देते हैं, यद्यपि वह चीज यहां की परिस्थिति के अनुकूल नहीं हैं। ये डेलिगेशंस जब वापिस आते हैं तो अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजते हैं और जो गवर्नमेंट का समय है वह उस रिपोर्ट को वाचने में तथा देखने में ही व्यतीत हो जाता है और यह देखने में ही गुजर जाता है कि यह चीज यहां पर लागू होगी या नहीं। अभी मसानी साहब ने कहा कि पाटिल साहब कहते हैं कि इतने दिनों के अन्दर इतनी कोओपरेटिव्स (सहकारी खेत) तो हो ही जानी चाहियें जब कि प्लानिंग कमिशन ने यह कहा है कि अगर कोओपरेटिव्स हों तो वालैंटरी बेसिस पर हों। इसकी आर्गुमेंट (तर्क) उन्होंने यह दी कि दूसरे मुल्कों में कोओपरेटिव बेसिस पर जहां फार्मिंग हुआ है, वहां का यह नतीजा रहा है और जहां पर जो व्यक्तिगत फार्म पर लोगों ने खेती की उसका यह नतीजा रहा है। ये सब आंकड़े हमारे श्री मसानी साहब ने आपके सामने रख दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत खेती से उपज अधिक होती है। मुझे भी एक बार नंदा साहब से जब वह प्लानिंग (योजना) के मिनिस्टर थे, और शायद अब भी हैं, बात करने का मौका मिला था। मुझ से उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन (बड़े पैमाने पर उत्पादन) होना चाहिये जब कि मैंने उनसे कहा कि मेरे अनुभव के आधार पर निजी राय यह है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन से व्यक्तिगत जो छोटे छोटे फार्म होते हैं वे उपज की दृष्टि से अच्छे रहते हैं। एक आदमी भी जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्शन को छोड़ दीजिये जो कि कोओपरेटिव बेसिस पर होती है, तब भी रिजल्टस इतने उत्साहवर्द्धक नहीं होते जितने उत्साहवर्द्धक कि वे एक एकड़ में या दो एकड़ में, जहां पर कि सारी फैमिली जी जान से काम करती है, होते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट्स उस सूरत में भी निकाले जा सकते हैं जब कि एक ही आदमी का मेनेजमेंट होता है और वह लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है। मैंने ऊख की खेती, गेहूं की खेती तथा चावल की खेती बड़े तथा छोटे दोनों पैमानों पर करवा कर देखी है। चावल, गेहूं आदि की खेती थोड़े थोड़े पैमाने पर की है, परन्तु ऊख की खेती बड़े पैमाने पर चार पांच हजार एकड़ के फार्म पर की है। छोटे छोटे किसानों से भी हम लोगों ने खेती करवाई और ऊख ली और उन्होंने जो उपज बढ़ाया है उनको भी हमने देखा है। इन उपज के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि बड़े फार्मों पर जहां खेती की गई है वहां का उपज तो यह निकली है कि एक एकड़ में ५०० मन तक पैदावार हुई है, जब कि छोटे छोटे फार्मों पर उनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के बाद, बीज वगैरह देने के बाद और समय पर सब काम कर देने के बाद जो रिजल्ट निकला वह यह था कि एक एकड़ में ७०० मन और ८०० मन पैदा हुआ। यहां पर यह कह दिया जाता है कि छोटे फार्मों से १५०, २०० या २५० मन तक ही पैदा किया जा सकता है इससे अधिक नहीं। अभी मसानी साहब ने कहा यह ठीक नहीं है। छोटे-छोटे व्यक्तिगत फार्मों से भी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि उनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करनी होंगी। अगर उनकी पैदावार नहीं बढ़ती है तो इसका कारण यह है कि न उन लोगों के पास पैसा होता है, न वे अच्छी तरह से खाद दे पाते हैं, न उन को समय पर पानी मिलता है और न ही दूसरी, सहूलियतें मुहैया की जाती हैं। आज हम यह कह देते हैं कि वहां पर तो अधिक पैदा हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या आपने कभी कोई एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) किया है। क्या आपने एक्सपेरिमेंट करने की खातिर, उनको अच्छे बीज दिये हैं, पानी की फैसिलिटीज दी हैं, खाद दी है, कर्ज दिया है? अगर ये सब सुविधायें आपने उन्हें प्रदान नहीं की हैं तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि छोटे छोटे तथा व्यक्तिगत फार्मों में पैदावार बढ़ाई ही नहीं जा सकती है। अगर शुरू होन से हमने ये सुविधायें प्रदान करने की नीति ग्रहण की होती तो हमें आज विदेशों का मुह न ताकना पड़ता। हमने इस समय गंवाने के बजाय कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो या न हो स्केल स्केल

[श्री झुनझुनवाला]

प्रोडक्शन हो या न हो, छोटे छोटे फार्म हों या न हों यदि सुविधायें प्रदान करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया होता तो ठोस नतीजे आज हमारे सामने आ सकते थे यह कह दिया जाता है कि जिन लोगों के पास एक बीघा या दो बीघे जमीन होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े होने से खेती ठीक नहीं होती है। कुर्सियों पर बैठ कर के तथा बाहर के मुल्कों के हालात को देख करके और रिपोर्टें छाप करके काम नहीं चल सकता है।

हमारे मित्र श्री राम सुभग सिंह जी कह रहे थे कि वक्त पर पानी नहीं मिलता है, किसान बेचारे पानी का रेंट नहीं दे सकते हैं, खाद नहीं खरीद सकते हैं, अच्छा बीज नहीं खरीद सकते हैं और इन सब चीजों की आपको व्यवस्था करनी होगी। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि खेती खराब हो जाती है, छोटे किसान अधिक पैदा नहीं कर सकते हैं। इस तरह के दोष उन पर लगाना मेरे विचार में ठीक नहीं है और यह अच्छी बात नहीं है। वे लोग अच्छी तरह से पैदा कर सकते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। इसमें आप सरकार का दोष समझिये, उनका दोष समझिये, हम लोग जो वहां पर कार्य करने वाले हैं, उनका दोष समझिये, स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) का समझिये या सैंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) का समझिये, लेकिन असलियत यह है कि उनको किसी भी चीज की फेसिलिटीज (सुविधाएं) नहीं हैं। अगर उनको हर प्रकार की फेसिलिटी होती तो मेरा विचार है कि अन्न के बारे में हमारी जो आज स्थिति है वह न होती और हमारी स्थिति कहीं अच्छी होती। परन्तु हम उन लोगों को निगलैक्ट कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उन लोगों के बीच जब कभी भी जाते हैं तो बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात करते हैं और वे लोग जो हैं वे हमारी इस बात को सुनकर हताश हो जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, वहां से अन्न हमको मिल जाएगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति उनकी हो गई है या हम लोगों ने उनकी कर दी है। जब उन लोगों को सहायता नहीं मिलती है, बिया नहीं मिलता है तो वे हमको दोष देते हैं। मैं समझता हूं कि जो थोड़ी बहुत उनके पास जमीन है, उसमें भी वे लोग बहुत अच्छी तरह से पैदा कर सकते हैं और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे घी और दूध आदि को लीजिये। हमारे मसानी साहब ने ठीक ही कहा कि बैल से जो खेती होती है उसकी उपज कहीं अच्छी होती है। अब हर कोई जानता है कि हमारे देश में बैलों की क्या हालत है और गायों की क्या हालत है और हमारे सभापति महोदय तो जब कभी उनको अवसर मिलता है बराबर इस हाउस में कहते आये हैं कि सरकार ने गाय और बैलों की दशा में सुधार के लिए क्या किया है। आज हालत यह बन रही है कि न तो देहातों में घी है और न दूध है। आज देहातों से घी और दूध कहां चला गया है? आज देहातों में न तो अच्छे बैल मिलते हैं और न अच्छी गायें मिलती हैं तब आप ही बतलाइये कि कैसे हमारी खेती अच्छी हो सकती है और कैसे हमें अच्छा और पर्याप्त घी और दूध मिल सकता है? मैं समझता हूं कि जितना ध्यान सरकार को इस ओर देना चाहिए वह नहीं दे रही है। गांव वालों और जनता को यह बड़े जोर शोर से बतलाया जाता है कि देखो सरकार ने इतना रुपया सबसिडी (सहायता) के रूप में दे दिया, सरकार ने इतने रुपये का अन्न बाहर विदेशों से मंगा लिया और सरकार आप लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। मेरा कहना है कि वह आपका प्रचार करना तो ठीक है लेकिन हमने देखा है कि उसमें काफी रुपये की बर्बादी होती है। आपको अधिकार है कि आप टैक्स लगा दें और जनता से टैक्स वसूल कर लें और टैक्स वसूल करके इस तरह से जनता के रुपये को बर्बाद करें लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं

कि क्या यह एक जनता की और लोकप्रिय सरकार का काम होना चाहिए ? जहां देश में अकाल पड़ता है वहां के लिए सरकार कह देती है कि वहां हम इतना रुपया देंगे और इतनी गवर्नमेंट वहां पर सबसिडी देगी। मैं मानता हूं कि ऐसा करना ठीक है और ऐसा करके सरकार वहां की जनता के ऊपर बड़ी मेहरबानी करती है लेकिन मैं तो कहूंगा कि उसने ऐसा मौका ही क्यों आने दिया कि वहां पर अकाल पड़ा और वह समय रहते क्यों नहीं चेती ताकि ऐसा मौका ही न आता ? मैं इससे इंकार नहीं करता कि कभी कभी दैवी प्रकोप हो जाया करता है और दैवी प्रकोप पर न तो सरकार का वश चलता है और न ही किसी और व्यक्ति का चल सकता है वह तो दूसरी चीज है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दैवी प्रकोप अक्सर नहीं हुआ करता और अगर आप पिछले दस वर्षों को देखें तो पायेंगे कि कहीं पर ऐसी कोई दैवी घटना नहीं हुई जिसकी कि वजह से आज जो हमारे देश में खाद्यान्न और दूध दही की अवस्था है, उससे भिन्न अवस्था होती। अन्न के प्रोडक्शन के बारे में सरकार की ओर से आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं कि इतना गल्ला पैदा हुआ। कल हमारे डा० राम सुभग सिंह कह रहे थे और आंकड़े रख रहे थे कि इतना रुपया इर्रीगेशन (सिंचाई) में लगाया जायगा और इतना रुपया सीड्स में लगाया जायगा और उससे हमारे देश का इतना अन्न का उत्पादन बढ़ जायेगा। मुझे याद है कि सन् १९४८–४९ में जो इस काम के इंचार्ज थे उनसे जब मैंने इस प्रोडक्शन के बारे में बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि देखिये हमारी स्कीम यह थी कि हम इतना बीज यहां पर बांट दें, इतना हम यहां पर पानी दें और इतना हम यहाँ पर खाद दें, वह सब हमने दे दिया और उसके देने से हम लोगों को इतनी ज्यादा अन्न की उपज मिलनी चाहिए और आप समझ लीजिये कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। यह तरीका है उनके हिसाब करने का। जब मैंने उनसे कहा कि प्रोडक्शन बढ़ा है इसको जांचने का यह कैसा तरीका है तो उन्होंने कहा कि हमारा तरीका तो यही है कि हम लोग यहां पर बैठ करके कागज पर आंकड़ों का हिसाब लगा करके जोड़ बाकी कर लेते हैं और हिसाब लगा लेते हैं कि इतना प्रोडक्शन बढ़ा।

मैं फूड एंड एग्रीकलचर के मिनिस्टर श्री अजीत प्रसाद जैन साहब से जो कि बनिया जाति के हैं, यह निवेदन करूंगा कि आप इसका पूरा पूरा एक एक पैसे का हिसाब रक्खें कि जो आप पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, वह बर्बाद तो नहीं किया जा रहा है और आया उसका ठीक ढंग पर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह की खबरगीरी नहीं रखते और देखभाल नहीं करते और लोगों पर टैक्स पर टैक्स लगाते जायेंगे तो सिवाय जनता का पैसा बर्बाद होने के और दूसरा नतीजा निकलने वाला नहीं है। और गल्ले के मामले में आत्मनिर्भरता का जो आपका लक्ष्य है उस तक आप नहीं पहुंच सकेंगे और आपको बाहर के देशों से गल्ला काफी रुपये खर्च करके मंगाना पड़ेगा।

आप यह कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स तो आटोनमस (स्वायत्तशासी) हैं हम कैसे उनके बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं ? मैं इससे इंकार नहीं करता कि स्टेट गवर्नमेंट्स आटोनमस हैं और यह भी ठीक है कि जहां तक डे टु डे ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने का सम्बन्ध है सेंटर को इंटरफीयर (हस्तक्षेप) नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप आये दिन स्टेट मिनिस्टर्स की फूड कान्फ्रेंसेज (खाद्यान्न सम्मेलन) बुलाते हैं तो वहां पर उनसे इस बारे में क्यों नहीं डिसकस करते और पूछते कि जो रुपया हमने आप लोगों को दिया है उसके बदले में आपने हमें क्या रिटर्न दिया है।

[श्री भूनभुनवाला]

मैं अपने मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह इस देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें गायों और बैलों की दशा को सुधारना चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि अगर हमारी गायें और बैल अच्छे और तंदुरुस्त होंगे तो हमारी खेतीबाड़ी के काम में तरक्की होगी और देश में घी और दूध का जो आज तोड़ा है वह भी कम हो सकेगा। यह बड़े खेद का विषय है कि आज हमारे पशुधन का निरन्तर ह्रास होता चला जा रहा है? मैं श्री मसानी से सहमत हूं कि जहां तक ट्रैक्टर्स आदि से इस देश में खेती बाड़ी के काम करने का सवाल है वह तरीका इस देश की स्थिति को देखते हुए विशेष कारगर सिद्ध न होगा। ट्रैक्टर्स आदि बड़े बड़े किसान तो मुहैय्या कर लेंगे लेकिन छोटे छोटे किसानों के लिए उनको प्राप्त करना कठिन होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को देखे कि किसानों को खेती बाड़ी का काम करने के लिए जिन जिन जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है वे सब उनको समय पर मिल जायं। ऐसा न किया जाय कि छोटे छोटे किसानों के लिए यह कहा जाय कि वे लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं और इसलिए यह कह दिया जाय कि जाइये हम छोटी खेती नहीं चाहते सब चीजें हम अपने हाथ में ले लेते हैं और हम बड़े पैमाने पर को-आपरेटिव फार्मिंग करेंगे। आज हम देखते हैं कि बेचारे किसानों को उनके गल्ले के उचित दाम बाजार में नहीं मिलते। सरकार को इस ओर देखना चाहिए और उनके लिए वेयर-हाउसेज का प्रबन्ध करना चाहिए। किसानों के लिए क्रेडिट का समुचित प्रबन्ध किया जाय और यह देखा जाय कि बड़े-बड़े व्यापारियों को ही क्रेडिट की सुविधा न मिले जैसे कि आजकल देखने में आता है।

जहां तक अनाज को अनुचित रूप से संग्रह करने और उससे नाजायज मुनाफाखोरी करने का सम्बन्ध है उसके बारे में आपने एक कानून भी हाल ही में बनाया हुआ है कि जिसके पास इतनी मिकदार से ज्यादा गल्ला रहेगा उस से वह गल्ला ले लिया जायगा। अब आपके पास आंकड़े मौजूद हैं कि बैंक ने किन पर कितनी रकम दी। अगले दिन प्रश्नों में आप उनसे यह जान सकते हैं कि कहां कहां बताया कि करोड़ों रुपयों का गल्ला दबा पड़ा हुआ है और अगर वह उसको बाजार में नहीं बेचते हैं और अनुचित रूप से उस माल पर मुनाफा करना चाहते हैं तो आप उस माल को ले सकते हैं। हमको केवल कानून पास कर लेने से ही संतोष नहीं करना होगा वरन यह देखना होगा कि वास्तविक में प्रान्तों में उन पर ठीक तौर से अमल हो रहा है कि नहीं और हमारे देश का खाद्यान्न का उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब हम इस सम्बन्ध में जागरुकता से काम लेंगे और एक प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) दृष्टिकोण अपनायेंगे और कानून को अमल में लायेंगे।

श्री रा० क० वर्मा : सभापति महोदय, इस खाद्य और कृषि मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में जो मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका अनुगृहीत हूं। श्रीमान्, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके सम्बन्ध में कितने ही सदस्यों ने अपने विचारों से इस सदन को अवगत कराया है। हमारे श्री मसानी ने डेनमार्क, हालैंड और रूस का भी जिक्र किया। उन देशों की हालत मैंने भी जाकर देखी है कि वहां पर किस तरीके से कृषि होती है, वहां का उत्पादन किस प्रकार का है उसका मैंने पूरा-पूरा अनुभव किया है। जहां तक रूस का सम्बन्ध है रूस हमारे देश से छै गुना बड़ा देश है और उसकी आबादी भारत की आबादी से आधी है। वहां पर कई प्रकार के प्रयोग किये गये लेकिन श्रीमान्, आज भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि को-आपरेटिव फार्मिंग में और व्यक्तिगत खेती के उत्पादन में काफी फर्क है। मैंने वहां देखा कि एक हेक्टर के अन्दर को-आपरेटिव फार्मिंग से तीन टन काटन का

उत्पादन होता है, लेकिन जो व्यक्तिगत कृषि करते हैं वह एक हेक्टर में सवा तीन टन का उत्पादन करते हैं। वहां पर भी को-आपरेटिव के जरिए लार्ज स्केल फार्मिंग में और व्यक्तिगत खेती के उत्पादन में काफी फर्क है। इसके बावजूद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूस के अन्दर आज भी खाद्य पदार्थों की भारी तंगी है और जो उनके भाव हैं उन को देखते हुए मुझे लगता है कि दरअसल हमारा शासन और हमारी सरकार देश के अन्दर कृषि उत्पादन के लिए जो प्रयत्न कर रही है, वह अनुचित नहीं है। मैं यह मानता हूं कि भारत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किया है, वह किसी भी देश से कम नहीं है। बल्कि अगर उससे आगे जाकर मैं कहूं तो हमें यह सोचना चाहिए कि थोड़े समय के अन्दर हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है। आज रूस के अन्दर क्या स्थिति है खाद्य पदार्थों की अगर एक आदमी एक टाइम पर खाना खाना चाहता है तो उसको छः रुबल से कम नहीं खर्च करना पड़ता है, दोनों वक्तों के लिए बारह रुबल चाहिएं, और अगर नाश्ता चाय वगैरह ले तो एक आदमी को कम से कम सोलह रुबल चाहिएं। रूस के अन्दर कम से कम वेतन ४०० रुबल मिलता है। वहां पर एक आदमी ४०० रुबल में अपना पेट भरने के सिवा अपने बीवी और बच्चों को भी नहीं खिला सकता। आज वहां पर खाद्य पदार्थों का भाव इस तरह पर है।

हमारे देश में १५ अगस्त सन् १९४७ के पहले क्या हालत थी? उसके बाद आज हमारी हालत क्या है? इसके लिए हमें गर्व है। लेकिन एक बात जरूर है; दुनियां के और देशों में जहां पर कृषि का विकास हो रहा है, उनकी सारी बातों की हम नकल करते हैं। अगर दुनियां के और देशों के साथ साथ हमारे देश की जो हालत है उस पर विचार किया जाए तो मैं यह कहूंगा कि हम अभी काफी तरक्की कर सकते हैं। सरकार के काफी प्रयत्नों के बावजूद भी, हमारे राज्यों को काफी धन देने के बावजूद भी हमारे मिनिस्टर साहब की बदकिस्मती कहिए या हमारी बदकिस्मती कहिए, हम इस समस्या पर काबू नहीं पा रहे हैं। अगर हमारा उत्पादन एक तोला बढ़ता है तो भाव चौगुने बढ़ते हैं। अब तो हमें यह देखना है कि हमारा जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा भाव बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाए।

आज मुझे निवेदन करना है कि दरअसल उत्पादक और उपभोक्ता एक तरफ हैं और लैंडलार्ड (जमींदार) और दूसरे वितरक एक तरफ। आज हमारे देश में जिन लोगों के पास जमीन है वह लोग जमीन के होते हुए भी खेती नहीं करते, जो उसका उपयोग नहीं करते लेकिन मुनाफा कमाते हैं। एक साइड तो यह है? दूसरी तरफ उपभोक्ता और उत्पादक हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। आज उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन वे लोग मेहनत करते हैं और अपना छोटा मोटा हिस्सा लेते हैं। आज जिन के पास जमीन नहीं है और जो खेती करते हैं और दूसरी तरफ जो जमीन वाले हैं और खेती या मेहनत नहीं करते हैं, उनमें फर्क है। इन दोनों में फर्क होने की वजह से ही जिन के पास जमीन है वह भाव बढ़ने के कारण माला माल होते जा रहे हैं, और सरकार से राज्यों को जो सहायता दी जा रही है और राज्य सरकारों द्वारा जो लेवी आदि की जा रही है उनका भी फायदा यही बड़े-बड़े मालदार लोग और लैंडलार्ड उठा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे देश का एक बड़ा भारी हिस्सा...

एक माननीय सदस्य : लैंडलार्डस से आप का मतलब क्या है?

श्री रा० क० वर्मा : लैंडलार्डस से मेरा मतलब यह है कि मैं जागीरदारों और राजों, महाराजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो जमींदारों, राजों

[श्री रा० क० वर्मा]

महाराजों और जागीरदारों से भी ज्यादा बन गया है। मैं उन की बात कर रहा हूं जिन्होंने हजारों बीघे जमीन अपने हाथ में रख रक्खी है। जमीदारी, जागीरदारी, राजों महाराजों और नवाबों का क्या हुआ? वह समाप्त हो गए। लेकिन उसके साथ एक बात हुई। जिस वक्त राजे महाराजे, जमीदार और जागीरदार समाप्त हुए, उन्होंने जो जमीन उनके पास थी, उसको अपनी बीवियों के नाम कर दिया, अपने बच्चों के नाम कर दिया, अपने सालों के नाम कर दिया। केवल वही बच्चे बच गए जो कि गर्भ में थे या गर्भ में नहीं आए थे। इस तरह से कर के उन्होंने अपनी जमीन को गरीबों के हाथ में जाने से रोक दिया।

हमारे अनुदानों के विवेचन में बताया गया कि १५ लाख, ५१ हजार एकड़ जमीन से सरकार ने ट्रैक्टरों के द्वारा कांस उन्मूलन किया और उसके बाद जमीन को कृषि योग्य बनाया। इस पर काफी जोर दिया गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस के लिए किया गया और किसने किया? अगर खेतिहर मजदूर को आप १५ एकड़ जमीन भी दे देते तो उससे एक लाख खेतिहर मजदूरों को जमीन मिल जाती। मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूं। एक महाराजा साहब जो हमारे प्रदेश के बड़े भारी राजा थे, उनको शासन की तरफ से जो जमीन दी गई वह ४३९४ बीघे थी। आप यह समझिए कि जिन राजों महाराजों के पास शिकारगाह हैं, हजारों एकड़ जमीन है, और वह खेती नहीं करते हैं, खेती न करने के बावजूद भी उनको खेती करने के लिए जो जमीन दी जाती है, वह ट्रैक्टरों से साफ कर के दी गई है। उसके अलावा उनकी महारानी साहिबा को भी ४०० बीघे जमीन दी गई। वह आज हमारी पार्लियामेंट में भी विराजमान हैं। आज आप इन राजों महाराजों को जमीन दे रहे हैं लेकिन जो खेतिहर मजदूर है, जो बेचारा दिन रात अपना हल चला रहा है उसके पास कुछ नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बड़े भारी पूंजीपति हैं, बड़े भारी कारखानेदार हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनको खेती करने के लिए जमीन दी जाती है, करीब २०३५ बीघे दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक साल तक, दो साल तक, तीन साल तक उस पर खेती नहीं की और वह यों ही पड़ी रही। एक तरफ फारेस्ट डिपार्टमेंट झाड़ लगाता है उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। फारेस्ट डिपार्डमेंट तो झाड़ लगाता है और यह बन्दिश लगी हुई है कि उसको नहीं काटे, लेकिन इन बड़े बड़े लोगों ने जितनी झाड़ वे काट सकते थे, काटा। उसके लिए ट्रैक्टरों से काम लिया। और इस प्रकार से थोड़े समय के अन्दर उन्होंने १७४१ झाड़ काट डाले। अब इस सब की मूल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि दरअसल आप का कानून है, आपके हाथ में हुकूमत है, जिस पर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एक तरफ वह लोग हैं जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, उन बेचारों की कोई परवाह नहीं करता, दूसरी तरफ वह लोग हैं जो कि फारेस्ट डिपार्टमेंट (वन विभाग) की झाड़ तक काट ले जाते हैं। अगर कोई गरीब आदमी रोटी बनाने के लिए कहीं से भी एक टहनी काट ले तो उसको जेल में बन्द कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वह आदमी हैं जो कि समझते हैं कि सरकार उनकी है, वह जो चाहेंगे कर लेंगे, उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। जब वह लोग झाड़ काटते हैं और सरकार की ओर से उनको लिखा जाता है तो वे कोई जवाब तक नहीं देते। अगर जवाब देते भी हैं बहुत देर कर के देते हैं, और उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो कि लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास

जमीन नहीं है, जो भील भिलाड़े हैं और लंगोटी तक पहनना नहीं जानते, उन्होंने कहीं से जा कर थोड़ी सी झाड़ काट ली। उनको छः महीने की सजा हो गई।

आज़ जो हमारी नीति है, हमें उसको बदलना होगा। हमें यह करना होगा कि जमीन उसकी होगी जो उसको जोतेगा। आज हमारे देश के अन्दर देख लीजिए कि जो जमीन को स्वयम् जोतता है उसका उत्पादन कितना है और जो स्वयम् न जोत कर दूसरों से जुतवाता है, उसका उत्पादन क्या है। अगर आप इसका मिलान करेंगे तो हमारी सरकार एक ही नतीजे पर पहुंचेगी कि उसकी सबसे पहली नीति यह होनी चाहिए कि जमीन का उचित, बटवारा होना चाहिए। यह बुनियादी चीज है, जड़ मूल की चीज है। आज कुछ लोग हमारे यहां हैं जो इस जमाने के अन्दर सोशलिस्ट पैटर्न (समाजवादी व्यवस्था) की बात करते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि हमारी नीति सोशलिस्ट पैटर्न की है। लेकिन आज देश में एक तरह से पूंजीवादी पैटर्न चल रहा है जिसमें गरीबों को उठाया नहीं जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे यहां सब जगहों पर छाये हुए हैं। हमारे बहुत से पार्लियामेंट के सदस्य तक यहां विराजमान हैं जो कि स्वयम् तो खेती नहीं करते हैं लेकिन जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है और जो दूसरों से खेती करवाते हैं। अगर हम सोशलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं, तो हमारा यह फर्ज होना चाहिए कि हम उसकी ओर कदम भी बढ़ाएं। जब हम विनोबा जी को अपना नेता मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो उनकी इस बात को हमें मानना चाहिए कि हर एक आदमी उतनी ही जमीन अपने पास रख सकेगा जितने पर वह और उसकी बीवी खेती कर सकेंगे। जो जितना जोत सकेगा उतनी ही जमीन अपने पास रक्खेगा।

हमको विनोवा जी की और गांधी जी की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है, रूखी सूखी खाय के दो लोटे पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। हमसे कहा जाता है कि तुम संतोष मानो और जैसा मिल जाये वैसा खा लो और दो लोटा पानी पी लो, तुम्हारा पेट भर जायेगा, लेकिन दूसरे की चुपड़ी की तरफ जी मत ललचाओ। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस तरफ ध्यान दे।

मैं एक दूसरी प्रार्थना करना चाहता हूं। सस्ते अनाज की दुकानें खोलने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। सस्ते अनाज की दुकानें कहां खोलीं जाती हैं? शहरों में। ठीक है। शहरों के अन्दर ऐसे आदमी हैं जिनको मजदूरी मिलती है पर जिनके पास अनाज नहीं आता। ठीक है आप उनके लिए व्यवस्था करिये और ऐसी व्यवस्था करिये कि शहरों के अन्दर जो मजदूरी करने वाले हैं और जो रोजाना अनाज खरीदकर पेट भरने वाले हैं उनको सस्ता अनाज मिले। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो जंगलों में काम करते हैं वे शहर से दस पन्द्रह मील दूर रहते हैं। वे पांच सेर से ज्यादा अनाज अपनी झोंपड़ी में नहीं रख सकते। आज बरसात के अन्दर यह हालत हो गयी है जहां वह रहते हैं वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यह जंगल का क्षेत्र समुद्र में टापू की तरह हो गया है। आपने वहां रहने वाले मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की है। आज वह भगवान के भरोसे रह रहे हैं और जंगल में जो हरी सबजियां होती हैं उनको उबाल उबाल कर खाते हैं।

मैं इस विभाग से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर उसको कोई कदम उठाना है तो सबसे पहले यह कदम उठाये कि हमारी जमीन का उचित बटवारा इस प्रकार से हो कि जो स्वयं खेती करें उनको ही जमीन दी जाये और ऐसे आदमी के पास जमीन न रहे जो स्वयं खेती नहीं करता।

†**श्री गोरे** (पूना) : मैं समझता हूं कि यह खाद्य समस्या ही ऐसी है जिस के कारण स्वर्गवासी श्री रफ़ी अहमद के सिवाय सभी को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है । योजना इसलिए बनाई जाती है और किसी आयोजन का यही उद्देश्य होता है कि हम किसी आकस्मिक घटना से सुरक्षित रहें । परन्तु इस में हमें असफलता मिली है । जितना व्यय प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किया गया था उस से आधा हमें खाद्यान्न खरीदने पर करना पड़ा है । यह समस्या बहुत जटिल है और इस का सम्बन्ध अन्य बहुत से विषयों से है ।

विश्वविद्यालय आयोग प्रतिवेदन से यह पता लगता है कि डेन्मार्क के किसानों की समृद्धि का कारण शिक्षा द्वारा उन के दृष्टिकोण का नवीकरण है ।

एल्डस हक्सले कहते हैं कि आज विश्व दो संकट सहन कर रहा है एक तो राजनैतिक संकट और दूसरे मिट्टी के कटाव का सकट । भारत में प्रति सेकिंड चार व्यक्ति जन्म ले रहे हैं । ऐसी स्थिति में तो चाहे कोई भी मंत्री हो वह खाद्य समस्या को हल नहीं कर सकता । अतः इस समस्या को स्वास्थ्य, उत्पादन, शिक्षा, रेलवे और सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालयों को मिल कर हल निकालना चाहिए ।

भारत में एक आत्म संतोष की भावना पाई जाती है जोकि बहुत हानिकारक है । यही आत्मसंतोष नई पंचवर्षीय योजना में लक्षित होता है जिस के फलस्वरूप हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के १५ प्रतिशत की अपेक्षा अब कृषि पर ११.८ प्रतिशत व्यय कर रहे हैं । सिंचाई पर २८ प्रतिशत को अपेक्षा १९·८ प्रतिशत व्यय कर रहे हैं । हमारा यह भ्रम कि खाद्यान्न समस्या हल हो चुकी है अब दूर हो रहा है और हमें अब पता लग रहा है कि हमारे यहां अनाज की कितनी कमी है ।

माननीय मंत्री को जो आंकड़े दिये जाते हैं उन से उन्हें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये । 'इंडियन एग्रीकलचर इन ब्रीफ' के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं । उस में, आसाम में १९५४–५५ का उत्पादन ३४.६ मन और अगले वर्ष उसी जापानी ढंग से १७.३३ मन प्रति एकड़ बताया गया है । इसी प्रकार बिहार के सम्बन्ध में उतार चढ़ाव दिए गये हैं । इन सब पर विश्वास नहीं किया जा सकता । यदि इन आंकड़ों पर विश्वास भी कर लिया जाए तो अगले पांच वर्षों में इन मूल्यों के गिरने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि तब लाखों और खाने वाले हो जाएंगे । पूर्वोक्त पुस्तिका के अनुसार श्रमिकों के वेतनों का ६० प्रतिशत खाद्यान्न आदि पर व्यय होगा, इसलिए भी मूल्य नहीं घटेंगे ।

खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने का आधार दो बातों पर है, एक तो हम भूमि का उपयोग कैसे करते हैं और दूसरे हम अपने पानी का क्या करते हैं यानी सिंचाई के बारे में क्या करते हैं । सारे देश के लिए इन समस्याओं के बारे में मैं नहीं कह सकता । मेरे प्रांत महाराष्ट्र के लिए मिट्टी का कटाव एक भारी संकट है । डा० गाडगील जैसे महान अर्थशास्त्रवेत्ता ने कहा था कि वहां ५० लाख एकड़ भूमि में छोटे बांध बनने चाहियें परन्तु दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः १३ १/२ लाख और ७ १/२ लाख एकड़ के लिए कार्यक्रम बनाया गया था । जब आप कोई सुविधायें नहीं देते तो आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि कृषिकार अधिक अनाज उपजाए । आप हीराकुड और काकरपाड़ा बांधों से ६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की बजाए ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर सक रहे हैं क्योंकि किसान वहां से पानी लेने के लिए तैयार नहीं परन्तु महाराष्ट्र में लोग इस के लिए तैयार ह और आप उन्हें सिंचाई की सुविधाएं नहीं दे रहे ।

इस समस्या का उपचार यह है कि आप किसानों को मिलने वाले मूल्यों में स्थिरता लायें। बम्बई के कृषि पदाधिकारी ने कहा है कि १९५४-५५ में मूल्यों के गिरने के कारण कृषक हतोत्साह हो गये थे अतः उन्होंने व्यापारिक फसलों को बोना आरम्भ कर दिया था। अब क्योंकि मूल्य घटेंगे नहीं, अतः हमें चाहिये कि किसानों को आश्वासन दे दें और मैं समझता हूं कि फिर वे व्यापारिक फसलें पैदा नहीं करेंगे।

रुपया उधार मिलने के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि यदि किसान महाजन के पास जायेगा तो वह अधिक व्याज लेगा। ऋण की व्यवस्था इसलिए भी आवश्यक है कि क्योंकि खाद तक का मूल्य बढ़ गया है।

जहां तक सहकारी खेती का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस से अधिक लाभ के उदाहरण बहुत कम हैं। हमें किसान को इस के लिए बाध्य नहीं करना चाहिये। परन्तु यदि किसान स्वयं तैयार हो तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये।

†**श्री मी० ब० ठाकुर** (पाटन) : मैं उत्तर गुजरात के कृषकों का प्रतिनिधि हूं जो कि बहुत ही दरिद्र लोग हैं। समय अभाव के कारण मैं उन के दारिद्रय का ही कुछ उल्लेख करूंगा। सब से पहले मैं किसानों पर चलाई गई गोली का ज़िक्र करूंगा। चित्रोदीपुरा और हाजीपुर में जो गोली उन लोगों पर चलाई गई वह कार्यवाही सर्वथा अन्यायपूर्ण तथा अवैध थी। इस गोलीकाड में चार व्यक्ति मारे गये थे। इसका महागुजरात आंदोलन या अन्य किसी आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था।

दूसरे, उत्तर गुजरात में किसानों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं जिसका खाद्यान्न के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार की ओर से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में इतनी अधिक असमानता है कि जहां कृषक एक मन जुआर से धोती खरीद सकता था अब वह एक मन तीस सेर जुआर से धोती खरीद पाता है।

मंडियों में कृषकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। दुकानदार स्वयं ही तोलने वाला लगाता है और स्वयं ही मूल्य निर्धारित करता है। इस तरह उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है। मेरा निवेदन है कि इन मंडियों के सम्बन्ध में सरकार को कुछ करना चाहिये।

उत्तर गुजरात के ज़िलों में सरकार की ओर से कृषकों को कोई सहायता नहीं मिलती। कृषकों को महाजनों की दया पर निर्भर करना होता है जो उन से अत्यधिक ब्याज लेते हैं। दूसरी बात यह है कि बानस्कठा और मेहसना ज़िलों में कोई सरकारी हस्पताल नहीं है जिस से कृषकों को उपयुक्त चिकित्सा सहायता नहीं मिलती। वहां बहुत से भूमिहीन कृषक हैं। मैं ने समाहर्ताओं और मामलेदारों से निवेदन किया था कि उन के लिए कुछ करना चाहिए। यही निवेदन मेरा माननीय मंत्री से भी है।

कुछ ग्राम पंचायतों ने कुछ जातियों की उर्वरा भूमि को चरागाह बना दिया है। माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें।

जागीरदारी उन्मूलन अधिनियमों का मैं स्वागत करता हूं परन्तु जमीदारों और जागीरदारों को अपने कृषि के लिए भूमि देन का भी कुछ प्रबन्ध होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मा० ब० ठाकुर]

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ किसानों ने पुराने पालनपुर राज्य में पैसे जमा करवाये थे, वे उन्हें वापस नहीं मिल रहे। यह कह दिया जाता है कि उन्हें लोक संस्थाओं में प्रयोग किया जाएगा परन्तु वह भी हो नहीं रहा। इसके विपरीत उन पर राजस्व कर भी बहुत अधिक लगाया जा रहा है। मद्य निषेध के कानूनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे बल्कि अधिक मद्य पीने लगे हैं। कुछ गांवों जैसे संसार, छबलिया, दाभी पर लगाये गये दण्डात्मक कर उपहासजनक हैं।

शस्त्रास्त्रों की अनुज्ञप्तियों पर से प्रतिबन्ध उठा लिया जाना चाहिए। अफीम का प्रयोग दवाओं में होता है और पेट की बीमारी में बच्चों को भी अफीम दी जाती है। पर अफीम मिलती नहीं कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। फिर बम्बई कृषि ऋणी सहायता अधिनियम तथा बम्बई मालगुजारी अधिनियम से भी कोई लाभ नहीं हुआ है। भूतपूर्व बड़ौदा राज्य के लगभग सभी कानून रद्द कर दिये गये हैं। चौकिपात किसानों से आठ आठ घण्टे काम लिया जाता है और ३ रुपये महीने वेतन दिया है। भूतपूर्व रियासत ने इनके लिए कुछ भूमि रखी थी। पर वह भूमि अभी तक भी इन चौकिपातों को नहीं दी गयी। सरकार की इस भूमि को बांटने के लिए माननीय मंत्री महोदय को कुछ कदम उठाना चाहिये।

†**चौ० रणबीर सिंह** (रोहतक) : हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना सफल हो। इसके लिए अतिरिक्त कृषि उत्पादन का लक्ष्य पूरा करना परम आवश्यक है। भारत में १९४७ के बाद कृषि उपज का इतिहास देखिए। किसान, अन्न तथा जूट, गन्ना, चावल, गेहूं पैदा करता है पर उसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। १९५४ में खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ। किसानों का माल खरीदा नहीं गया। सरकार ने मूल्य को संभाला नहीं। बाद में हम लोगों के कहने पर मूल्य को संभाला गया।

इस समस्या का मूल कारण यह है कि खाद्य तथा कृषि दोनों विभाग एक ही मंत्रालय में हैं। एक कम से कम मूल्य पर खाद्यान्न चाहता है दूसरा किसी भी लागत पर उत्पादन की वृद्धि।

किसानों ने जब भी आवश्यकता हुई है काफी उत्पादन किया है पर उन्हें कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अतिरिक्त उत्पादन के लिए ११६ करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवण्टन की सिफारिश की गयी थी पर पता नहीं क्यों सरकार ने यह सिफारिश नहीं मानी बल्कि इसके विरुद्ध २५ करोड़रुपये की व्यवस्था उपभोक्ताओं के हितों के लिए की गयी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही प्रोत्साहन किसानों को दिया गया ?

हमारे देश का एक शिष्टमंडल चीन गया था। उस शिष्टमंडल का प्रतिवेदन बहुत अच्छा है। चीन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए १६८० करोड़ रुपये का अग्रिम धन दिया गया था पर हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल ७५८ करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की गयी है।

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि चीन में भी सहकारी समितियों का संगठन किया गया था। आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन

---

†मूल अंग्रेजी में

के बाद भी सहकारी समितियों द्वारा ३ प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं दिया जाता । सरकार का कहना है कि उसने ३५ चीनी मिलों को सहकारी आधार पर संगठित करने का विचार किया है । पर, इसमें विलम्ब क्यों किया जाता है ? एक दिन का भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध मे मैं यह भी कहूंगा कि चीनी के क्रय-विक्रय की व्यवस्था सहकारी आधार पर की जानी चाहिए ।

कहा जाता है कि चावल की कमी है । आंकड़ों को देखिए : १९५२ में चावल १७.५६ रुपये प्रतिमन; १९५३ में २५ रु० प्रति मन बिकता था आज १८.५ रुपये प्रति मन हो गया है । गेहूं आज १५.३७ रुपये प्रति मन बिक रहा है । अतः इन सब कठिनाइयों को पैदा करने के लिए देश के व्यापारी तथा उद्योगपति ही उत्तरदायी हैं । यदि क्रय विक्रय को सहकारी आधार पर चलाया जाये तो यह कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोडी) : खाद्य समस्या ही हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है । सरकार द्वारा किये गये सभी प्रयत्नों के बाद भी खाद्य का उत्पादन बढ़ नहीं पाया । स्थिति दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है । १९४८ से "अधिक अन्न उपजाओ" योजना चल रही है फिर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पायी । इस अवस्था को सुधारने के लिए सरकार को दो काम करने चाहिए । एक, कृषि के आधुनिक साधनों का प्रयोग दूसरा, बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाना । बेकार भूमि को कृषि, योग्य बनाने का काम केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन आठ वर्षों से कर रहा है । अभी तक उसने केवल १५.२ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया है और उस पर बहुत अधिक धन व्यय किया जा चुका है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

बम्बई और मैसूर में अनुसूचित जातियों के लोगों को बेकार भूमि देने का नियम बनाया था । कुछ लोगों को भूमि दी गयी पर बाद में कुछ लोगों की शरारतों के कारण राज्य सरकार ने उस भूमि को वापस लिया । फसल खराब कर दी गयी और फसल बोने के लिए बेचारे गरीब लोगों ने अपने घर के बरतन बेच कर पैसा लगाया था । यह है राज्य सरकारों का रवैया जब कि केन्द्रीय सरकार के सामने इतना खाद्य संकट है । लगभग ८ या ९ करोड़ एकड़ बेकार भूमि पड़ी हुई है यदि उसे कृषि योग्य बना लिया जाय और उसमें खेती की जाय तो समस्या काफी सुलझ सकती है । अतः मेरा सुझाव है कि यह भूमि लोगों को बांटी जाय ।

हम समाजवाद की बात करने में बहुत निपुण हैं पर जब लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता तो समाजवाद कैसे आयेगा । मैं भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करता । मेरा विचार है कि बेकार पड़ती भूमि लोगों को दे दी जाये और उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ऋण दिया जाये । प्रायः ऋण गरीब लोगों को नहीं मिल पाता । जिनके पास अधिक भूमि है और जो अमीर हैं उन्हीं को ऋण मिलता है । ऋण लेने में भी घूस देना पड़ता है । इस प्रकार गरीब आदमी इस योजना का कोई लाभ नहीं उठा पाता । अतः मेरा अनुरोध है कि उन्हीं लोगों को भूमि और ऋण दिया जाय जिनको जरूरत हो ।

† **अध्यक्ष महोदय** : आज हम देर तक बैठ कर इस कार्य को पूरा करेंगे । हम नियमित कार्यक्रमों में आवण्टित्त समय से अधिक समय ले रहे हैं ? क्या माननीय सदस्य शनिवार, ३१ अगस्त को काम करने के लिए तैयार हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

† **कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां ।

† **श्री थानू पिल्लै** (तिरुनेलवेली) : खाद्य स्थिति खराब होने के कारण ही आज सभी तरफ हड़तालों की धमकियां सुनाई पड़ रही हैं । कई सदस्यों ने कहा कि खाद्य का संकट नहीं है । खेती करने वाले को भी पूरा मूल्य उत्पादन का नहीं मिलता और उपभोक्ता को बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता है । मूल्यों के आधार वर्ष के बारे में मैं पूछता हूं कि आप किस वर्ष को आधार वर्ष मानेंगे; जब लोग मूल्य संरक्षण की मांग करें या मूल्य संरक्षण की मांग न करें । अतः मजूरी तथा मूल्यों में घनिष्ट सम्बन्ध है । मूल्यों को निश्चित किया जाना चाहिए । एक परिवार अपनी भूमि में जो उत्पादन करता है उसी से वह अपने सारे खर्च चलाना चाहता है पर ऐसा होने नहीं दिया जाता । जमीदारों का कहना है कि किसान एक बोरे चावल के उत्पादन में २ या ३ रु० व्यय करता है, अतः जब जमीदार को २ या ३ रु० बोरे के हिसाब से चावल बेचने को कहा जाता ह तो वह १५ रु० बोरेके दाम माँगता है । इस प्रकार किसानों को जमीदार लोग चूस रहे हैं उन्हें कोई सहायता नहीं देते ।

सहकारिता तथा सहकारी खेतों की बातें की जाती हैं । हमें यह निश्चित करना चाहिए कि एक व्यक्ति को अधिक से अधिक कितनी भूमि दी जानी चाहिए । आज जमीदार किसान को ऋण नहीं देता किसान भी उस भूमि में जी लगा कर मेहनत नहीं करता क्योंकि उसे भय रहता है कि न जाने किस दिन उससे भूमि छीन ली जाये । अतः उत्पादन घट रहा है । केरल में पहले जमीदार तथा किसान उपज में ७५ और २५ के अनुपात से लेते थे पर अब उसक अनुपात ४० और ६० कर दिया गया है अतः जमीदार कोई भी रुचि नहीं लेते । आज अवस्था ऐसी है कि किसान भी भूमि पर मेहनत नहीं करता क्योंकि न जाने कब उसको भूमि छोड़ देना पड़े । इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि उत्पादन को २५ प्रतिशत हरी खाद वगैरह में अवश्य व्यय किया जाय । अतः सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ उपाय निकालना चाहिए कि खाद वगैरह जमीन को मिलती रहे ताकि उर्वरता नष्ट न होने पाये ।

यह कहने से कोई लाभ नहीं कि अमुक व्यक्ति अच्छा है और अमुक व्यक्ति बुरा है । भूमि सम्बन्धी सुधार का कोई नया उपाय होना चाहिए । जमीदार अपनी भूमि सहकारी खेतो के लिए देना नहीं चाहते । किसान सहकारी आधार पर काम नहीं करना चाहते । जमीदार तथा किसान के बीच जो मध्यवर्ती होते हैं वही लाभ लेते हैं । यदि उनको हटा दिया जाय तो समस्या काफी सुलझ सकती है । हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लगभग २५ प्रतिशत भूमि के उर्वरता के लिए भी लगाया जाये ।

खाद्य समस्या को लीजिए । मद्रास में खाद्य की कमी है । लगभग ४ लाख टन की कमी है । केरल का नदियों का पानी पश्चिमी सागर की ओर बह जाता है । यदि केरल राज्य का पानी मद्रास को मिल जाय तो मद्रास तथा केरल दोनों की खाद्य समस्या काफी हद तक हल हो सकती है ।

इस खाद्य समस्या को सहारा देने के लिए तूतीकोरन में मछली पकड़ने के एक केन्द्र का विकास करके भी काफी सहायता मिल सकती है ।

† **श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : खाद्य समस्या सब से अधिक महवत्पूर्ण तथा दिलचस्पी की समस्या बन गई है । सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोक नहीं पाई । कुछ लोगों का कहना है कि

---

† मूल अंग्रेजी में

मूल्य बढ़ गये हैं, कुछ का कहना है कि इस समय किसानों के लाभदायक मूल्य हैं । आज की स्थिति में न तो किसान सन्तुष्ट हैं और न उपभोक्ता । बीच के दलालों को ही लाभ हो रहा है । असंतुलित अर्थ व्यवस्था की नीति के कारण एक वर्ग को बहुत हानि हुई है । अतः सरकार को चाहिए कि वह इन मध्यम वर्गीय लोगों को कुछ सहायता दे तथा बिना भूमि के किसानों को भी सहायता दे ।

जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद भी हमारे किसानों के पास भूमि नहीं है । उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है । यदि बंगाल में इस समस्या को ठीक तरह से सुलझाया न गया तो भय है कि वहां कोई कठिनाई न पैदा हो जाये । बाढ़ों के कारण भी वहां की फसल प्रायः समाप्त हो जाती है । नदिया, मुर्शिदाबाद तथा मालदा तीन ऐसे शहर हैं बंगाल के जहां फसल खराब हो गयी है । सरकार को चाहिए कि वहां की आवश्यकता के अनुसार अन्न भेज कर वहां की जनता की मदद करे ।

अविभक्त बंगाल में पूर्वी बंगाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था । विभाजन होने के बाद अब पश्चिमी बंगाल कलकत्ते शहर का पूरा भार नहीं उठा सकता । अतः चावल तथा गेहूं के मामले में कलकत्ते को केन्द्रीय सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए । जूट हमारे उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है । विभाजन के बाद जूट के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । गन्ने को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में सभी देशों से कम होता है । सभी वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी बातों की देख भाल के लिए पण्य समितियां बनी हुई हैं । इन समितियों पर करोड़ों रुपये व्यय होते हैं; अतः इन समितियों के ठीक प्रकार संचालन से इन सभी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

लाख उत्पादन की समस्या को लीजिए । बंगाल में इसका कारबार होता है । लाख के मूल उत्पादकों को कोई सुविधायें नहीं दी गयी है । दो विदेशी समवाय भारतीय लाख का भारत से निर्यात करती हैं । यदि केन्द्रीय लाख समिति इन पर विचार करे और लाख उत्पादन तथा निर्यात का काम अपने हाथ में ले ले तो इस काम से काफी लाभ हो सकता है । नारियल तथा सुपारी समिति में नारियल उत्पादकों को बहुत थोड़ा प्रतिनिधित्व प्राप्त है । बंगाल में इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

खाद्यान्नों के अतिरिक्त कुछ और भी समस्यायें हैं जैसे बंगाल में मछली की समस्या । बंगाल में मछली दैनिक भोजन है पर वहां पर मछली इतनी मंहगी बिकती, ३ या ४ रुपये सेर कि साधारण जनता का सामर्थ्य के बाहर । अतः सरकार को चाहिये कि ऐसी व्यवस्था करे कि वहां की जनता को सस्ते दर पर मछली मिला करे । इसके लिये क्रय-विक्रय की समस्या को नियमित करना चाहिये । यदि वहां सभी बातों के भांडार तथा क्रय-विक्रय की व्यवस्था का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में लेले तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता है ।

मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । पिछले वर्षों में कृषि उत्पादन का विकास हुआ है ।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, भारत आज भी कृषि प्रधान देश है । हमारे समाज की रीढ़ कृषक हैं । पहली पंचवर्षीय योजना के बाद भी आज उस कृषक में ऐसी शक्ति नहीं आयी है कि वह अपनी समस्याओं को हल कर सके और साथ ही देश की समस्या हल करने में विशेष योग दे सके। कारण कुछ भी हो लेकिन स्थिति यह है कि आज भी हमको बाहर से बहुत सा गल्ला मंगाना पड़ता है । केवल गन्ना उत्पादक ऐसे हैं जिन्होंने देश की मांग को पूरा किया है, पर उनको

[श्री विश्वनाथ राय]

भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हिन्दुस्तान में करीब २ करोड़ आदमी ऐसे हैं जो ईख की खेती करते हैं। उनमें से ७० प्रतिशत बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी समस्यायें दूसरे प्रदेश वालों को भी मालूम हैं लेकिन वे सब जगह एक ही तरह की नहीं हैं। बाढ़ के कारण उनको नुकसान होता है। खेत भी उनके पास कम हैं। हम जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां देश की चीनी का ४५ या ४६ प्रतिशत उत्पादन होता है, वहां आज भी यह समस्या है कि किसानों को गन्ने का अच्छा बीज नहीं मिलता। उसका कारण कुछ भी हो। हो सकता है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार इसका कारण हो या जो कोआपरेटिव समितियां काम करती हैं उनके काम में कोई खराबी हो और उसके कारण यह स्थिति पैदा हुई हो। लेकिन स्थिति यह है कि इस कारण से गन्ने की सूक्रोज की रिकवरी कम हुई है और इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में कमी हुई है। इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। ९.८ या ९.९ के बदले कहीं कहीं सूक्रोज रिकवरी ९.७ के करीब हो गई है। उसकी कमी का यह परसेंटेज बहुत मामूली मालूम होता है पर इससे बहुत नुकसान हुआ है। इसका कारण यह है कि जो सहकारी समितियां हैं और जिनका देश में बहुत नारा लगाया जाता है उनका फील्ड वर्क बहुत कम है। मार्केटिंग का और कुछ बीज आदि देने का काम तो व कर रहीं हैं पर गन्ने की खेती अच्छी किस तरह से हो यह जाकर वे खेतों पर नहीं देखतीं हैं और खेती को उन्नति करने की तरकीब नहीं बतलाती हैं। यह छोटी बात नहीं है। जो दो करोड़ गन्ना उत्पादन इस देश में है उन में से लगभग १,४८,००,००० इन दोनों सूबों में है। हमारे मंत्री जी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में और बिहार के उत्तरी हिस्से में बाढ़ की समस्या है और साथ ही साथ यह समस्या है कि हमको वक्त पर खाद और बीज नहीं मिलता है। अन्य बातों को छोड़ कर मैं केवल खास खास बातें ही कहना चाहता हूं जैसे कि अध्यक्ष महोदय का आदेश है।

इस समस्या को हल करने के लिये हो सकता है कि सरकार को संविधान में भी कुछ परिवर्तन करना पड़े और उसको ऐसी व्यवस्था करना हो कि यदि उत्पादन कम होता है तो प्रदेशीय सरकार के काम को वह अपने हाथ में ले ले ताकि प्रदेशीय सरकार के कारण जो कमी रहती है वह दूर हो। हमारे देश में चीनी का उत्पादन कृषकों की सहायता से होता है और वह हमको डालर दिलवा रहा है। अगर हम उस कृषक को भूल जायेंगे तो देश का ही नुकसान होगा।

एक और बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे कृषकों ने सरकार को लाखों करोड़ों रुपया दिया है। वह पिछले बीस वर्षों में चीनी के उत्पादन के शुल्क के रूप में केन्द्रीय सरकार को लगभग १२३ करोड़ और प्रदेशीय सरकार को करीब ५२ करोड़ रुपया दे चुका है। लेकिन जब उसका दाम मिल मालिक पर बकाया रह जाता है तो न केन्द्रीय सरकार उसको दिलवाने का प्रयत्न करती है और न प्रदेशीय सरकार। कानून यह है कि मांगने पर उसको रुपया फौरन ही मिलना चाहिये। लेकिन सहकारी यूनियनें मिल मालिकों को बार बार इस विषय में लिखती हैं पर वे उदासीन रहते हैं और कोई जवाब ही नहीं देते हैं और जब जवाब देते भी हैं तो बहुत समय तक टालते रहते हैं और रुपया समय पर नहीं देते हैं। यह केवल लाख दो लाख रुपये की बात नहीं है और न एक दो साल की बात है। हर साल किसानों का करोड़ दो करोड़ रुपया बाकी रह जाता है और जब उनको जरूरत होती है उस वक्त उन्हें नहीं मिलता है और ६, ७ या ८ महीने बाद मिलता है जसा कि कुछ और सदस्यों ने भी कहा है। जब कोई बैंक रुपया देता है या कोआपरेटिव सोसायटी रुपया देती है तो सूद लेती है। लेकिन किसानों का करोड़ या दो करोड़ रुपया इतने समय तक मिल मालिकों पर बकाया बना रहता है पर उसका उनको कोई सूद नहीं मिलता है। यह कोई एक साल की बात नहीं है। हर साल यही होता है। अभी तक उनको सूद दिलाने का सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया है। अगर

इसी प्रकार सरकार उदासीन रहेगी तो किसान गन्ने के बजाय अनाज की खेती करने लगेंगे, ऐसी स्थिति आ सकती है। कुछ किसानों को रुपये के लिये मजबूर होकर गन्ने की खेती करनी पड़ती है। अगर उनको अपने बकाया रुपये पर सूद नहीं दिलवाया जायेगा तो यह समस्या अधिक जटिल हो जायेगी ।

अब प्रश्न यह हमारे सामने आता है कि हम गन्ने की खेती को कैसे बढ़ावें । इस सम्बन्ध में तो बहुत सी बातें हैं लेकिन मुख्य बात यह है कि इसकी खेती के लिये प्लानिंग होना चाहिये। परन्तु यह प्रश्न तो अभी न तो प्रदेशीय सरकार के सामने है और न केन्द्रीय सरकार के सामने। अगर किसान चाहता है तो गन्ने की खेती बढ़ा देता है चाहता है तो कम कर देता है । लेकिन मिल मालिक को मालूम है कि किसान अपने गन्ने को बेचने के लिये विवश है क्योंकि वह कच्चा माल है और अगर वह नहीं बेचेगा तो उसका नुकसान हो जायेगा । इसलिये मिल मालिक किसान की तरफ से लापरवाही बरतता है। उसकी खेती की उसको चिंता नहीं रहती है । माननीय मंत्री जी को मालूम है उत्तर प्रदेश में अभी भी लाखों मन ईख खेतों में पड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से यह आदेश जारी होना चाहिये कि इतने एकड़ से ज्यादा गन्ने की खेती न की जाये और उस गन्ने को लेने की जिम्मेदारी मिल मालिक की होनी चाहिये। ऐसा न करने से लाखों मन गन्ने का नुकसान होता है और वह खेतों में ही नष्ट हो जाता है। इसके लिये हमको प्लानिंग की जरूरत है। यह हो सकता है कि किसी साल क्राप फेल हो जाये लेकिन जो यूनियनस हैं यह उनकी जिम्मेदारी है कि किसान को प्लान दें कि उसको इतने एकड़ में गन्ने की खेती करनी है इससे ज्यादा में नहीं। प्रकृति के प्रकोप के कारण जो हानि होती है उसको भी रोकने का प्रयत्न होना चाहिये और जो नुकसान मिल मालिकों की कमजोरी के कारण या और किसी कारण होता है उसको भी रोकना चाहिये ।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी कभी मिल मालिक यह शिकायत करते हैं कि रिकवरी कम हो रही है और इस कारण किसानों को कम पैसा मिलता है। यह सही है कभी ऐसा हो सकता है कि सूक्रोज रिकवरी कम हो जाय। पर साल ऐसा खासतौर से हुआ। उत्तर प्रदेश में तराई प्रदेश में मिल मालिकों ने कहा कि सूक्रोज कम पड़ रहा है। लेकिन इसमें कुछ भेद हो सकता है। मैं एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। एक शूगर फैक्टरी को तराई से हटा कर बुलन्द शहर ले जाया गया है। उस मिल में सूक्रोज रिकवरी कम दिखलाने के लिये यह कार्रवाई की गयी कि सरकार की आंख बचाकर मिल से शुगर हटवा दी गयी। यह बात उस आदमी ने बतलाई जिसका शूगर को हटवाने में हाथ था। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की करिवाईयां भी सरकार की आंख बचाकर की जाती हैं ।

श्री विभूति मिश्र ने इशारा किया था कि अगर क्वालिटी के आधार पर गन्ने का भाव निश्चित किया जायेगा तो गन्ना उत्पादकों के लिये बड़ी कठिनाइयां हो जायेंगी। हो सकता है कि दक्षिण में गन्ने की रिकवरी ज्यादा हो। मुमकिन है कि वहां अच्छा बीज और खाद का प्रबन्ध हो लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां देश की चीनी का ७० प्रतिशत उत्पादन होता है वहां पर अगर क्वालिटी के आधार पर दाम निश्चित किया गया और इस तरह किसानों को मिल मालिकों के हाथ में सौंप दिया गया तो यह गन्ना उत्पादकों पर बड़ा भारी आघात होगा ।

इस लिये उत्तर प्रदेश या बिहार में क्वालिटी के आधार पर सूक्रोज के आधार पर प्राइस तय करने की नीति नहीं लगू होनी चाहिये। जो प्रणाली इस वक्त चल रही है, वही जारी रहनी चाहिये ।

[श्री विश्व नाथ राय]

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि गन्ने की सहकारी समितियां कहां तक कामयाब हुई हैं या को-आपरेटिव शूगर फ़ैक्टरीज कहां तक कामयाब होंगी, उत्तर प्रदेश के अनुभव से यह साबित हुआ है कि सहकारी कृषि समितियां असफल हुई हैं, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। वहां १२५ से भी अधिक खेती की सहकारी समितियां हैं। जहां पर सरकार ने कृषकों को काफ़ी सहायता दी, वहां पर भी सहकारी समितियां असफल हुई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी सहकारी समितियां फैक्टरीज नहीं चला सकती हैं। को-आपरेटिव शूगर फैक्टरीज चल सकती हैं। वहां पर वह समस्या नहीं है, जिसका सामना कृषि सम्बन्ध में किसानों को करना पड़ता है। किसान पैदा करता है और उस पैदावार का उपभोग करने का काम-चीनी बनाने का काम-फैक्टरी का है। पहली दिक्कत समाप्त होती है और एक बनी बनाई चीज फैक्टरी के पास जाती है। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की समस्या फैक्टरियों के सामने नहीं है। को-आपरेटिव शूगर फैक्टरीज चल सकती हैं और यह एक्सपेरिमेंट देश के लिये अच्छा ही होगा। लेकिन इससे यह नतीजा निकालना भी ठीक नहीं है कि कृषि की सहकारी समितियां भी अवश्य सफल होंगी। उत्तर प्रदेश के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में अभी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। जब तक देश में शिक्षा का प्रसार काफी नहीं हो जाता है, तब तक इस में सफल होना कठिन है। जो श्रम हमारी सहकारी कृषि में सम्मिलित होता है, वह बरबाद होता है। यह देखा गया है कि जो किसान अपनी अलग खेती करने में धूप और जाड़े में काम करता है, वह सहकारी समिति में सम्मिलित होने की दशा में बैठा रहता है और कुछ काम नहीं करता है। अगर ग़ल्ले का नुकसान भी होता है तो वह समझता है कि यह दूसरे की खेती है। जब तक लोगों में साधारणतया यह भाव रहेगा, तब तक श्रम को, जिस के विषयों में हमारा देश धनी है, बरबाद न किया जाय। सहकारी समितियों का नारा अच्छा है, जितना भी सहयोग हो, अच्छा है, लेकिन जहां तक कन्क्रीट वर्क करने की बात है, पैदावार बढ़ाने की बात है, एक प्रदेश में उस का अनुभव हो चुका है, इस लिए जब इस विषय में बड़े पैमाने पर न सही, छोटे पैमाने पर ही कामयाबी हो, तभी हम लोग इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

आसाम और बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी भूमि पड़ी है, जिस पर केन्द्रीय या प्रदेश सरकार की मदद से खेती हो सकती है। हमारे देश में पंद्रह से बीस फीसदी भूमि ऐसी है, जहां खेती हो सकती है मगर उस में अब तक नहीं हो रही है। यू० पी० के कई जिलों में ऐसी भूमि है। (अगर केन्द्रीय सरकार मदद दे, तो न केवल गन्ने की पैदावार बल्कि और पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। केन्द्रीय सरकार की ओर से एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत है कि जो भूमि बेकार पड़ी है, और प्रदेश सरकार वहां खेती कराने में असमर्थ है, उस पर केन्द्रीय सरकार की देख रख में खेती की जाय, जैसा कि इस समय भोपाल में हो रहा है।

†डा० सामन्तसिंहार (भुवनेश्वर): भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा राज्य-उड़ीसा तो मुख्यतया एक कृषि प्रधान राज्य है: उसका मुख्य उत्पादन चावल है। उड़ीसा दूसरे राज्यों को चावल देता रहा है। पर चूंकि अब चावल के मूल्य पर नियंत्रण लगा दिया है अतः वहां के किसानों को अब उतना लाभ नहीं होता जितना पहले होता था। यदि वहां के किसानों को काफी संरक्षण या प्रोत्साहन न दिया गया तो खाद्य उत्पादन को धक्का लगेगा। मैं मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमारे प्रदेश में टिड्डों को बिल्कुल समाप्त कर दिया अन्यथा फसल को बड़ी हानि होती थी।

श्री अ० चं० गुह मछलियों के सम्बन्ध में कुछ कह रहे थे। वास्तव में वहां मूल्य बहुत ज्यादा हैं। इसका एक कारण यह भी है कि मछलियों को ले जाने का ठीक साधन नहीं है। रेल से तो वह काफी देर में पहुंचती है। इस सम्बन्ध में मैं रेलवे मंत्रालय को लिख चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त चिल्का झील के विकास के विचार से सरकार को इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिये ।

मेरे राज्य में साल और आबनूस के जंगल हैं—किन्तु इन जंगलों का पूर्ण उपयोग इस कारण नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां ठीक तरह की सड़कें नहीं हैं और लकड़ी के परिवहन के लिये डिब्बे नहीं मिलते—इस कारण लकड़ी के व्यापारियों का काम भी कम पड़ा हुआ है ।

दूसरे हम यह कह सकते हैं कि सरकार कृषि उत्पादकों की ओर इतना ध्यान नहीं देती जितना सरकारी कर्मचारियों की ओर दिया जा रहा है—लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांव): श्रीमान् सब इस बात को मानते हैं कि आज देश में अनाज की भारी कमी है—हम विदेशों से अनाज मंगा रहे हैं । हमारा निर्यात इतना नहीं जिसमें हम विदेशी मुद्रा की आय बढ़ा सकें—इस लिये सब से पहले हमें अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहिये ।

अब आसाम में धान की फसल की बर्बादी का मुख्य कारण यह है कि वहां बाढ़ें आ जाती हैं—आज ही पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से १८० गांवों को क्षति पहुंची है—इसलिये फसलों की बर्बादी रोकने के लिये हमें बाढ़ नियंत्रण का काम तेज करना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देता हूं कि नदियों को बांधने से बड़ा लाभ होगा—इससे खेती योग्य क्षेत्र भी बढ़ेगा । यदि कोपोली नदी को बांधा जाये तो लाखों एकड़ भूमि खुल जायेगी । आजकल यह नदी नौगांव जिले में तबाही ला देती है । इस नदी पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त हम नदियों पर बान्ध लगा सकते हैं—प्रयास किया गया है जिसका परिणाम संतोषजनक है ।

आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी तथा बारक घाटी है । पहाड़ी क्षेत्र में जापानी ढंग से धान की खेती हो सकती है । इस समय वह झूमी ढंग से खेती करते हैं—उनकी यह आदत प्रयत्न से बदली जा सकती है । पहला प्रयोग सफल रहा है इसका अन्य स्थानों पर भी विस्तार हो सकता है ।

इसके बाद खाद का प्रश्न है । लोग सिन्दरी के उर्वरक का पूरा लाभ नहीं उठा सकते—क्योंकि कीमत इतनी नहीं दे सकते—इसलिये खाद ऋण के आधार पर दी जानी चाहिये ।

श्री अ० प्र० जैन : उधार भी दिये जाते हैं ।

†**श्री लीलाधर कटकी** : कई बार रियायत दी जाती है परन्तु हमें तो पेशगी देना पड़ा है । यदि ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है ।

इसके बाद ऋण सम्बन्धी कठिनाइयां है । सहकारी संस्थायें किसानों को ऋण देती हैं किन्तु नियम आदि ऐसे होते हैं जिससे किसानों को प्रसन्नता नहीं होती—वह इस ऋण का लाभ नहीं उठा सकते इसी के साथ थोड़ी रकम दी जाती है जिस से काम नहीं बनता । जिस समय ऋण की आवश्यकता हो उस समय ऋण नहीं मिलता । यदि किसी का बैल मर जाये तो उसे जरूरत तो तुरन्त होती है और उधार देर से मिलता है ।

इसके अतिरिक्त अच्छे बीज भी नहीं दिये जाते । बहुत से बीजों से पौधे निकलते ही नहीं—और जो कुछ दिये जाते हैं वह भी देर से दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लीलाधर कटकी]

हमारा पशुधन भी निम्न कोटी का होता जा रहा है। जो गाय आध सेर दूध देती है उसे अच्छी गाय समझा जाता है। इसी प्रकार बैल भी निकम्मे हैं। गायों की नसल सुधारने की ओर भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार मछलियों की भी बहुत कमी होती जा रही है। जैसे मत्स्य पालन जापान में होता है उसी प्रकार से भारत में भी होना चाहिये। धान के खेतों के तालाबों में काड मछली का पालन किया जाये।

हमारे राज्य में देश के पटसन के सारे उत्पादन का २० प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके उत्पादन की वृद्धि न होने के कारण यही है कि किसानों को ठीक कीमत नहीं मिलती--परिवहन की कठिनाइयां हैं दूसरे व्यापारी लेते समय तोलते भी अधिक हैं।

पिछले दस वर्षों से राज्य-विधान-सभा में परिमापित वट्टों के प्रश्न पर चर्चा चल रही है। बाद में एक विधेयक भी पारित हुआ था। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले पर शीघ्र ही ध्यान दें और राज्यों में परिमापित वाट जारी किये जायें।

†श्री म० दा० माथुर (नागौर) : श्रीमान्, राज्यस्थान प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले खाद्याभाव से उद्ग्रस्त था किन्तु योजना के समाप्त होने पर वहां खाद्याभाव समाप्त हो गया और आज वहां फालतू अनाज है।

उत्पादन की वृद्धि का मुख्य कारण भूमि सुधार हैं। जागीरदारी समाप्त हो जाने पर कृषकों को उत्पादन वृद्धि का उत्साह मिला।

नदी घाटी योजनाओं से भी यह लाभ हुआ कि इस क्षेत्रों में दो दो तीन तीन फसलें होने लगीं।

खाद अच्छी मिलने लगी तथा बीज अच्छे दिये जाने लगे। इन सब बातों से बड़ा फायदा हुआ।

अभी जो अभाव की स्थिति वहां पैदा हुई थी उसका कारण रुपये का आभाव--किन्तु मंत्रालय ने समय पर सहायता की और सस्ता अनाज भेजा जिससे हालत सुधर गई।

अभी तक राजस्थान में बहुत सी ऐसी जमीन पड़ी हुई जिस पर कभी खेती नहीं होती है। यदि वहां पर छोटी सिंचाई योजनायें तैयार कराई जायें तो इस सभी भूमि को खेती के योग्य बनाया जा सकता है। जब भाखड़ा आदि सारी योजनायें पूर्णतया क्रियान्वित हो जायेंगी तब राजस्थान एक समृद्ध राज्य बन जायेगा।

छोटी योजनाओं के बारे में एक कठिनाई होती है। सरकार कहती है कि उन योजनाओं से ४ प्रतिशत लाभ होना चाहिये-किन्तु पहाड़ी क्षेत्रों तथा रेगिस्तान में कई योजनायें इतनी लाभदायक नहीं होती इस कारण जो उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं वह नहीं बढ़ता। और ऐसे क्षेत्रों में अकाल की स्थिति भी पैदा हो जाती है टिड्डियों से--वर्षा की कमी से यह सब स्थिति उत्पन्न होती है। टिड्डिदल की रोक थाम के लिये केन्द्र को भी सहायता देनी चाहिये। इसी के साथ चार प्रतिशत वाली शर्त हटा कर अधिक सिंचाई योजनायें क्रियान्वित की जानी चाहिये।

रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पानी नहीं मिलता वहां लोगों का काम पशुपालन है। जोधपुर डिवीजन के लोग पंजाब पेप्सू आदि में अपने पशुओं को ले जाते हैं - वहां १२ पशुओं के मेले लगते

†मूल अंग्रेजी में

हैं। मंत्रालय को नस्ल सुधार के काम की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिये। अंब सिन्धी नस्ल समाप्त होती जा रही है। सरकार को विभिन्न नस्ल सुधार संस्थाओं की सहायता करनी चाहिये इससे सारे देश को लाभ होगा।

इन क्षेत्रों में गाय बीस बीस सेर दूध देती हैं किन्तु वहां जल का अभाव है सरकार को हमारी सहायता करनी चाहिये ताकि वहां पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

नस्ल सुधारने के लिये कई एक बातें आवश्यक हैं पहले तो वहां जल का प्रबन्ध होना चाहिये फिर पशु चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये और नस्ल सुधार संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। इस से लोगों का जीवन सुखमय हो जायेगा।

नागौर जिले में अकाल पड़ते रहते हैं वहां के कृषक पशुपालन से अपना गुजर करते हैं। वहां के बैलों की जोड़ियां १००० रुपये तक बिकती हैं यदि उनके व्यय का प्रबन्ध ठीक ढंग से किया जाये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां के लोग सुखी होंगे। हमारे क्षेत्र में पीने के लिये गन्दा पानी मिलता है। एक ही जोहड़ में पशु और मनुष्य दोनों पानी पी लेते हैं यदि साफ पानी मिले तो नस्ल सुधर सकती है बीमारी भी कम हो सकती है। इस मामले में मंत्रालय को हमारी सहायता करनी चाहिये।

लगभग दस वर्ष में दो वर्ष अकाल की स्थिति रहती है। उस समय वहां की हालत बड़ी खराब हो जाती है—उस समय सरकार की सहायता की अधिकतम आवश्यकता होती है—सरकार को अकाल के समय पूरी सहायता देनी चाहिये।

श्री रामम् (नैसापुर) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जब इस चीज पर बहस हो रही है तो दो खास बातों पर हमें ध्यान देना होगा। उन में से एक बात है अन्न की कमी की। लेकिन जो दिक्कत है वह आज अन्न की कमी से नहीं है, बल्कि इस बात की है कि अन्न के भाव बढ़ रहे हैं। जहां पर अन्न सरपप्लस है, वहां पर भी जो पैदा करने वाले हैं वह बड़ी दिक्कत झेल रहे हैं। वे भूख के मारे तड़प रहे हैं। हमारे यहां के कुछ आंध्र के सदस्य कहने लगे कि कुछ गैरजिम्मेदार लोग नारे लगा कर कह रहे हैं, उन के मुंह से यह बात आ रही है कि अन्न के भावों का कंट्रोल होना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि समारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट गोदावरी में चार लाख टन का सरप्लस है। जब माननीय श्री जैन साहब और श्री कृष्णप्पा साहब बेजवाड़ा पधारे इस को देख कर बहुत खुश हुए कि वहां ६, ७ लाख टन चावल मिलने का मौका है। लेकिन बात क्या है? जहां पर सरप्लस है, जहां बहुत ज्यादा पैदा होता है, वहां पैदा करने वाली जो ऐग्रिकल्चरल लेबर है, गरीब किसान हैं, उन का क्या हाल है? वह लोग कहते हैं कि हम भारत भर के लिए आठ लाख टन चावल देने के लिये तैय्यार हैं। वे देश के अन्न दाता हैं, उन अन्न दाता कि हालत को आपको सोचना चाहिए, लेकिन इसके लिये यहां पर कोई सदस्य समय नहीं देता है। जो लाखों टन चावल पैदा करते हैं, आज वही भूख के मारे तड़प रहे हैं। उन के लिए आप सस्ते अनाज की दूकानें खोलिए। मैं ने यह मांग की, लेकिन मंत्री महोदय ने उस को नामजूर कर दिया। उनका शायद यह ख्याल है कि जहां पर सरप्लस है, वहां पर सब के घर में चावल है। लेकिन में एक बात उन से कहना चाहता हूं कि वह गांव में आकर देखें कि उन किसानों की क्या हालत है। आज छोटे किसान और ऐग्रिकल्चरल लेबर जो है वह चावल का दाम ज्यादा नहीं दे सकती है और इस लिए वह अन्न के बिना उपवास करती है। इस चीज को समाज को रोकना चाहिए।

यहां पर लोग यह बात भी कहते हैं कि भाव घटने से उत्पादन की जो चाह आज लोगों में है, वह बुझ जायेगी, देश का हाल बिगड़ जायेगा। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं।

[श्री रामम्]

पर किसान को जरूर प्रोत्साहन देना चाहिये । अगले साल भारत में अन्न की पैदावार यदि हम और बढ़ाना चाहेंगे, तो जो किसान पैदावार करता है, उसका भी हमें खयाल रखना होगा । आगे से भी अगर हमें वहां से चावल और अनाज लेना है, तो हमें कम से कम इतना तो करना चाहिये कि जिस से वे लोग जिन्दा रह सकें । जब इस तरह की बात की जाती है तो हमारे मंत्री महोदय बहुत दुखी होते हैं । लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति कहती है "अन्नदाता सुखी भवः" । उसको—अन्नदाता को—दुख में रख करके, उपवास में रख करके यदि आज हम सात लाख टन ले जायेंगे और उसका दूसरी जगहों पर बटवारा कर देंगे और आंध्र में सस्ती अनाज की दुकानें नहीं खोलेंगे, तो हम वहां के लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे, यह सरासर अन्याय होगा । उनके घर में न ज्यादा खाने के लिये चावल है न अनाज है और वे लोग तड़प रहे हैं । इस बात को भी मंत्री महोदय को ध्यान में रखना चाहिये ।

अब मैं प्राइस कंट्रोल की बात करना चाहता हूं । कुछ लोग, जब कंट्रोल की बात की जाती है, तो घबरा जाते हैं । लेकिन इससे अगर वे घबराते हैं तो उनको ज्यादा प्रोडकशन की बात नहीं करनी चाहिये । जो किसान प्रोड्यूस करता है, उसको जो रेट मिलता है, उसका भी उन्हें खयाल करना चाहिये । मैं अपने आंध्र के मैम्बर श्री रंगा साहिब से पूछना चाहता हूं कि जो फसल जनवरी में हाथ में आती है या जो इस वक्त काटी जाती है या खलिहानों में आती है उस दिन चावल का क्या भाव होता है और इसके बाद सितम्बर-अक्तूबर में क्या भाव होता है । जनवरी में चावल के दो मन के बोरे का भाव तो १४ रुपया होता है लेकिन सितम्बर और अक्तूबर में जाकर वह २७–२८ या ३० रुपया हो जाता है । जो छोटे छोटे किसान लोग हैं वे साल भर के लिये अनाज जमा करके अपने घर में नहीं रख सकते हैं । उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे इसे जमा करके रख सकें । उस वक्त ये इसे बेच देते हैं और बाद में जाकर इनको ज्यादा भाव पर खरीदना पड़ता है । भारत सरकार यह चाहती है कि भारत भर के लिये अन्न की व्यवस्था हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी वह अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है और न खुद तकलीफ उठाने के लिए तैयार है । मैं एक सुझाव मंत्री महोदय के सामने उपस्थित करना चाहता हूं । जिस वक्त फसल मंडी में आती है उस वक्त सरकार को इसे खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिये । इससे दो फायदे होंगे । एक फायदा तो यह होगा कि जो छोटा किसान है उसको अपने गल्ले की ठीक कीमत मिल सकेगी और उसको सस्ते दाम पर या नुकसान पर अपनी प्रोड्यूस नहीं बेचनी पड़ेगी और दूसरा यह होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी ज्यादा दाम देना नहीं पड़ेगा । इस तरह से किसानों को भी और कंज्यूमर्स को भी सुविधा हो जायेगी । सरकार को चाहिये कि जब फसल मार्किट में आये, उस वक्त वह काफी माल खरीद कर अपने पास जमा कर ले । यदि उसने ऐसा किया तो वह मार्केट को कंट्रोल करके कीमतें स्थिर कर सकेगी । यह एक प्रेक्टिकल स्टेप है जो सरकार उठा सकती है । केवल मंत्र जपते रहने से और जबानी बातें करते रहने से कुछ नहीं हो सकेगा । आज देखने में आता है कि कुछ लोग बड़े बड़े स्टाक करके अपने पास जमा करके अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न कर रहे हैं । और मुनाफाखोरी करते हैं । आपके जो कानून हैं या आप जो एलान करते हैं, उनका उन पर कोई असर नहीं होता है । सरकार के हाथ में जब माल रहेगा तो वह रेट्स को काबू में रख सकेगी । बिना अन्न को अपने हाथ में रखे सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती और कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर सकती है । मैं चाहता हूं कि सरकार माल हाथ में रखकर मार्केट को कंट्रोल करे ।

अब मैं खेती बाड़ी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जब आंध्र की बात की जाती है तो आंध्र के किसानों की भी कुछ जिम्मेदारी है यह कहा जाता है कि और हम पर इल्जाम लगाया

जाता है कि हम लोग बेचने के लिये तैयार नहीं हैं और लोग चावल इत्यादि अपने पास जमा किए हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि वे हम से साफ साफ बात नहीं करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आंध्र के किसान जो पैदा करते हैं उसे वे अपने लिए ही पैदा नहीं करते हैं। उनको भी गन्ने, आलू इत्यादि कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है और दूसरी चीजें खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। आंध्र के बहुत से जिलों में चावल पैसे की क्राप है, कैश क्राप है। हम जितना पैदा करते हैं हम अपने खाने के लिए ही पैदा नहीं करते हैं बल्कि विदेशों में तथा देश के दूसरे भागों में भेजने के लिए भी पैदा करते हैं। हमारा जो बायल्ड राइस होता है वह मलाबार जाता है और यदि हम उसको मलाबार नहीं भेजें तो यह हमारा ही नुकसान होगा। हमारे यहां जो सुपीरियर राइस पैदा होता है वह बम्बई, सौराष्ट्र इत्यादि देश के भागों में जाता है और उसकी इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और मिडिलईस्ट के देशों में भी काफी मांग रहती है और भेजा जाता है। हमारे प्रदेश के दो तीन जिलों में एक लाख टन सुपीरियर राइस का स्टाक जमा पड़ा है और उसके जमा होते हुए भी हम विदेशों से, अमरीका इत्यादि से ३५ रुपया मन के भाव पर चावल मंगा रहे हैं। २५ रुपये के भाव पर देशी चावल मिल रहा है। हम बेच भी रहे हैं तो पता नहीं कि माल रहने पर भी सरकार विदेशों से चावल क्यों खरीद रही है? और क्यों फारेन एक्सचेंज को बरबाद कर रही है। हमारे यहां फाइन राइस की शार्टेज नहीं है और इस राइस को इम्पोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज जब हम यह नारा सुनते हैं कि पैसे को बचाना चाहिये तो हमें आश्चर्य होता है क्योंकि सरकार खुद ही बचाना नहीं चाहती और न उसे बचाने का तरीका आता है। इस वास्ते इसको भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए।

आज आंध्र से कई चीजें देश के दूसरे भागों के लिए ली जा रही हैं और हम उनको देने को भी तैयार हैं लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि उनको किन किन चीजों की आवश्यकता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आंध्र के लिए जो स्कीमें सैंक्सन भी हुई हैं वे भी बन्द पड़ी हुई हैं। इनके बन्द होने का जब प्रान्तीय सरकार से कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि पैसे की कमी है। आज सरकार आंध्र से लाखों मन अनाज प्राप्त करती है लेकिन जब खेतों के लिए बिजली देने को सरकार से कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि पैसे की कमी है इस वास्ते जो स्कीम सैंकशन भी हो चुकी है, उसको भी अमल में नहीं लाया जा सकता है। वहां से सरकार तेल के बीज भी प्राप्त करती है, तम्बाकू भी पाती है और इनको एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपया भी कमाती है। परन्तु जब किसानों को सुविधायें प्रदान करने की बात कही जाती है तो कह दिया जाता है कि पैसे की कमी है। यह ठीक बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार को वहां के किसानों की जो जरूरतें हैं उनका भी खयाल रखना चाहिये और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि केन्द्रीय सरकार ने उनकी जरूरतों को पूरा किया तो आप देखेंगे कि वे लोग बड़ी खुशी के साथ और अधिक पैदा करेंगे।

और उपज के बढ़ने से जाहिर है कि अन्न का अभाव नहीं रहेगा। सिर्फ आंध्र के लिए ही मैं यह नहीं कहता बल्कि और और जगहों के लिए इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि देने की व्यवस्था है, उसमें अधिकारियों द्वारा सावधानी नहीं बरती जाती है और धन का अपव्यय होता है। आंध्र की बाबत मैं आपको बतलाऊं कि वहां पर जो छोटे छोटे माइनर प्राजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा नहीं मिलता है और बाढ़ आदि से जो फसल चौपट हो जाती है और जो किसानों को अपार क्षति पहुंचती है, उसमें सरकार की ओर से जो तत्काल सहायता मिलनी चाहिए वह समय पर नहीं मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आंध्र के किसानों की जो जरूरतें हैं उनको सरकार को पूरा करना चाहिए। नारियल के भाव के बारे में जो नारियल कमेटी है,

[श्री रामम्]

उसकी सिफ़ारिशों पर केन्द्रीय सरकार को अमल करना चाहिए और खास कर मलाबार, आंध्र और बंगाल के सदस्यों ने जो इस सम्बन्ध में कहा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ।

आज जरूरत इस बात की है कि सरकार अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करे और जो वहां पर गड़बड़ी और धन की बरबादी होती है उसको बंद करे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ठीक से यह काम किया जाय तो हमारे देश के किसान जितनी जगह उन्हें इस समय खेती के लिए प्राप्त हैं, उसमें अन्न का उत्पादन बढ़ा करके दिखा सकते हैं । यह हमारा सौभाग्य है कि इस देश की प्रकृति भी खेतीबाड़ी के बहुत अनुकूल है । मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को इस देश की फूड प्राब्लम को सौल्व करने के लिए उत्साह के साथ जुट जाना चाहिए और इस काम में जनता और किसानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय, मैंने जो चन्द एक सुझाव इस सदन के सामने रखे हैं, उन पर विचार करेंगे और उन पर अमल कराने का प्रयत्न करेंगे । लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि एक हमारे भाई यहां से विलायत जाते हैं और वहां खाद्य समस्या का अध्ययन करने के बाद उनके सिर में एक लहर उठती है और वह वहां के खेती के माडर्न तरीक़ों का राग अलापने लगते हैं और यह नहीं सोचते कि भारत की जैसी स्थिति है उसमें विदेशी ढंग के खेतीबाड़ी के तरीक़े सफल नहीं हो सकते ।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे दक्षिण के एक भाई ने हिन्दी में भाषण दिया । आपके द्वारा मैं उनको अभिनन्दन देना चाहती हूं और उसके बाद मुझे लगा कि मेरे लिए अंग्रेज़ी में बोलना कितना अनुचित होगा, उन्होंने इस का भान अपने हिन्दी भाषण के द्वारा मुझे करवाया । अध्यक्ष महोदय, दक्षिण से हम बहुत चीजें सीखते हैं और सीखते रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि कितने ही बड़े बड़े गुरु और आचार्य लोग वहां से आये थे और अगर आज हम यहां पर सीख रहे हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और अध्यक्ष महोदय, आप भी इस कुर्सी पर बैठे हुए हमें सिखा रहे हैं, तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है ।

अभी मेरे जो दक्षिण के भाई बोल रहे थे उन्होंने अपने भाषण में एक चीज़ की तरफ़ बहुत ध्यान दिलवाया कि क़रीब ७० फ़ीसदी लोग जो अन्न पैदा करते हैं गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, वे लोग अन्न नहीं खा सकते क्योंकि वे गरीब हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल्स के द्वारा अन्न दिया जाय, उसकी कुछ सिफ़ारिश की । मैं बहुत नम्रता से उनसे यह कहना चाहती हूं कि वह जिस समस्या को हल करना चाहते हैं, उस समस्या को हम सभी हल करना चाहते हैं लेकिन यह कहना कि उस समस्या का हल कंट्रोल्स है, ऐसी बात नहीं है और जितनी दृढ़ता से मैं उस चीज़ की तरफ़ ज़ोर दे सकूं, मैं ज़ोर देकर कहना चाहती हूं ।

कंट्रोल्स के बारे में रिपोर्ट देखिये तो आपको मालूम होगा कि जो हमारे देश में काम चल रहे हैं उनमें तो हम करप्शन को दूर नहीं कर पाये हैं तब वह चीज जो मनुष्य जीवन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखती है, खाद्य पदार्थ, उसमें अगर आप कंट्रोल करेंगे तो कितना भ्रष्टाचार और करप्शन हमारे देश में बढ़ेगा, इसका आप सहजही अनुमान लगा सकते हैं और उस पर आप कैसे काबू पायेंगे । मैं समझती हूं कि कंट्रोल्स को फिर से लाने की बात किसी के लिए सोचना अपनी क़ब्र खोदना है । अब जब आपके देश में गल्ले पर कंट्रोल था तब गेहूं का भाव १८ रुपये मन था और आज जब कंट्रोल नहीं है और जब चारों ओर हो हल्ला मचा हुआ है कि फूड क्राइसिस

(संकट) है तब गेहूं दिल्ली में १५ रुपये और १६ रुपये प्रति मन के हिसाब से मिल रहा है और पंजाब में गेहूं साढ़े तेरह रुपये प्रति मन के भाव से मिल रहा है। ऐसी अवस्था में कंट्रोल्स की बात करना मेरी समझ के बाहर है और अगर हम एक टोटैलिटेरियन कंट्री (तानाशाही देश) नहीं होना चाहते तो फिर कंट्रोल की बात करना बिलकुल ग़लत बात है। आप फूड ग्रेस की प्राइस को तो कंट्रोल कर लेंगे लेकिन जो आपकी कैश क्राप्स (फसलें) हैं, उनके बारे में आप क्या करने वाले हैं? आज हम देखते हैं कि किसान लोग खाद्य पदार्थ पैदा करने की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा कैश क्राप्स जैसे तम्बाकू, मिर्च और गन्ना आदि पैदा कर रहे हैं और क्या इन चीज़ों की खेती करके आपका फूड प्रोडक्शन बढ़ने वाला है? आप कोई क़ानून बना करके एक किसान को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वह इतने एकड़ में गल्ला बोये और इतने एकड़ में तम्बाकू, मिर्च और गन्ने आदि की खेती करे। इसलिए आपका ऐसा ख़याल करना कि आप कंट्रोल के ज़रिए खाद्य पदार्थों की प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे, ग़लत बात है और इससे आपकी खाद्य समस्या कदापि हल नहीं हो सकती है।

आज आप देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश में जहां इतनी नई ज़मीन काश्त में लाई गई, वहां बहुत काफ़ी तादाद में लोगों ने गन्ने की खेती की है और वहां पर किसान लोग चावल और अन्य खाद्य पदार्थ पैदा नहीं करते क्योंकि जितनी कमाई वे शुगरकेन से करते हैं उतनी कमाई वे खाद्य पदार्थों से नहीं कर पाते।

मैं बहुत नम्रता से कहना चाहती हूं कि हम लोग खाद्य मंत्री महोदय की इस बात के लिए आलोचना कर सकते हैं कि वे फूड सिचुएशन को सौल्व नहीं कर पाये हैं और फूड प्राब्लम बहुत ऐक्यूट हो गई है। लेकिन क्या इस ग़ल्ले की समस्या को सरकार अकेले बिन जनता का सक्रिय सहयोग मिले सफलतापूर्वक हल कर सकती है, मैं समझती हूं कि नहीं कर सकती है। इसलिए फूड मिनिस्ट्री को अगर यह फूड प्राब्लम हल करनी है तो फूड मिनिस्ट्री को अन्य मिनिस्ट्रियों से पूरी पूरी मदद मिलनी चाहिए और सब को सरकार को और जनता को गल्ले की समस्या हल करने के हेतु जुट जाना होगा।

१९४९ में जब हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अमरीका पधारे थे, मैं उस समय वहां पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, तब वहां पर उन्होंने बहुत ज़ोरों से इस बात को कहा था कि हम अगले साल से बिलकुल फूड इम्पोर्ट नहीं करेंगे। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि अगर जरूरत लायक गल्ला आप अपने देश में ही पैदा न कर सके, तो आप क्या करेंगे तो उन्होंने कहा था कि उस हालत में हम भूखे मरना पसन्द करेंगे लेकिन अब बाहर से हम अपने देश में गल्ला नहीं मंगायेंगे। लेकिन आज हम रिपोर्ट में देखते हैं कि सन् १९५५ में हमारा फूड इम्पोर्ट .७ मिलियन टन था, १९५६ में १.४ मिलियन टन था और १९५७ में जनवरी से मार्च तक अर्थात् तीन महीने में .१ मिलियन टन आपके देश में आ चुका है और अभी और आना है। हम गन्ना पैदा करके शक्कर विदेशों में भेजते हैं और तम्बाकू और मिर्च एक्सपोर्ट करके फ़ारेन एक्सचेंज अर्न करेंगे यह ठीक है लेकिन जो थोड़ा बहुत मुट्ठी भर हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके अर्न करते हैं उसको फूड का फ़ारेन इम्पोर्ट करके उड़ा देते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह फूड मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का धर्म नहीं है कि वह अपनी सारी शक्ति फूड प्राब्लम को हल करने में और इस देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में लगा दे ताकि गल्ले के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता का जो हमारा ध्येय है उसको हम प्राप्त कर सकें। इस तरह हमारी जेब में फ़ारेन इम्पोर्ट के रूप में जो बहुत बड़ा छिद्र विद्यमान है और जिस छिद्र में से होकर हमारा सारा पैसा फ़ारेन एक्सचेंज में जा रहा है, वह जाना बंद हो और हम इस बड़े होल को बंद कर सकें।

[डा० सशीला नायर]

आप यह भी देखिए कि रेलवे मिनिस्ट्री कहती है कि हम फूड के लिए १९० गन दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इस का परिणाम यह है कि डाक्स में फूड भरा पड़ा ह, जहाज भरे पड़े हैं। मैं ने सुना ह—मुझे आशा है कि यह फ़िगर ग़लत होगी, लेकिन कहते हैं कि यह सही है—कि हम को दस लाख रुपए रोज का फ़ारेन एक्सचेंज में डैमरेज देना पड़ रहा है, क्योंकि हम वहां से फूड ला नहीं सकते। क्या यह आवश्यक नहीं है कि डाइवर्ट कर के, पूरा प्रयत्न कर के किसी न किसी तरह से उस फूड को वहां से निकालें? फिर कहा जाता है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी (रखने की क्षमता) नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि अगर नहीं है, तो फिर उस का भी कोई साधन करना चाहिए। भले ही जगह खाली न हो, लेकिन इस बात की तरफ़ ध्यान तो केन्द्रित हो।

मैं यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि जो दृढ़ता हम ने १९४९–५० में दिखाई थी, जिस दृढ़ता के कारण १९५४–५५ में ऐसा दीखता था कि हम ने अपने देश की फूड प्राब्लम को हल कर लिया है, वही दृढ़ता फिर से हम में आयगी, तभी हम इस समस्या को हल कर सकेंगे, वर्ना नहीं कर सकेंगे।

फिर दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को भी देखिए। मुझे ठीक तरह से ध्यान नहीं कि लैंड रिफ़ार्म्ज़ का विषय मिनिस्ट्री आफ़ फूड एंड एग्रीकल्चर के अन्तर्गत आता है या नहीं। हम लैंड रिफ़ार्म्ज़ की बात तो बहुत करते हैं। स्टेटस में इस बारे में लेजिस्लेशन भी बनाए गए हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि हम ने इन्टरमीडियरीज़ (मध्यवर्ती लोगों) को एलिमिनेट (हटाया) किया है या नहीं। नहीं किया है। भूमि किसान को मिलनी चाहिए। यह हम बहुत देर से कहते आ रहे हैं, लेकिन हम ने यह किया नहीं है। जिस समस्या का जिक्र मेरे आन्ध्र के भाई कर रहे थे कि पैदावार करने वाले को खाना नहीं मिलता है, उस का हल तो यह है कि जो जोतता है, जो बोता है, उस का क्राप उसी का हो—जो वह पैदा करे, उस का मालिक वही हो, उस में से वह जो अपने खाने के लिए रखना चाहे, वह रख ले और बाकी दूसरों को दे। कंट्रोल्ज़ की मार्फ़त हम सरप्लस एरियाज़ में आर्टिफ़िशियल स्कैसिटी पैदा कर देते हैं और स्कैसिटी एरियाज़ में हम वहां से अन्न ले जाते हैं। पिछले कंट्रोल्ज़ के दिनों में हम ने इस तरह सारा गोल-माल कर दिया था। ईश्वर न करे कि इस देश को फिर वह गोल-माल—उस तरह का बुरा स्वप्न—देखना पड़े। अगर छोटा सा भी टुकड़ा किसी का अपना है, तो इन्टेंन्सिव कल्टीवेशन की मार्फ़त कितना ज्यादा फूड प्रोडक्शन बट सकता है, इस का पता हम को जगह जगह पर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने के बाद लग गया है। चीन, जापान में भी ऐसा ही किया गया है। स्माल इन्डिविजुअल होल्डिंग्ज़ और इन्टेन्सिव कल्टीवेशन हम को सब से ज्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। जिन भाइयों ने को-आपरेटिव फ़ार्म्ज़ का विरोध किया है, मैं उन से पूरी तरह सहमत हूं। को-आपरेटिव फ़ार्म्ज़ हमारे देश की समस्या का हल नहीं है। दिल्ली के पास जिन लोगों ने इस का एक्सपेरिमेंट किया है, उन का यह स्पष्ट मत है कि वह कामयाब नहीं हुआ है। इसलिए उस की तरफ़ ध्यान देना, उस में अपने रिसोर्सिज़ (संसाधन) डालना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी।

को-आपरेशन रखिए मार्केटिंग के लिए, सीड्ज़ के लिए, उन सर्विसिज़ के लिए, जो किसान चाहता है। को-आपरेशन रखिए इरिगेशन के लिए। ट्यूबवेल्ज़ को-आपरेटिव तरीके से उन के हो सकते हैं। लेकिन जहां तक जोतने, बोने और फूड पैदा करने का सम्बन्ध है, इन्डिविजुअल स्माल होल्डिंग्ज़ एंड इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के सिवा इस समस्या का कोई हल नहीं है।

मैन्योज़ की बात हम बहुत करते हैं । अपनी सायल की फ़र्टाटलिटी को मेनटेन करने की तरफ़ हम को ध्यान देना चाहिए । आर्टिफ़िशियल मैन्योर्ज़ की बात हम करते हैं, लेकिन नेचुरल आरगैनिक मैन्योज़ की तरफ़ हम ने तवज्जह नहीं दी है । मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हैल्थ मिनिस्ट्री का भी इसमें को-आपरेशन हो और इस बात की व्यवस्था की जाये कि किस प्रकार की हमारी लैट्रिन्ज़ हों, हमारे घर घर में किस प्रकार का तरीका अख्तियार किया जाये, ताकि जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, जितना भी एनिमल एक्सक्रीटा हो, वह सब वापिस लैंड में जाये । अगर यह साइकिल मेनटेन हो, तभी सायल की फ़रटिलिटी कायम रह सकती है, वर्ना नहीं । इस तरफ़ भी ज्यादा तवज्जह दी जानी चाहिए ।

एक ज़माना था कि जब इस देश में नान-सीरियल फूड पर बड़ा ज़ोर दिया गया था । एक विमन्ज़ फूड कौंसिल भी बनी । लेकिन हम सब उस को भूल गए हैं । भूलने का तो कोई कारण नहीं था । हम को उसे याद रखना चाहिये । हमारे सेठ गोविन्द दास जी पोल्ट्री और फ़िशरीज़ के नाम पर बहुत नाराज़ हो रहे थे । मैं भी पक्की वैजिटेरियन हूं । मुझे भी उन चीज़ों को देख कर बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर रीयलिस्टिक तरीके से देखना है, तो तथ्य यह है कि इन चीज़ों का इस देश में बड़ा स्थान है, इस लिए इन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । इतना बड़ा कौस्टलाइन है हमारे देश का, इतने रिवर्ज़ और टैंक्स हैं हमारे यहां कि जितनी फ़िश हम चाहें, वह पैदा कर सकते हैं । मैं ने सुना है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर बारह लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया, और थोड़े से समय में उस में से पच्चीस लाख की फ़िश का यील्ड हुआ । यह बहुत अच्छी चीज़ है और इस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । हम यह भी समझें कि इन्सान की सेहत के लिए सीरियल्ज़ की बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है । अमरीका में तो आज लोग रोटी खाते ही नहीं हैं । कहते हैं कि स्टार्च खा खा कर मोटे हो जायेंगे और खास तौर से औरतें तो ब्रैड का एक स्लाइस भी नहीं खाती हैं । वे मीट, फ़िश और दूसरी चीज़ें खाती हैं, जिन में स्टार्च नहीं होता है । अनाज को मुटापा पैदा करने वाला समझा जाता है और उन्हें अपने शरीर तथा सौन्दर्य का बड़ा ध्यान रहता है ।

इसी तरह से हमारे कई भाइयों ने बहुत जोरों से कहा कि परदेश से जो पाउडर्ड दूध आता है, उस को रोक दिया जाये । हम को भी इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि बाहर से कोई चीज़ आए, लेकिन जब हम अपने देश में पूरा दूध पैदा करें, तो बेशक उस को रोक दें, परन्तु जब तक हमारे यहां पूरा दूध पैदा नहीं होता है, और हम को कहीं से मिलता है, तो उस को छोड़ देना और अपने बच्चों को दूध से वंचित रखना कुछ उचित तरह की रीज़निंग मुझे नहीं लगती है । हम गऊ के भक्त हैं, उस की पूजा करने वाले लोग हैं और हमारे बच्चों को दूध न मिले, इससे बड़ी दुःख की बात क्या हो सकती है ? हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा डेयरीज़ हों, ज्यादा से ज्यादा अच्छी, बहुत दूध देने वाली गायें हों, जिससे हम बच्चों को अच्छी तरह से दूध दे सकें, यह हम सब का प्रयत्न होना चाहिए । जैसा कि सेठ गोविन्द दास जी ने कहा है, अन्न ज्यादा पैदा होगा, तो उससे भूसे का चारा भी उन के लिए मिल जायेगा । उन के लिए जंगल में घास भी काफ़ी मिल सकती है । लेकिन सवाल यह है कि जितनी भूमि इस देश में पड़ी है, क्या हम ने उस भूमि का एक एक इंच इस्तेमाल किया है । नहीं किया है । ऐसा करने के लिए हम को वह भूमि भूमिहीनों को देनी होगी—आज की आज देनी होगी । और भूमिहीनों को देने से भी काम नहीं चलेगा । जहां बिल्कुल सख्त ज़मीन है और उस को तोड़ कर तैयार करने की ज़रूरत है, तो खाद्य मंत्रालय को अपने ट्रैक्टर की मार्फ़त उस को तोड़ कर किसी व्यक्ति को एलाट करना होगा । झांसी में बदीना में कुछ खेती करने वाले थे । मिलिटरी ने उन की जगह ले ली और उन को वहां से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पत्थर जैसी जंगल की ज़मीन

[डा० सुशीला नायर]

में खेती करो । वे कैसे करें ? उस ज़मीन को तोड़ कर तैयार कर के उन को दिया जाये । तभी वे उस में ठीक तरह से फूड पैदा कर सकेंगे । यह बहुत आवश्यक है कि जो ज़मीन आज अन्डर कल्टीवेशन नहीं है, उस को ठीक तरह से तैयार किया जाये और तैयार कर के इंन्डिविजुअलस को एलाट किया जाये, ताकि वे उस को डेवेलप करें और उस में अधिक से अधिक अन्न पैदा करें । वह अन्न उस का है, वह मेहनत उस की है, किसी दूसरे इन्टरमीडियरो की नहीं है, अगर उस व्यक्ति को यह पता हो, तो वह ज्यादा से ज्यादा पैदा करेगा और ऐसा वह कर के दिखा भी चुका है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस मांग की ताईद करतो हूं और मैं आशा रखती हूं कि मंत्री महोदय और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के अन्य मंत्रालय भी, मैं ने जो चन्द तुच्छ सुझाव दिए हैं, उन की तरफ ध्यान देंगे ।

†श्री ब० स० मूर्त्ति (काकिनाडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं श्रीमान् आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया है ।

सभा का प्रत्येक सदस्य अनाज की कीमतों पर कहता रहा है किन्तु यदि यह कीमत किसान को मिले तो कोई हर्ज की बात नहीं है—किन्तु ३० से ६० प्रतिशत तो मध्य व्यक्ति या व्यापारी ही ले उड़ता है । इस हालत में सरकार बातें नहीं बना सकती ।

भारत में कृषक शब्द का प्रयोग गलत ढंग पर होता है । यहां भूमिदार हैं और कृषक हैं और कृषि मजूर हैं । भूमिदार जो नगरों में रहते हैं और मजूरों से अपनी भूमि पर खेती कराते हैं वह ही लोग आज एक सरदर्द बने हुये हैं, सलिये मंत्रालय को चाहिये कि वह शीघ्र ही भूमि सुधार कार्य करे ।

भूमि सुधारों के बारे में न तो केन्द्र में और न ही राज्यों में उत्साह है । इस अन्याय को दूर करने के लिये ध्यान से कार्यवाही ही नहीं की जा रही । आंध्र में एक जांच समिति बैठी थी, किन्तु उसकी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित ही किया नहीं गया है । भूमि सुधार यथा संभव शीघ्र होने चाहियें, जो भी भूमि है उसका पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिये ।

आज देश में १/३ कृषि मजूर है । बम्बई, आंध्र तथा मद्रास की आबादी का आधा भाग कृषि मजूरों से बनता है । वह ही खेती करता है किन्तु उसे इतना अनाज भी नहीं मिलता जिससे कि वह भरपेट साल भर तक गुजर कर सके । भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के कृषि मजूरों की यही अवस्था है ।

इन लोगों को सारे साल में केवल पांच या छः महीने काम मिलता है । शेष समय वह खाली रहते हैं । इन महीनों में भी उन्हें गुजारे योग्य पैसे नहीं मिलते ।

खाद्य मंत्रालय को चाहिये कि वह कृषि मजूरों की समस्या की जांच कराने के लिये एक समिति नियुक्त करे । ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ कार्यवाही की थी —वास्तविक कार्यवाही करने की आवश्यकता इस समय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तव में इन लोगों की स्थिति सुधार कर हम अनाज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कृषि मजूर हालत सुधारनी आवश्यक है।

सहकारिता के बारे में चाहता हूं कि हमें खेतों में सहकारिता लानी चाहिये। बहुत से लोगों के पास एक एक या आध आध एकड़ भूमि होती है वह अकेले यदि उसे जोतें तो सब प्रयास फजूल होगा। यदि सहकारिता के आधार पर काम हो तो बड़ा लाभ होगा—आप लोगों को सहकारी खेती के लिये राजी करें। श्री मसानी कह रहे थे कि यह प्रयोग असफल रहा है। उन्हें विदेशों का ज्ञान है वह अपने देश के किसानो को नहीं जानते। यहां खेत छोटे छोटे हैं। इसलिये सहमति से सब की मर्जी से सहकारी संस्थायें बनें जहां लोग काम करें और गरीब से गरीब का भी हित हो। यह जो भावना है कि भारत में सहकारिता सफल नहीं हो सकती यह गलत धारणाओं पर आधारित है।

कई लोग यह कहते हैं कि सामाजिक तौर पर भी यह गलत बात है किन्तु वह यह नहीं समझते कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। कोई आदमी कहीं भी अकेला नहीं रह सकता। इसलिये जो लोग यह कहते हैं कि सहकारिता असम्भव है उनकी बात मेरी समझ में तो नहीं आती।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमें एक गांव या कुछ गांवों को आत्म निर्भर एकक बना देना चाहिये। इसके लिये उपभोक्ता तथा उत्पादन संगठन बनाये जाने चाहियें। उत्पादन आदि के लिये सम्हालने की सारी समस्यायें इस तरीके से सुलझ सकती हैं। इससे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को कोई भी हानि नहीं होगी। दूसरे देशों में भी यह समस्या इसी तरीके पर हल की गई है।

१९४६ के अनाज संकट के समय मद्रास में स्व० श्री टी० प्रकाशम ने उत्पादक एवं उपभोक्ता सहकारी संस्थायें बनाई थीं ताकि नियंत्रण की बुराइयां न फैलें।

जो उच्चाधिकार समिति कीमतों की वृद्धि जानने के लिये नियुक्त की गई है— मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार हम लोग सभा में सब बातें बता ही रहे हैं इन बातों से माननीय मंत्री को स्थिति समझनी चाहिये और यथोचित कार्यवाही करनी चाहिये। यह समिति मंत्रालय की एक और बड़ी गलती है।

†श्री अ० प्र० जैन : कई महीनों के बाद इस सभा में एक बड़े संतुलित ढंग का वाद-विवाद हुआ है। इसमें उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है। पहले खाद्य समस्या की ओर सरकार का इतना ध्यान नहीं था क्योंकि सरकार अधिकतर उद्योगों तथा नगरों पर ही ध्यान देती थी। कीमतों की वृद्धि के बारे में अनावश्यक बातें की गई हैं जिन्हें न करने से भी कोई हानि नहीं होती थी। जो बातें मैंने गत सत्र में कही थीं अब पूरी सिद्ध हो रहीं हैं। उस समय मैंने यह कहा था कि निस्संदेह खाद्य की कीमतें बढ़ गयी हैं किन्तु उनपर कई पहलुओं से विचार करना है।

आज लगभग २५ माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है किन्तु किसी को भी खाद्यान्नों के मूल्य की वृद्धि पर घबराहट नहीं थी।

दो माननीय सदस्यों ने कीमतों में वृद्धि के प्रश्न पर गंभीरता से बातें कही हैं। उनको केवल उपभोक्ता का ही विचार है—उत्पादक का ही खयाल नहीं है। वह समझते

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

हैं कि भारत में शायद किसान हैं ही नहीं। किसान भी भारत में ही रहते हैं। उन्हें केवल अपना ही ध्यान है। यदि खेती से उसे ठीक पारिश्रमिक न मिले तो वह अधिक उत्पादन करने को तैयार नहीं है। दूर्भाग्य से कई लोग किसान को आकृतिहीन तथा जीवनहीन व्यक्ति समझते हैं।

इस देश में कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहते हैं। उनका विचार है कि अनाज की कीमतें कम करके योजना के लिये वित्त मिल सकता है। कई लोग तो यह कह देते है कि गेहूं की कीमत १० रुपये प्रति मन निर्धारित कर दो तथा इसी प्रकार दूसरी चीजों का मूल्य भी निर्धारित कर दो। जितना चावल और गेहुं बाजार में हो ले लो तथा इससे सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी वेतनों में वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी और योजना की प्रगति ठीक ढंग से चलती रहेगी।

यह लोग यह नहीं समझते कि हमारी योजना में एक कृषि कार्यक्रम भी है। योजना की सफलता कृषि की सफलता पर निर्भर है। हमारी राष्ट्रीय आय का ५० प्रतिशत भाग कृषि से आता है। कृषि से ही हमारी ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा की आय होती है। यदि हम अनाज की कीमतें कम करने की नीति अपना लें यह नीति पीछे ले जाने वाली होगी। जिस नीति से किसान को प्रेरणा नहीं मिलती—वह उस पर चल कर कभी उत्पादन नहीं बढ़ा सकता जिससे योजना असफल हो सकती है। ऐसी बातों से कृषि मूल्यों का संतुलन तो कभी होगा ही नहीं।

मैं तो यही समझता हूं कि कृषक को पूरा पारिश्रमिक मिलना चाहिये।

किसान से पूरा पूरा न्याय होना चाहिये। सरकार को सस्ती दरें रखने की समस्या का पूरा पूरा ज्ञान है यह प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने भी आया था। इस पर पदाधिकारियों ने भी विचार किया और फिर दूसरी एक समिति ने भी विचार किया था। सरकार ने एक प्रेस-नोट जारी भी किया है जिसमें कहा गया कि सरकार को यह पता है कि चूंकि देश की ज्यादा आबादी किसानों से बनती है इसलिये उन्हीं के कल्याण में देश का कल्याण है। इसलिये सरकार किसानों को यह आश्वासन दिलाना चाहती है कि कृषि उत्पादों की कीमत इतनी गिरनी नहीं दी जायेगी जिससे कि उन्हें कोई लाभ ही न पहुंचे। इस काम के लिये समय समय पर उचित कार्यवाही भी की जायेगी। मैं चाहता था कि पहले से ही न्यूनतम कीमतों की घोषणा कर दी जाये किन्तु बहुत सी कठिनाइयों के कारण ऐसा न कर सके।

दूसरी समस्या तैयार वस्तुओं के मूल्य के बारे में है। बार बार कहा जाता है कि अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं—कीमतें बढ़ी हैं। किन्तु तैयार चीजों की कीमतों को क्या हुआ है? मेरे पास कुछ सांख्यकी है। १९५२ के वर्ष को बुनियादी मान कर धोतियों आदि वस्त्रों की कीमत १०० से १३५ हो गई है; अर्थात् ३५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीमेंट की कीमत में २९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोहे तथा इस्पात की कीमत १०० से १४३ अर्थात् ४३ प्रतिशत बढ़ी है। लोहे की नालीदार चादरों की कीमत १०० से १३५ हो गई है। एलूमीनियम के बर्तनों की कीमत १०० से ११६ तथा जूतों की कीमत १०० से १०९ हो गई है।

इन कीमतों से आप अनाज की कीमतों की तुलना कीजिये। १९५२ से अब तक १०० से ११० तक की वद्धि हुई है। दालें तो १०० से ८५ हो गई है और खाने के काम आने वाले तेल की कीमत १०० से १२८ हुई है।

श्रीमान् कृषक जहां उत्पादक हैं वहां उपभोक्ता भी हैं। जिन चीजों का प्रयोग वह करता है उसके लिये ज्यादा देने पड़ते हैं—इसलिये आप की बात तो यही है कि जो चीजें वह पैदा करे उसकी कीमत उसे पूरी मिलनी चाहिये।

श्री पुरुलकर ने कहा कि मैं १९५२ को ही क्यों बुनियादी वर्ष मान रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने एक वर्ष को ठीकठाक देखकर स्वतः चुन लिया है। उन्हें अब यह पता नहीं कि १९३९ बड़ी पुरानी बात हो गई है। बहुत से परिवर्तन हो गये हैं उत्पादन का सारा ढांचा ही बदल गया है तथा देश का विभाजन हो चुका है—जिन स्थानों की कीमतों का उस समय अनुमान लगाया गया था वह पाकिस्तान में चले गये हैं। इस लिये १९३९ को चिपटे रहने से कोई फायदा नहीं है। उस प्रश्न की जांच के लिये रिजर्व बैंक, केन्द्रीय साख्यकी ब्यूरो योजना आयोग आदि के प्रतिनिधियों से निर्मित एक समिति बनाई गयी थी। उन्होंने १९४६ से १९५३ तक के समस्त वर्षों के बारे में विचार किया—वह एक ऐसा वर्ष चुनना चाहते थे जिस में कीमतों का उतार चढ़ाव कम से कम हुआ हो और उसी वर्ष के आधार पर भविष्य की कीमतों के देशनांक का अनुमान लगाया जाये। उन्होंने मालूम किया कि १९४९ तथा १९५२ में कीमतों में कम से कम उतार चढ़ाव हुये। इस कारण उन्होंने १९५२ को चुना। इस कारण मैंने स्वतः इस वर्ष को नहीं चुना। यह वर्ष विशेषज्ञों ने पूरे विचार के बाद चुना है।

मैं इस बात को इस कारण कह रहा हूं क्योंकि आगे जो कीमतें आदि हम बतायेंगे उनका आधार १९३९ नहीं बल्कि १९५२ होगा और उसी वर्ष की कीमतों से आगे तुलना की जाया करेगी। तैयार चीजों तथा कृषि वस्तुओं की कीमतों की तुलना से मैं स्पष्टतया बता सकता हूं कि दूसरी चीजों की कीमतें अनाज की कीमतों से कहीं ज्यादा बढ़ी हैं।

कई बार १९५४ तथा १९५५ की कीमतों से तुलना की जाती है। यह वर्ष मन्दे के थे उस समय सभी कृषि से सहानुभूति रखने वाले लोग यह कहते थे कि सरकार को कीमतें चढ़ाने में मदद करनी चाहिये। हमने एक तरीके से उस समय किसानों की मदद की—हमें सहायता ज्यादा अच्छी तरह से करनी चायिं थी— खैर आज १९५४ तथा १९५५ की कीमतों से तुलना नहीं की जा सकती। उन वर्षों में विशिष्ट मंदा था किन्तु इस समय की स्थिति भिन्न है। मेरी, अपनी राय तो यह है कि बेशक अनाज की कीमतें बढ़ी हैं किन्तु घबराहट की कोई बात नहीं है। हमें कीमतों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिये किन्तु यह जो इस समय शिकायत की जा रही है उसमें अधिक सार नहीं है।

अनाज की समस्या के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि अनाज वास्तव में उपलब्ध हो तथा दूसरा यह है कि कीमतें कितनी हैं। जहां तक अनाज का सम्बन्ध है मैं ने बताया था कि देश में गुजारे लायक अनाज है। कुछ सदस्यों ने इस बात पर हंसने की कोशिश की। उन्हों ने इसे स्वीकार नहीं किया। किन्तु आज श्री सामन्त ने बताया कि उड़ीसा में अनाज ज्यादा भी है। उड़ीसा में इस समय १,५०,००० टन अतिरिक्त अनाज है। श्री रामन् ने बताया कि गोदावरी क्षेत्र में ४०,००० टन अतिरिक्त अनाज है। आंध्र के तटवर्ती जिलों में ८ लाख टन फालतू अनाज है। इन दोनों क्षेत्रों में लगभग १ मिलियन टन अनाज ज्यादा है। हां देश में कुछ अभाव वाले क्षेत्र भी हैं। जहां फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अभाव वाला एक क्षेत्र पूर्व में है तथा दूसरा पश्चिम में—पूर्व में बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले तथा बंगाल के कुछ भाग शामिल हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : फालतू अनाज का अन्दाज कैसे लगाया जाता है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : आंकड़ों के हिसाब से गलत अन्दाज लगता है। अनुभव से यह मालूम हुआ है कि गत वर्षों में आन्ध्र के तटवर्ती जिलों से ५ या ६ लाख टन अनाज बाहर गया है। इस वर्ष फालतू अनाज ज्यादा है। उड़ीसा कुछ चावल बाहर भेजा है।

मैं कह रहा था कि अभाव वाले क्षेत्र पूर्व व पश्चिम में हैं। पूर्व में अनाज का अभाव इस कारण हुआ क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार तथा बंगाल के कतिपय क्षेत्रों में रबी की फसल तबाह हो गई थी। गत वर्ष बाढ़ों से भी बंगाल को भारी क्षति हुई। बम्बई के तथा मैसूर के कुछ क्षेत्रों में अनाज का अभाव इस कारण हुआ कि वहां ज्वार की फसल तबाह हो गई थी—किन्तु इन अभाव वाले क्षेत्रों से यह तो नहीं समझना चाहिये कि देश में अन्यत्र कहीं अनाज नहीं है। जहां तक उपलब्धता का प्रश्न है मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल को भी यथेष्ट मात्रा में खाद्यानों का सम्भरण किया है। हम बम्बई को भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजते रहे हैं। सम्भरण की व्यवस्था करने में समय तो लगता ही है लेकिन अब हमने वहां खाद्यान्न के भंडार बना दिये हैं। हमें सम्भरण जारी रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभा जानती है कि हमारे पत्तनों में पहले से ही काफी माल पड़ा हुआ है। इस में न तो खाद्य मंत्रालय का कोई दोष है और न किसी और मंत्रालय का ही। इस का कारण यही है कि स्वेज नहर के फिर से चालू होने के बाद भारतीय पत्तनों में बहुत से जहाज एक साथ आ गये थे। और आज कल वर्षा के दिनों तो हमें खाद्यान्नों के परिवहन के लिये ऐसे डिब्बे चाहियें जो उन्हें वर्षा से बचा सकें। कभी-कभी ऐसे डिब्बे पर्याप्त संख्या में सुलभ नहीं होते। रेलवे मंत्री ने हमारे साथ बड़ा सहयोग किया है। उन्हों ने रेलवेज के कंधों पर काफी असामान्य और असाधारण भार सम्भाला है। हमें स्थानाभाव के कारण बम्बई आने वाले बहुत से जहाजों को कन्दला और सौराष्ट्र के अन्य पत्तनों में भेज देना पड़ता था। अब रेलवे मंत्री कन्दला से बिहार तक खाद्यान्नों के परिवहन का भार सम्भालने के लिये तैयार हो गये हैं। इन दोनों के बीच १,३०० मील की दूरी है और इस से छोटी लाइनें की गाड़ियों में काफी बोझ बढ़ जाता है : फिर भी उन्हों ने बड़ी प्रसन्नता से उस का दायित्व स्वीकार कर लिया है। मुझे पूरी पूरी आशा है कि आगामी तीन महीनों तक इन क्षेत्रों में खाद्यान्नों का सम्भरण करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं पड़ेगी। इन तीन महीनों का काल वर्ष का वह काल है जब कोई अधिक दबाव नहीं रहता—पहले की फसल तो लगभग शेष होने लगती है और नई फसल उगने में कुछ समय लगता है।

यहां मैं यह दावा तो नहीं करता कि हमने मूल्यों में कोई गिरावट पैदा कर दी है लेकिन हां हम ने पिछले दो महीनों में कई उपाय कर के उन का चढ़ना अवश्य ही रोक दिया है। हमने इस के लिये पिछले दो महीनों में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या २०,००० से बढ़ा कर २९,००० कर दी है। और हम ने उन की कार्यक्षमता भी बढ़ा दी है। अब इन दुकानों का अधिक बड़े परिवेक्षण किया जाता है।

हम ने गेहूं के लिये तीन जोन बना दिये हैं। उत्तरी जोन में पंजाब हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हैं। यह जोन लगभग आत्म-निर्भर रही है। उत्तर प्रदेश स्वयं ही एक जोन है। तीसरे जोन में राजस्थान मध्य प्रदेश और बम्बई नगर को छोड़ कर बम्बई राज्य हैं। यह तीसरा जोन भी लगभग आत्मनिर्भर है। विशेष कर पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो मूल्यों में गिरावट भी आई है और उत्तर प्रदेश में इतनी अधिक गिरावट नहीं आ पकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जोन बना देने का एक परिणाम यह हुआ है कि इन जोनों के बाहर के क्षेत्रों के प्रति हमारा दायित्व बढ़ गया है। बिहार में गेहूं और उस के उत्पादों के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है। हम दक्षिण को किये जाने वाले सम्भरण में वृद्धि कर दी है हम पिसाई की मिलों का उन की मांग के अनुसार गेहूं देते जा रहे हैं। केरल क्षेत्र में खाद्यान्नों का बड़ा अभाव रहा है इसलिये उसे जोन में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में मतभेद था। बाद में सभी की सहमति से जोन बनाया गया था। उस में सम्मिलित सभी राज्य उस से सहमत हो गये थे। केरल में भी जोन बन जाने के फलस्वरूप निश्चय ही मूल्यों में गिरावट आई है। मद्रास में भी मूल्य गिरे हैं। उत्पादक क्षेत्रों में व्यापारी लोग इस में अड़चनें डाल रहे हैं और वहां मूल्यों में इतनी गिरावट नहीं आ सकी है। और कुछ बाज़ारों में तो मूल्य चढ़ भी गये हैं। यह एक असाधारण चीज ही है। हमें जो नई शक्तियां प्रदान की गई हैं उन के अनुसार हम अब खाद्यान्नों का समाहार कर रहे हैं। हम कुछ विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से वार्ता चला रहे हैं। हम उन राज्यों में अतिरिक्त खाद्यान्न समाहृत करेंगे।

इस के कारण जोनों से बाहर के क्षेत्रों में फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई है। आन्ध्र से कलकत्ता और बम्बई को बढ़िया किस्म का चावल भेजा जाता था। उस के बन्द होते ही मूल्यों में वृद्धि होने लगी। हम ने उस के लिये दो उपाय किये। एक तो यह है कि हम ने उन जोनों क्षेत्रों को भेजे जाने वाले विदेशों से आयातित खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ा दी और दूसरा यह कि हम ने आन्ध्र सरकार को अनुमति दे दी कि वह बम्बई को १०,००० टन और कलकत्ता को भी १०,००० टन चावल भेज सकता है।

हम ने उड़ीसा में भी खाद्यान्नों का समाहार करने का प्रयास किया है। हम ने काफी खींचतान के बाद वहां के मूल्य निर्धारित कर दिये हैं। हम ने अभी तक उड़ीसा में ३५,००० या ४०,००० टन खाद्यान्न का समाहार किर लिया है। आशा है कि उस क्षेत्र से ६०—७० हजार टन मिल जायेगा।

हम ने चने के लिये भी यही किया है। माननीय सदस्यों ने आज के समाचार-पत्रों में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना देखी होगी। हम ने राजस्थान और कुछ अन्य भागों में चने का मूल्य स्थिर कर दिया है। हम वहां गत तीन महीनों के औसत मूल्य पर ही चना खरीदना चाहते हैं। कुल मिला कर इस का प्रभाव अच्छा हो पड़ा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित बैंकों द्वारा खाद्यान्नों की जमानत पर व्यापारियों को पेशगी ऋण देने के सम्बन्ध में भी कहा है। इस में सन्देह नहीं कि अनुसूचित बैंकों ने इस वर्ष ऐसे बहुत अधिक ऋण दिये हैं। इस के सम्बन्ध में फरवरी में अनुसूचित बैंकों को लिखा था। वह एक निदेश भी था। और अनुरोध भी। लेकिन कुछ बैंकों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और उसे निदेश का ही रूप देना पड़ा। अब वर्तमान स्थिति यह है कि चावल और अन्य सभी खाद्यान्नों के लिये सीमान्त मुद्रा में वृद्धि कर दी गई है —२५ से बढ़ा कर ४० प्रतिशत कर दी गई है। चावल जमा कराने वाले व्यापारी को कभी भी चावल की मात्रा का गत वर्ष के उन्हीं महीनों के मूल्य के दो-तिहाई से अधिक की कुल पेशगी नहीं दी जा सकती। और इसी प्रकार गेहूं जमा कराने वालों को भी गेहूं की मात्रा के गत वर्ष के उन्हीं महीनों के मूल्य के तीन-चौथाई से अधिक की कुल पेशगी नहीं दी जा सकती। इस का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। हम ने रेलवे परिवहन में भी अधिक से अधिक बचत करने का प्रयास किया है।

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि मैं ने सभा में जो वचन दिया था उस के अनुसार मेहता समिति की नियुक्ति की जा चुकी है। कुछ सदस्यों का मत था कि उस की नियुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। हम ने दूसरों की बुद्धिमत्ता से लाभ उठाने के लिये ही समिति की नियुक्ति की है। वह एक प्रतिनिधित्वपूर्ण समिति है उस के सभापति भी देश के एक अत्यन्त ही प्रमुख गैर-कांग्रेसी व्यक्ति हैं।

[श्री अ० प्र० जैन]

आपत्ति यह भी की गई थी कि समिति में कोई कृषक नहीं है वास्तव में उस में एक कृषक है। हम ने इस का नियुक्ति के समय पूरा ध्यान रखा था कि समिति ऐसी ही रहे जो समस्या पर विचार करने की पूरी सामर्थ्य रखती हों। आशा है कि वह इसे पूरा भी करेगी।

इस समस्या का सब से बड़ा हल तो उत्पादन बढ़ा कर ही किया जा सकता है।

श्री मसानी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न पूछा था कि मैं सहकारी खेती के पीछे ही तना क्यों पड़ा हुआ हूं। मेरा उत्तर तो सीधा ही है। सभा ने योजना का अनुमोदन कर दिया और योजना में सहकारी खेतों का विकास करने के लिये स्पष्ट तौर पर कहा गया है। देश में भावी कृषि का यही ढंग होना चाहिये। योजनाकारों ने सहकारी खेती में भूमि के अलग अलग टुकड़ों को एक में मिलाने और कृषीय कार्यों को मिल जुल कर करने को भी सम्मिलित किया है सहकारी सेवाओं को नहीं।

योजना में जो कुछ भी निर्धारित कर दिया गया है, उसे कार्यान्वित करना मेरा कर्तव्य है। वैसे भी मैं सहकारी खेतों का हामी हूं।

श्री मसानी ने रूस आदि कई देशों का हवाला दिया था। मैं सभा में कई बार घोषित कर चुका हूं कि सहकारी खेतों की हमारी योजना सोवियत रूस की सामूहिक फार्मिंग से कोई मेल नहीं खाती।

सोवियत रूस के सामूहिक फार्म तो फैक्टरियों की तरह होते हैं उन का आधार यंत्रीकरण और आकार विशाल होता है। उन में कृषक का अपनी व्यक्तिगत सत्ता नहीं रहती। हम उन की नकल नहीं करना चाहते। हम अपना ढंग निकाल रहे हैं।

चीन में अपना एक दल भेजने का कारण यह है कि चीन की सहकारी खेती रूस की सामूहिक फार्मिंग से बहुत भिन्न है और हम उस से कुछ सीख भी सकते हैं।

चीन में सहकारी खेती को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली तो है पारस्परिक सहायता दलों की अवस्था जिस में सभाओं में सहकारिता पैदा की गई है; उस के बाद बीच की अवस्था है—सहकारी खेती की। उस के बाद आती है तीसरी अवस्था—उन्नत सहकारी खेती।

पहली अवस्था में सम्भरणों और विक्रयों इत्यादि को सहकारिता के आधार पर गठित किया जाता है। इस श्रेणी में सहकारी उत्पादन नहीं होता। दूसरी अवस्था में भूमि का अंशदान करने वाले सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार तो सुरक्षित रहते हैं लेकिन खेती सहकारिता के आधार पर की जाती है। तीसरी अवस्था में व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिटा दिया जाता है।

और हम जिस प्रकार की सहकारिता की सोच रहे हैं वह काफी छोटी सहकारी संस्था जैसी रहेगी जहां कि कृषक एक दूसरे से सम्पर्क बढ़ा कर अपनी समस्यायें समझ सकें और अपने सीमित दायरे से निकल सकें एक दूसरे से सहयोग कर सकें। सामाजिक गठन का रूप जितना ही अधिक उन्नत होता है लोग परस्पर उतना ही अधिक सहयोग करते हैं। हमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ अपना मेल बैठाना चाहिये। सामाजिक संगठन का यही उच्चतर रूप होता है।

श्री मसानी ने तीन प्रश्न पूछे हैं। क्या सहकारी खेती से उत्पादन में वृद्धि होगी? मैं कहता हूं कि जरूर होगी। भारत में ७० से ८० प्रतिशत तक जोतें ऐसी हैं जो अपने व्यय को पूरा करने लायक उत्पादन नहीं कर पातीं। इन के कारण न कृषकों न औजारों और न मवेशियों का ही पूरा उपयोग हो पाता है।

मेरे अपने स्थान में एक जोड़ी बैल आठ-दस एकड़ भूमि पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन जोतें इतनी बड़ी हैं ही नहीं। इसलिये उन का पूरा उपयोग नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसी जोतें कभी भी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। श्री मूर्ति ने स का बड़ा उपयुक्त उत्तर दिया है। इनका हल यही है कि इन छोटी छोटी जोतों को सहकारी खेतों में बदल दिया जाये और उन के लिये पर्याप्त व्यय और प्रविधि सम्बन्धी सलाह जुटाई जाये और उत्पादन बढ़ाया जा सके।

उन का दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह परिवर्तन सामाजिक रूप से वांछनीय होगा। मैं उस का उत्तर दे चुका हूं।

उन का तीसरा प्रश्न था कि क्या इस परिवर्तन को ऐच्छिक आधार पर किया जा सकता है। मानवीय प्रकृति सदा एक ही नहीं रहती।

आर्थिक क्षेत्रों की हमारी अन्यकार्यवाहियों में सहकारिता अधिकाधिक सफल सिद्ध होती जा रही हैं इसलिये मुझे यह भी विश्वास होता जाता है कि वह खेती के क्षेत्र में भी सफल होगी ही। उन्हों ने कहा था कि पाटिल शिष्ट मंडल द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये भी जनता को बाध्य करना ही पड़ेगा क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने पर ऐच्छिक आधार मिट जाता है। विचित्र सी बात है। यानी जनवादी देशों में कभी योजना ही नहीं बनाई जा सकती? सभी योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित तो करने ही पड़ते हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी तो हम ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं। क्या वह गलत किया गया था। हमें जनता को समझा-बुझा कर ही प्रयास कर के ही सहकारी खेती में सम्मिलित करना पड़ेगा।

†**श्री फीरोज गांधी** (रायबरेली) : आप जाति की व्यवस्था का क्या करेंगे?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस सभा में सभी जातियों के सदस्य एक साथ बैठते हैं—पारसी, हिन्दू, जैन, मुस्लिम, अनुसूचित जातियों के और हरिजन सभी। यहां सभी सहयोग के कार्य करते हैं।

अब उत्पादन का प्रश्न लीजिये। खाद्य समस्या का वास्तविक हल उत्पादन बढ़ाने में ही है। उस के सिवा और कोई चारा नहीं है। क्या कृषकों ने इस में पूरा पूरा योग दिया है? मंत्रालय तो केवल कृषकों की सहायता ही कर सकता है वही तो सब कुछ नहीं है। वास्तविक कार्य तो खेतों में काम करने वालों को ही करना पड़ेगा। उन्हीं को करना पड़ेगा जो हल चलाते हैं। और मैं कह सकता हूं कि हल चलाने वाले कृषकों ने उत्पादन बढ़ाने में योग दिया है। उस ने अपना काम बड़ी खूबी से पूरा किया है।

उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े देखने से यह बात सिद्ध हो जाती है। आप आंकड़ों के सही या गलत होने पर जो भी आपत्ति करें। मेरे पास १९४९ से गत वर्ष तक के उत्पादन के आंकड़े हैं। १९५१–५२ में खाद्यान्नों और अनाजों का उत्पादन ५ करोड़ १० लाख टन था। १९५२–५३ में वह ५ करोड़ ८० लाख और १९५३–५४ में ६ करोड़ ८० लाख टन हो गया था। फिर १९५४–५५ में वह ६ करोड़ ६६ लाख टन और १९५५–५६ में ६ करोड़ ५० लाख टन तक घट गया था। इस वर्ष १९५६–५७ में वह फिर ६ करोड़ ८० या ६० लाख हो गया है। इस वर्ष के उत्पादन के आंकड़े १९५३–५४ के बराबर ही हैं जब कि उत्पादन सब से अधिक था। यह काफी बड़ी सफलता है।

इस बीच में जनसंख्या बढ़ने के प्रश्न का उत्तर कई माननीय सदस्य दे ही चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

इस वर्ष सभी अनाजों और दालों का कुल उत्पादन ६ करोड़ ८५ लाख ८६ हजार टन है। इस में गत वर्ष की तुलना में ६.१ प्रतिशत वृद्धि हुई है। वास्तविक वृद्धि २५ लाख टन की हुई है।

इस वर्ष गन्ने के उत्पादन में १२,८ प्रतिशत वृद्धि हुई है। गन्ने का उत्पादन १९५५-५६ के ६० लाख टन से बढ़ कर १९५६-५७ में ६८ लाख टन हो गया है। तिलहन का उत्पादन १९५५-५६ के ५७ लाख टन से बढ़ कर १९५६-५७ में ६० लाख टन हो गया है। कपास का उत्पादन अस्थायी प्राक्कलनों के अनुसार १८ प्रतिशत बढ़ गया है। जूट के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। यह सफलता कोई कम नहीं है।

हमने द्वितीय योजना में कुल मिला कर १ करोड़ ५५ लाख टन की वृद्धि की व्यवस्था की है। इस का अर्थ है कि प्रति वर्ष ३० लाख टन की वृद्धि की जायेगी। योजना के अन्तिम वर्षों में उत्पादन की इस वृद्धि की गति अधिक तेज होगी। हमने १९५५-५६ में योजना के अनुसार ३० लाख टन की वृद्धि की व्यवस्था की थी लेकिन वास्तविक वृद्धि ३६ लाख टन हो गई है। हम ने "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं पर अधिक जोर दिया है। इन योजनाओं द्वारा द्वितीय योजना के काल में कुल उत्पादन में १ करोड़ २४ लाख टन वृद्धि की जायेगी। इस में केवल बड़े-बड़े सिंचाई के निर्माण-कार्य ही सम्मिलित किये गये हैं।

माननीय सदस्यगण जानते ही हैं कि 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना में कौन सी योजनायें चल रही हैं। सिंचाई के छोटे-मोटे निर्माण-कार्यों और भूमि परिरक्षण की योजनायें इस में सम्मिलित हैं। ये स्थायी योजनायें हैं। वार्षिक योजनायें हैं--बेहतर किस्म के बीजों, खादों और उर्वरकों इत्यादि की व्यवस्था करना। हम ने कृषीय उत्पादन के क्षेत्र में कुछ आदर्श या कहिये कि अनुकरणीय स्थल बनाने का प्रयास किया है और इस के लिये हम ने अगले तीन वर्षों के काल में गहन कृषि करने के लिये अधिकाधिक रूप से उत्पादन में चौमुखी प्रगति कर के दिखाने के लिये 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के अन्तर्गत कुछ स्थलों को चुन लिया है। इस कार्य के सिलसिले में सबसे पहले तो यह किया जायेगा कि अभी तक सिंचाई की जितनी भी सम्भावनायें विकसित की जा चुकी हैं उन का पूरा-पूरा सदुपयोग करना। यह सही है कि हम अभी तक की विकसित सिंचाई की सम्भावनाओं का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं लेकिन हमारा अनुभव यही बताता है कि सिंचाई की विकसित की जाने वाली सम्भावनाओं का भी पूरा-पूरा और प्रभावशाली सदुपयोग करने में कई वर्ष लग जाते हैं। नल-कूपों का पूरा-पूरा उपयोग करने में सामान्यतया तीन से पांच वर्ष तक लग जाते हैं। सिंचाई के बड़े-बड़े निर्माण-कार्यों की पूरी-पूरी सम्भावनाओं के उपयोग में तो और भी अधिक समय लग जाता है। हम इन सभी सम्भावनाओं का यथाशीघ्र अधिकतम उपयोग करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

हम ने यह योजना अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही आरम्भ की है इसलिये उस के कार्य-संचालन का अधिक ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

हमारी दूसरी योजना है--बीजों के फार्मों की। हम ने व्यवस्था यह की है कि प्रत्येक सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में एक बीज फार्म भी रहेगा जो २५ एकड़ के क्षेत्र में केवल बीज ही पैदा करेगा। इन फार्मों के पास अपना एक भंडार भी रहेगा। ऐसे कुछ फार्म तो चल भी रहे हैं और कुछ अन्य अभी बनाये जा रहे हैं। इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

हम ने निर्णय कर लिया है कि अगले तीन वर्षों में गेहूं, धान और ज्वार के सभी बीज नये बोये जायेंगे। संजातीय मकई के उत्पादन की विधि बड़ी पेचीदा सी है और उस में कुछ अधिक समय लगेगा

हम ने दो जातीय मकई के सम्बन्ध में गवेषणा करने के लिये भारतीय कृषि गवेषण प्रति स्वन में एक विशेष विभाग खोल दिया है। हम ने इस के लिये पांच प्रादेशिक केन्द्र भी खोले हैं।

हम जानते ह कि इस समय विदेशी मुद्रा की स्थिति अनुकूल नहीं है और इसलिये अधिक उर्वरकों का आयात करना सम्भव नहीं है। हम ने इसी के अनुकूल अपना कार्यक्रम बनाया है।

इसीलिये हम ने 'कंपोस्ट' और हरी खा ों को अधिक बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिये एक योजना बनाई है। हम ने मैले से 'कम्पोस्ट' तैयार करने की भी एक योजना बनाई है। इस के लिये केन्द्र की ओर से राज्य सरकारों को उन के २,००० जनसंख्या वाले सभी गांवों में मैले से 'कम्पोस्ट' तैयार करने के काम में सहायता दी जा रही है। इस में काफी समय लग जायेगा क्योंकि आप को करोड़ों किसानों को 'कम्पोस्ट' और हरी खादें बनाने के लिये तैयार करना पड़ेगा। अन्त में इस योजना से ब ा लाभ होगा। हां लेकिन उस में समय तो लगेगा ही। मैं अभी यह भी नहीं कह सकता कि इस योजना से कोई बड़ा भारी लाभ हो सकेगा या नही।

हम ने नगरों में भी ऐसी व्यवस्था की है। २,००० से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में यह योजना चालू की गई है।

हम ने सामुदायिक विकास कार्यों और कृषि-कार्यों में अधिक-सहयोजना पैदा करने की भी कोशिश की है। अभी तक दोनों में कोई ज्यादा सह-योजना नहीं थी लेकिन अब केन्द्र ने जो योजना तैयार की है उस से यह कमी काफी दूर हो जायेगी।

सामुदायिक विकास मंत्रालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि खण्डों का मुख्य कार्य कृषिय उत्पादन के लिये ही होगा। इस नीति को प्रभावशाली ढंग कार्यान्वित करने के लिये मसूरी सम्मेलन में एक व्यावहारिक योजना तैयार की गई थी। आशा है कि इस प्रकार सह-योजना में वृद्धि होने से कृषिय उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

हमारे आयात सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था। कई सदस्यों ने अपने-अपने ढंग से कहा है कि हम खाद्यान्नों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। मैं खाद्यान्नों का आयात करने के पक्ष में नहीं हूं। कृषि प्रधान देश होते हुए भी खाद्यान्न का आयात करना हमारे लिये एक दुर्भाग्य की बात है। आयात का कार्यक्रम कवल अस्थायी ही हो सकता है। फिर भी मैं एक भ्रान्ति दूर कर देना चाहता हूं।

खाद्यान्नों के आयात के लिये हम जो विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं वह केवल ४६ करोड़ रुपये है। इतनी विदेशी मुद्रा हम दो सप्ताह से भी कम समय में खर्च कर देते हैं। इस का अर्थ यह हुआ कि खाद्यान्नों के लिये हम केवल दो सप्ताहों में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं।

श्री तिरुमल राव को इस सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति थी इसलिये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम चावल बर्मा से मंगाते हैं और उस के लिये हमें पौण्डों में अदायगी करनी पड़ती है। सामान्यतया हम पांच लाख टन चावल मंगाते हैं जो २५ करोड़ रुपयो का होता है।

हम गेहूं का आयात अधिकतर अमरीका से करते हैं जो 'पी० एल० ४८०' समझौते के अन्तर्गत किया जाता है। उस समझौते के अनुसार हम उस का मूल्य डालरों या रुपयों में चुकाने के लिये स्वतन्त्र हैं। उस की किस्तें भी कई वर्षों तक चल सकती हैं। स्पष्ट ही है कि हम उस का मूल्य रुपयों में

[श्री अ० प्र० जैन]

देते हैं और इसलिये उस में विदेशी मुद्रा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अमरीका के साथ हमारे इस समझौते की एक शर्त यह भी है कि हमें अपने देश की सामान्य आवश्यकताओं के लिये 'पी० एल० ४८०' समझौते के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का उपयोग करना चाहिये। हमारा सामान्य आयात ५.५० लाख टन है। इस में से लगभग १.५० लाख टन तो हम 'पी० एल० ६६५' समझौते के अन्तर्गत आयात करते हैं और शेष ४.०० लाख टन हमें आस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है जिस के लिये हमें १६–१७ करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। इन सभी के वस्तु-भाड़े समेत हम ५० करोड़ रुपये देने पड़ते हैं।

डा० नायर ठीक ही कहा है कि देश में नियंत्रण लागू करने से बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी। नियंत्रण से मेरा मतलब समाहार और राशन की व्यवस्था से है। खाद्यान्नों के लाने ले जाने और ऋणों के रूप में पेशगियां देने पर तो हम नियंत्रण रखते ही हैं। यहां इन नियंत्रणों से मतलब नहीं है। वास्तव में हमारे देश में खाद्य-नियंत्रण की नहीं बल्कि जनसंख्या नियंत्रण की ही आवश्यकता है। श्री गोरे ने बताया है कि हमारी जनसंख्या प्रतिवर्ष ५० लाख बढ़ रही है। यह कहना गलत है कि नवजात शिशु मां के दूध पर पलते हैं इसलिये खाद्य-स्थिति पर उस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने बच्चे मां के दूध पर पलते हैं उतने ही बच्चे उसी काल में मां का दूध छोड़ कर अन्न ग्रहण करना भी तो आरम्भ कर देते हैं। हमारी समस्या तो उतनी बढ़ ही जाती है। हमें परिवार नियोजन द्वारा इस समस्या को हल करना ही पड़ेगा नहीं तो यह समस्या तो स्थायी रूप से बढ़ती ही रहेगी खाने वालों की संख्या बढ़ती ही जायेगी।

हमारी कृषि की एक बड़ी खराबी है मिट्टी का कटाव। हमारी भूमि में हजारों वर्षों से मिट्टी का कटाव होता आ रहा है। किसी ने उसकी परवाह भी नहीं की है। हम ने ही पहली बार भूमि परिरक्षण के लिये एक बोर्ड बनाया है। हमारी अपनी कठिनाई यह है कि हमारे पास उसके लिये प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता नहीं हैं। हम कुछ परीक्षणात्मक योजनायें भी चला रहे हैं। हमने प्रशिक्षण के लिये संस्थायें भी बनाई हैं। हमने भूमि परिरक्षण के लिये भी कार्य किया है। मैं यह तो मानता हूं कि हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए यह प्रयास अपर्याप्त है। लेकिन हमें इससे काफ़ी बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ है। सूखी फ़सलों के क्षेत्रों में सिंचाई के साधन सुलभ नहीं रहते। वहां ऊंचे उंचे बन्द बनाने से बड़ा लाभ होता है। मैं इसका महत्व समझता हूं और मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि हम मिट्टी का कटाव रोकने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री गुह का कहना है कि खाद्य के मामले में कलकत्ता का दायित्व केन्द्र पर रहना चाहिये। अच्छा हुआ कि उन्होंने कलकत्ता को पूरी तौर पर केन्द्रीय सरकार का दायित्व बनाने के लिये नहीं कहा। हम कलकत्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति में राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। हम कलकत्ता की चावल की १०० प्रतिशत आवश्यकता पूरी कर रहे हैं और अभी हाल में हमने वहां विशेष किस्म के चावल भी भेजे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आयात किया हुआ गेहूं खराब होने के कारण बम्बई में लोग चोरी से पहुंचने वाला गेहूं खा रहे हैं। विचित्र सी बात है कि माननीय सदस्य चोरी से गेहुं पहुंचाने का औचित्य बता रहे हैं। यदि वहां ऐसा होता है तो वहां के प्रशासन के लिये शर्म की बात है।

मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्य उसे उचित ठहरा रहे हैं।

हम काफी अर्से से बम्बई की १०० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करते रहे हैं। वहां कुछ ऐसे भी शौकीन लोग हैं जो खंडवा का गेहूं चोरी से पहुंचने वाला गेहूं ही खाना पसन्द करते हैं। मुझे उन से कोई सहानुभूति नहीं है वहां के मजदूर आयात किया हुआ गेहूं ही खाते हैं जो देश में सब से सस्ता है। वह केन्द्रीय स्टाक से १४ रुपये मन के हिसाब से दिया जाता है जिस में बोरे का मूल्य भी सम्मिलित है। खाली गेहूं १३ रुपये ८ आने प्रति मन दिया जाता है। उस की किस्म में कोई खराबी नहीं है। संसार भर में वह खाया जाता है।

श्री रामन् ने सुझाव दिया है कि सरकार को अपने स्टाक फसल आने के समय खरीद लेने चाहिये। मैं भी यही सोच रहा था। अगली फसल पर शायद हम यही करेंगे। आशा है कि हम एक ऐसी योजना बनाने में समर्थ होंगे जिस से कि बिचवाई करने वाले दलालों और व्यापारियों को अलग कर देंगे। उन के कारण हमें काफी कठिनाइयां पड़ चुकी हैं।

मैं माननीय सदस्यों की यह बात पूरी तौर से मानता हूं कि कृषकों को उचित मूल्य मिलना चाहिये और मूल्यों में गिरावट आने के समय सरकार को हस्तक्षेप कर के उन्हें गिरने से रोकना चाहिये और कृषकों को कम मूल्य पर अपना अनाज बेचने की विपत्ति से बचाना चाहिये। लेकिन व्यापारियों का इस में बड़ा बुरा हाथ रहा है। वे अनाज छिपा लेते हैं और इस तरह मूल्य बढ़ाने की कोशिशें करते हैं। दक्षिणी जोन बन जाने के बाद भी आज केरल में चावल की कमी है। इस पर भी व्यापारी लोग आन्ध्र के तटीय जिलों से दक्षिणी भाग में चावल नहीं भेज रहे हैं। रेलवेज उस के लिये पूर-पूरे माल डिब्बे जुटाने को तैयार हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह सही नहीं है कि आन्ध्र के कृषि मंत्री ने इस का मुख्य कारण माल-डिब्बों की कमी ही बताया था ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं स्वयं तटीय जिलों में गया हूं। मैं रेलवे अधिकारियों से बात की है। माल डिब्बों की कमी नहीं है। दोष व्यापारियों का ही है। वे माल रोक कर मूल्यों में वृद्धि करना चाहते हैं।

हमें उन के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। हम कृषकों के लिये मूल्य नहीं गिरने देना चाहते। हम सट्टे बाजी और सट्टे की प्रवृत्तियां रोकने के लिये सब कुछ करेंगे। आशा है सभा इस में हमारे साथ सहयोग करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं किसी कटौती प्रस्ताव को पृथक रूप से मतदान के लिये रखूं ?

†**श्री पंरूलेकर** (थाना) : कटौती प्रस्ताव संख्या ८१९ को।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं आप से कटौती प्रस्ताव संख्या २५ को, जो खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता के बारे में है। मतदान केये लि रखने की प्रार्थना करता हूं।

†**श्री यादव** (बाराबंकी) : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या १९७ और १९८ भी रखे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या २५ मतदान के लिये रखा गया। सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में २३; विपक्ष में ८०।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
४२	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	*७९,६०,०००
४३	वन	१,२०,७६,०००
४४	कृषि	९,६७,३२,०००
४५	असैनिक पशु चिकित्सा सेवायें . . .	८४,२०,०००
४६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	*६,४७,५९,०००
११६	वनों पर पूंजी व्यय . . .	१०,६८,०००
११७	खाद्यान्नों का क्रय	७९,१५,४४,०००
११८	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	*३५,१४,८२,०००

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ३१ जुलाई, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

*इन में २६ मार्च १९५७ को स्वीकृत धन राशियां भी सम्मिलित हैं।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ३० जुलाई, १९५७]

विषय		पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		२६४१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६४१—६५
तारांकित प्रश्न संख्या		
४४७	छंटनी किये गये प्रशिक्षा कर्मचारी	२६४१-४२
४४९	पकड़ा गया सोना	२६४२—४५
४५०	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निर्माण-भत्ता	२६४५
४५१	राजिस्थान में तांबे की खानें	२६४५-४६
४५३	अन्त र्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष	२६४७-४८
४५५	राजाओं की निजी थैलियां	२६४८—५०
४५६	आदिम जातियों के लोगों का पुनर्वास	२६५०—५२
४५७	न्यायालय	२६५२-५३
४५८	मिनिकाय को स्टीमर सेवा	२६५३-५४
४५९	पैट्रोलियम	२६५४
४६०	वाइपीन द्वीपों में खनिज तेल	२६५४-५५
४६३	कानूनी राय पर व्यय	२६५५—५७
४६४	इंफ्लुएंजा महामारी	२६५७
४६५	दिल्ली के स्कूल अध्यापकों का वेतन	२६५७—५९
४६६	अन्वीक्षाधीन कैदियों का भाग जाना	२६५९-६०
४६८	नाविक संग्रहालय बम्बई	२६६०
४६९	राष्ट्रीय भविष्य निधि न्यास	२६६०-६१
४७०	नई कोयला खानों पर काम आरम्भ करना	२६६१-६२
४७१	गांधी महापुरान	२६६२-६३
४७३	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त	२६६३-६४
४७४	पैट्रोलियम की खोज	२६६४-६५
प्रश्नों क लिखित उत्तर		२६६५—८८
तारांकित प्रश्न संख्या		
४४६	चोरी का माल	२६६५
४४८	कोयला धोने के कारखाने	२६६६
४५२	प्रतिनियुक्त अधिकारी	२६६६
४५४	प्रादेशिक भाषायें	२६६७
४६१	मनीपुर प्रशासन में अतिव्यसक अधिकारी	२६६७
४६२	अभ्रक की खानें	२६६७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
४६७	भारतीय विमान बल की सैनिक गाड़ियां . .	२६६७-६८
४७२	भारत का राज्य बैंक . . .	२६६८
४७५	भारत का राज्य बैंक	२६६८
४७६	राष्ट्रीय नाट्यशाला . . .	२६६९
४७७	अनुसूचित जातियों के लिये रक्षण . .	२६६९
४७८	जिप्सम निक्षेपों का सर्वेक्षण . . .	२६६९-७०
४७९	विश्वविद्याय में तीन वर्ष का स्नातकीय पाठ्यक्रम .	२६७०
४८०	भावनगर में तेल शोधक कारखाना . .	२६७०-७१
४८१	इस्पात का आयात	२६७१
४८२	विदेशी भाषाओं के प्रतिष्ठित साहित्य का अनुवाद .	२६७१
४८३	सुधार सेवाओं के लिये केन्द्रीय ब्यूरो . . .	२६७१
४८४	विश्वविद्यालयों में भौमिकी में प्रशिक्षण .	२६७२
४८५	बाल-पुस्तक न्यास	२६७२
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
३४०	अभ्रक	२६७२-७३
३४१	भाषाओं का अध्ययन	२६७३
३४२	छात्रावासों के निर्माण के लिये ऋण . . .	२६७३-७४
३४४	प्रतिरक्षा सामग्री	२६७४-७५
३४५	उड़ीसा में समाज कल्याण सेवायें . . .	२६७५
३४६	उड़ीसा के विद्यार्थियों को हिन्दी छात्रवृत्तियां . .	२६७५
३४७	राजस्थान में बहुप्रयोजनीय स्कूल . . .	२६७६
३४८	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के आयकरपदाधिकारी	२६७६
३४९	भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवा . . .	२६७६
३५०	निवृत सेना पदाधिकारी	२६७७
३५१	आन्ध्र का राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड . .	२६७७
३५२	भारत में निश्चित समय से अधिक ठहरने वाले व्यक्ति .	२६७८
३५३	अनुसूचित जातियों का कल्याण . . .	२६७८
३५४	दिल्ली में अपराध	२६७८
३५५	सेना आयुध निकाय	२६७८-७९
३५६	दिल्ली बजट	२६७९
३५७	महाराजा प्रोद्योगकीय संस्थान, त्रिचूर. . .	२६८०
३५८	विदेशों को प्रतिनिधिमंडल . . .	२६८०
३५९	दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों में मद्यपान . .	२६८०-८१
३६०	राज-भाषा	२६८१
३६१	केन्द्रीय सेवाओं में महिलायें. . . .	२६८१
३६२	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी . . .	२६८१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३६३ मनीपुर के आदिम जाति विद्यार्थी २६८२
३६४ निलम्बी पुल . . . २६८२–८३
३६५ प्रगति विद्या भवन अगरतला को दान २६८३–८४
३६६ 'आर्डिनेन्स फैक्टरी न्यूज' २६८४
३६७ झण्डा दिवस . . २६८४
३६८ केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग . . . २६८४–८५
३६९ अन्दमान द्वीप समूह में शाखा न्यायालय २६८५
३७० अस्पृश्यता निवारण २६८५–८६
३७१ दगहि समिति, अजमेर २६८६
३७२ नाविक उड्डयन . . . २६८६
३७३ संगीत का सैनिक स्कूल, पंचमढ़ी . . . २६८७
३७४ बनारस विश्व विद्यालय में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी . २६८७–८८
३७५ निषिद्ध अफीम . २६८८
३७६ वैज्ञानिक गवेषणा . . . २६८८
३७७ हिन्दू अविभाजित परिवारों पर आयकर २६८८

सभा पटल पर रखा गया पत्र २६८९

मई, १९५७ में जिनेवा में हुई दसवीं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में भारतीय शिष्ट मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . २६८९–९०

श्री सोनावने ने शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और नरसिंग गिरजी मिल्स लिमिटेड, शोलापुर में उत्पादन में कमी और सरकारी पूंजी विनियोग तथा श्रमिकों पर उस के प्रभाव की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाना ।

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की मांगें . . . . २६९०—२७४२

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा समाप्त हुई ।

मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

बुधवार, ३१ जुलाई, १९५७ के लिये कार्यावलि—

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा